



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01042022-234798  
CG-DL-E-01042022-234798

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 240]  
No. 240]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 1, 2022/चैत्र 11, 1944  
NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 1, 2022/CHAITRA 11, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2022

आय-कर

सा.का.नि. 252(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 139 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (पांचवां संशोधन) नियम, 2022 है।

(2) यह 01 अप्रैल, 2022 से प्रवृत्त होगा।

2. आय-कर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के परिशिष्ट-2 में, प्ररूप आ.क.वि.-7 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्:--

|                    |   |                      |  |  |  |  |  |
|--------------------|---|----------------------|--|--|--|--|--|
| प्ररूप<br>आ.क.वि-7 | <b>भारतीय आयकर विवरणी</b><br>[उन व्यक्तियों के लिए, जिनके अंतर्गत कंपनियां भी हैं, जिनसे केवल धारा 139<br>(4क) या धारा 139 (4ख) या धारा 139(4ग) या धारा 139(4घ) के अधीन<br>विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित है]<br>(कृपया आय-कर नियम, 1962 का नियम 12 देखिए)<br>(कृपया मार्गदर्शन के लिए अनुदेश देखें) | <b>निर्धारण वर्ष</b> |  |  |  |  |  |
|                    |   | <b>2 0 2 2 - 2 3</b> |  |  |  |  |  |

**भाग क-साधारण**

व्यक्तिगत सूचना

|   |  |   |  |   |   |  |  |
|---|--|---|--|---|---|--|--|
| (क1)नाम (सृजन/स्थापन/निगमन/विवरणा संबंधी विलेख में यथावर्णित)   |  |   |  | (क2)स्थायी लेखा संख्यांक                      |   |  |  |
| (क4)फ्लैट/द्वार/ब्लॉक सं०   |  | (क5)परिसर/भवन/ग्राम का नाम                          |  | (क3)विवरणा/निगमन की तारीख<br>(तारीख/मास/वर्ष) |   |  |  |
| (क6)सड़क /मार्ग/डाक घर  |  | (क7)क्षेत्र/अवस्थान                                 |  | (क11) प्रास्थिति<br>(निदेश पैरा 11ख देखें)    |   | (क12) उपप्रास्थिति<br>(निदेश पैरा 11ख देखें) |  |
| (क8)नगर/शहर/जिला  |  | (क9)राज्य   |  | (क10)पिन कोड /जिप कोड                         |   | <input type="checkbox"/>                     |  |
| (क13)कार्यालय का दूरभा संख्या एसटीडी कोड सहित/ मोबाइल सं.   |  |   |  | (क14)फैक्स सं. / मोबाइल सं.2                  |   |  |  |
| (क15)ई मेल पता 1  |  |   |  | (क16)ई मेल पता 2                              |   |  |  |
| (क17)(i) विवरणी प्रस्तुत की गई धारा <input type="checkbox"/> 139(4क) <input type="checkbox"/> 139(4ख) <input type="checkbox"/> 139(4ग) <input type="checkbox"/> 139(4घ) <input type="checkbox"/> अन्य |  |   |  |   |   |  |  |
| (ii) धारा जिसके अधीन छूट का दावा किया गया है, कृपया वर्णन करें (ड्रापडाउन दें)  |  |   |  |   |   |  |  |
| (क18) क्या निर्धारित द्वारा कोई परियोजना/संस्था चलाई जा रही है? (हां/नहीं) यदि हां तो कृपया ब्यौरे दें:<br>आपके द्वारा चलाई जा रही परियोजना/संस्थाओं का ब्यौरे  |  |   |  |   |   |  |  |
| क्रम सं.  | परियोजना/संस्था का नाम<br>(पैरा 11गक के अनुदेश देखें)                                | क्रियाकलाप की प्रकृति<br>(अनुदेश पैरा 11घ देखें)    | वर्गीकरण (अनुदेश पैरा 11घ देखें)                       |   |   |  |  |
| 1   |  |   |  |   |   |  |  |
| 2   |  |   |  |   |   |  |  |
| 3   |  |   |  |   |   |  |  |
| 4   |  |   |  |   |   |  |  |
| (क19)आयकर अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण/ अनंतिम पंजीकरण या अनुमोदन के ब्यौरे (आज्ञापक हैं, यदि रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए अपेक्षित हों)  |  |   |  |   |   |  |  |
| क्रम सं.  | धारा जिसके अधीन रजिस्ट्रीकृत/<br>अनंतिम पंजीकृत या अनुमोदित/<br>अधिसूचित किया गया है | रजिस्ट्रीकरण/ अनंतिम पंजीकरण या<br>अनुमोदन की तारीख | अनुमोदन/अधिसूचना/ यूनिक<br>रजिस्ट्रीकरण सं. (यू.आर.एन) | अनुमोदन/<br>रजिस्ट्रीकरण<br>प्राधिकारी        | तिथि जिससे पंजीकरण/अनंतिम<br>पंजीकरण / अनुमोदन प्रभावी है |  |  |
| 1   |  |   |  |   |   |  |  |
| 2   |  |   |  |   |   |  |  |
| 3   |  |   |  |   |   |  |  |
| 4   |  |   |  |   |   |  |  |
| (क20)आयकर अधिनियम से भिन्न किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण/ अनंतिम पंजीकरणया अनुमोदन के ब्यौरे ( विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम,<br>2010 नीति आयोग के दर्पण पर पंजीकरण तथा सेबी के साथ पंजीकरण)    |  |   |  |   |   |  |  |
| क्रम सं.  | जिस पोर्टल पर<br>पंजीकृत है वह विधि<br>अधीन  | 'किसी अन्य विधि' के<br>मामले में विवरण दें          | रजिस्ट्रीकरण या अनुमोदन की<br>तारीख                    | अनुमोदन/अधिसूचना/रजिस्ट्री<br>करण सं.         | अनुमोदन/रजिस्ट्रीकरण<br>प्राधिकारी                        | तिथि जिससे पंजीकरण<br>प्रभावी है।            |  |
| 1   |  |   |  |   |   |  |  |
| 2   |  |   |  |   |   |  |  |









|                           | 01.04.2021 को प्रारंभिक शेष (1)  | वर्ष के दौरान उद्देश्यों की ओर आवेदनों के लिए लिया गया ऋण व उधार (2)   | वर्ष के दौरान न्यास या संस्थान के वस्तुओं के लिए अनुप्रयुक्त (3) | वर्ष के दौरान ऋण या उधार की वापसी की राशि (जो पहले अनुप्रयुक्त पर दावा नहीं किया गया) (4) | वित्त वर्ष जिसमें (4) पहले अनुप्रयुक्त हुआ (5) | 31.03.2022 को समाप्ति बकाया (6) (1+2-4=6) (6=7+8) | धारा 11(5) में निर्दिष्ट 31.03.2022 को समुत्थान में निवेश (7)                               | धारा 11(5) में निर्दिष्ट 31.03.2022 के अलावा समुत्थान निवेश (8) |
|---------------------------|--|--|--|---|--|---|---|---|
| आ                         | 31.03.2022 के अनुसार धारा 11(5) के अधीन निवेश/जमा का विवरण (प्रणाली को टिप्पणी : अंतिम अधिसूचित आई टी आर प्ररूप समाप्ति नोट भाग नहीं होगा, किंतु उपयोगिता के विकास में केवल निर्देशों के अनुसार कार्य करेगा) |  |  |   |  |   |   |   |
| विनिधान निधियों का ब्यौरा | क्र.सं.  | निवेश से बाहर  | धारा 11(5) के अनुसार विनिधान                                     | विनिधान की तारीख  | विनिधान की रकम                                 |   |   |   |
|                           | i  | धारा 80छ(2)(ख) के अधीन अधिसूचित स्थानों की मरम्मत या नवीनीकरण करने के लिए प्राप्त दान के प्रतिनिधित्व को कोष <अ1(7)(i)> के साथ समाप्ति | ड्रापडाउन दें (कृपया प्रकृति निर्दिष्ट करें)                     |   |  |   |   |   |
|                           | ii   | (i) < अ1(7)(ii)> के अलावा कोष  |  |   |  |   |   |   |
|                           | iii  | पूर्ववर्ती में धारा 10(23)ग के तीसरे परंतुक अथवा धारा 11(2) के अनुसार संचयन आय   |  |   |  |   |   |   |
|                           | iv   | पूर्ववर्ती वर्षों की संचयन आय 15% तक या अलग हटा के   |  |   |  |   |   |   |
|                           | v  | अ2(7)> के साथ समाप्ति < का ऋण उधार   |  |   |  |   |   |   |
|                           | vi   | अन्य (कृपया इंगित करें)  |  |   |  |   |   |   |
|                           | vii  | योग  |  |   |  |   |   |   |
| इ                         | उस (समुत्थानों) में, जिनमें धारा 13(3) में निर्दिष्ट व्यक्तियों का सारवान् हित है, पूर्व वा (पूर्व वार्ड) के दौरान किसी समय धारित विनिधान  |  |  |   |  |   |   |   |
| क्रम सं.                  | समुत्थान का नाम और पता   | जहां समुत्थान कोई कंपनी है जैसे लागू हो <input checked="" type="checkbox"/> का निशान लगाएं   | धारित शेयरों की संख्या   | धारित शेयरों का वर्ग  | विनिधान का अभिहित मूल्य                        | विनिधान से आय                                     | क्या स्तंभ (6) में वर्णित रकम पूर्ववा के दौरान समुत्थान की पूंजी के पांच प्रतिशत से अधिक है |   |
| (1)                       | (2)  | (3)  | (4)  | (5)   | (6)  | (7)   | (8)   |   |
| i                         |  | <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं   |  |   |  |   | <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं                                  |   |
| ii                        |  | <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं   |  |   |  |   | <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं                                  |   |
| iii                       |  | <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं   |  |   |  |   | <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं                                  |   |
| iv                        |  | <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं   |  |   |  |   | <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं                                  |   |
| v                         |  | <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं   |  |   |  |   | <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं                                  |   |
| vi                        |  | <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं   |  |   |  |   | <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं                                  |   |
|                           | योग  |  |  |   |  |   |   |   |
| ई                         | पूर्ववा के अंतिम दिन को यथा विद्यमान अन्य विनिधान  |  |  |   |  |   |   |   |

| क्रम सं. | समुत्थान का नाम और पता  | क्या समुत्थान कोई कंपनी है (जैसा लागू हो <input checked="" type="checkbox"/> का निशान लगाएं) | धारित शेयरों का वर्ग                   | धारित शेयरों की संख्या  | विनिधान का अभिहित मूल्य                    |
|----------|---|--|--|---|--|
| (1)      | (2)   | (3)  | (4)                                    | (5)   | (6)  |
| i        |   | <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं                                   |  |   |  |
| ii       |   | <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं                                   |  |   |  |
| iii      |   | <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं                                   |  |   |  |
| iv       |   | <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं                                   |  |   |  |
| v        | योग   |  |  |   |  |
| उ        | ऐसे स्वैच्छिक अभिदाय/संदान, जो वस्तु रूप में प्राप्त किए गए हैं किंतु जिन्हें उपबंधित समय के भीतर धारा 11(5) के अधीन विनिर्दिष्ट ढंगों में विनिधानों में संपरिवर्तित नहीं किया गया है |  |  |   |  |
| क्रम सं. | दाता का नाम और पता  | अभिदाय/संदान का मूल्य  | उद्देश्य के मद्दे लागू अभिदाय का मूल्य | धारा 11(5) के अधीन विहित ढंगों में (3) में से विनिहित की गई रकम | धारा 11(3) के अधीन आय माना जाने वाला अतिशो |
| (1)      | (2)   | (3)  | (4)                                    | (5)   | (6)  |
| i        |   |  |  |   |  |
| ii       |   |  |  |   |  |
| iii      |   |  |  |   |  |
| iv       | योग   |  |  |   |  |

## भाग क-खुध

31 मार्च 2022 को समेकित संतुलन पत्र

| निधियों का स्त्रोत | क  | कोष स्त्रोत   |    |       |  |
|--------------------|--|---|----|-------|--|
| निधियों का स्त्रोत | 1  | कोष स्वामित्व   |    |       |  |
|                    | क  | अनुसूची की धारा 80छ(2)(ख) (क1(6)I के अधीन अधिसूचित के नवीनीकरण या मरम्मत के लिए प्राप्त दान में से कॉर्पस |    | 1क    |  |
|                    | ख  | अनुसूची जे के क1(6)ii के अन्य कॉर्पस  |    | 1ख    |  |
|                    | ग  | गैर अनिवार्य आवेदन से संचित आय (आय का 15% जो नहीं है) आवेदन के लिए अनिवार्य                               |    | 1ग    |  |
|                    | घ  | धारा 10 या धारा 11(2) के खंड (23ग) के तीसरे परंतुक के अधीन संचित आय                                       |    | 1घ    |  |
|                    | ङ  | (अनुसूची घ के स्तंभ 7) धारा 11 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 1 के खंड 2 के अधीन आय की डीमड आवेदन            |    | 1ङ    |  |
|                    | च  | कोई अन्य आरक्षित (प्रकृति निर्दिष्ट करें)   |    |       |  |
|                    | i  | प्रकृति निर्दिष्ट करें  | i  |       |  |
|                    | ii   | प्रकृति निर्दिष्ट करें  | i  |       |  |
|                    | iii  | कुल (कi + कii.)   |    | 1चiii |  |
| छ                  | कुल कोष (क+ ख+ग+घ+ङ+च)   |   | 1छ |       |  |
| निधियों का स्त्रोत | 2  | ऋण व उधार   |    |       |  |
|                    | क  | सुरक्षित ऋण   | क  |       |  |
|                    | ख  | असुरक्षित ऋण( जमा सहित)   | ख  |       |  |
|                    | ग  | कुल ऋण कोष (क+ ख)   |    | 2ग    |  |
| निधियों का स्त्रोत | 3  | अग्रिम  |    | 3     |  |
|                    | 4  | कोष स्त्रोत (1च+ 2ग +3)   |    | 4     |  |
|                    | ख  | निधियों का अनुप्रयोग  |    |       |  |
|                    | 1  | अचल आस्तियां  |    |       |  |
| क                  | सकल अचल आस्तियां   |   | 1क |       |  |
| ख                  | मूल्यहास   |   | 1ख |       |  |
| ग                  | शुद्ध अचल आस्तियां (1क-1ख)                                     |   | 1ग |       |  |
| 2                  | धारा 11(5) (2क+2ख+2ग) के अधीन निर्दिष्ट मोड़ में रखा गया निवेश |   | 2  |       |  |



|     |  |   |      |  |
|-----|--|---|------|--|
| क   | अनुसूची जे के ख <sub>(5)</sub> i के कॉर्पस के अनुसार धारा 80छ <sub>(2)</sub> (ख) के अधीन प्राप्त दान से बाहर निवेश | 2क  |      |  |
|     | अनुसूची जे के ख <sub>(5)</sub> ii के अन्य कॉर्पस के अनुसार निवेश   | 2ख  |      |  |
| ग   | अनुसूची जे के ख (5)vii- ख(5)i- ख(5)ii में अन्य निवेश   | 2ग  |      |  |
| 3   | धारा 11(5) के अधीन निर्दिष्ट मोड़ के अलावा रखा गया निवेश   |   | 3    |  |
| 4   | वर्तमान आस्तियां   |   |      |  |
| क   | वर्तमान आस्तियां   |   |      |  |
|     | i  | माल   | i    |  |
|     | ii   | विविध देनदार                                | ii   |  |
|     | iii  | नकद व बैंक बैलेंस                           |      |  |
|     | क  | बैंक में बैलेंस                             | iiiक |  |
|     |  | पर्याप्त नकदी                               | iiiख |  |
|     |  | अन्य  | iiiग |  |
|     | घ  | कुल नकद तथा नकद समकक्ष (iiiक + iiiख + iiiग) | iiiघ |  |
|     | iv   | अन्य वर्तमान आस्तियां                       | iv   |  |
|     | v  | कुल अन्य आस्तियां (i + ii + iiiघ + iv)      | कv   |  |
| ख   | ऋण व अग्रिम  | ख   |      |  |
| ग   | कुल (कv + ख)   | ग   |      |  |
| घ   | वर्तमान देनदारी तथा प्रावधान   |   |      |  |
| i   | वर्तमान देनदारी  |   |      |  |
|     | क  | विविध लेनदार                                | क    |  |
|     |  | अन्य लेनदार                                 | ख    |  |
|     |  | कुल (क + ख)                                 | iग   |  |
|     | ii   | प्रावधान                                    | ii   |  |
| iii | कुल (iग + ii)  | घiii  |      |  |
| ड   | शुद्ध वर्तमान आस्तियां( 4ग - 4घiii)  | 4ड  |      |  |
| 5   | कुल निधि या अनुप्रयोग (1+2+3+4ड)   |   | 5    |  |

**अनुसूची टक** राजनैतिक दल

|                               |  |  |
|-------------------------------|--|--|
| 1                             | क्या जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29क के अधीन पंजीकृत है?   | <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं |
| क                             | यदि हां, कृपया पंजीकरण सं. दर्ज करें।  |  |
|                               | पंजीकरण तारीख  | ...../...../.....  |
| 2                             | क्या लेखा बहियां रखी गई थीं ? जैसे लागू हों <input checked="" type="checkbox"/> का निशान लगाएं   | <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं |
| 3                             | क्या खातों की लेखा-परीक्षा की गई है? (जो लागू हो उसे चिह्नित करें <input checked="" type="checkbox"/> )  | <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं |
| क                             | यदि हां, कृपया निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करें :-   |  |
|                               | लेखा परीक्षा रिपोर्ट को प्रस्तुत करने की तारीख (दिन/मास/वर्ष)  |  |
|                               | लेखा परीक्षा रिपोर्ट हस्ताक्षर करने वाले लेखापरीक्षक का नाम  |  |
|                               | लेखा परीक्षक की सदस्य संख्या   |  |
|                               | लेखा परीक्षक का नाम (स्वामित्व/फर्म)   |  |
|                               | स्वामित्व/फर्म रजिस्ट्रीकरण सं.  |  |
|                               | लेखापरीक्षक की स्थायी खाता संख्या (पैन)/ आधार सं. (स्वामित्व/फर्म)   |  |
| लेखा परीक्षक रिपोर्ट की तारीख |  |  |
| 4                             | क्या जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29ग की उपधारा (3) के अधीन रिपोर्ट वित्त वर्ष के लिए प्रस्तुत की गई है? (जो लागू हो उसे चिह्नित करें <input checked="" type="checkbox"/> ) | <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं |
|                               | यदि हां, रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तिथि (तिथी/माह/वर्ष)   | ...../...../.....  |

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| 5 | क  | क्या वर्ष के दौरान किसी व्यक्ति से 20 हजार रुपए से अधिक का कोई स्वैच्छिक अभिदाय प्राप्त किया गया था (लागू अनुसार <input checked="" type="checkbox"/> का निशान लगाएं)  | <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं |
|   | ख  | यदि हां तो 20 हजार रुपए से अधिक का प्रत्येक स्वैच्छिक अभिदाय (निर्वाचन बंधपत्रों के रूप में अभिदायों से भिन्न) का अभिलेख (जिसमें ऐसे व्यक्ति का नाम और पता भी सम्मिलित है जिसने ऐसा अभिदाय किया है) रखा गया था ? (लागू अनुसार <input checked="" type="checkbox"/> का निशान लगाएं)                                 | <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं |
| 6 |  | क्या पाने वाले के खाते में देय बैंक या पाने वाले के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट द्वारा या बैंक खाते के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली का उपयोग करके या इलैक्ट्रॉनिक बंधपत्र के माध्यम से अन्यथा दो हजार रुपए से अधिक कोई संदान प्राप्त किया गया था ? (लागू अनुसार <input checked="" type="checkbox"/> करें) | <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं |
| 7 | <b>कृपया निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करें:</b> |   |  |
|   | क  | वि.व. के दौरान पार्टी द्वारा प्राप्त स्वैच्छिक कुल योगदान (ख + ग + घ)   | 7क   |
|   | ख  | वि.व. के दौरान समस्त स्वैच्छिक कुल योगदान 2000रु. से कम प्राप्त का कुल मूल्य  | 7ख<br>(खि+खिि)   |
|   |  | i. नकद में  | 7खि  |
|   |  | ii. नकद के अलावा अन्य मोड़  | 7खिि   |
|   | ग  | वि.व. के दौरान समस्त स्वैच्छिक अंशदान जो 2000रु. से 20,000रु. के बीच प्राप्त हुआ का कुल मूल्य   | 7ग   |
|   | घ  | वि.व. के दौरान समस्त स्वैच्छिक अंशदान जो 20,000रु. से अधिक प्राप्त हुआ का कुल मूल्य   | 7घ   |

## अनुसूची ईटी

## निर्वाचक न्यास

|                |   |   |  |
|----------------|---|---|--|
| निर्वाचक न्यास | 1   | क्या लेखा बहियां रखी गई थीं ?   | <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं |
|                | 2   | क्या प्रत्येक स्वैच्छिक अभिदाय का अभिलेख (जिसमें ऐसे व्यक्ति का नाम, पता और पैन भी सम्मिलित है, जिसने अभिदाय की पद्धति के साथ ऐसा अभिदाय किया है) रखे गए थे ? जैसा लागू हों ( <input checked="" type="checkbox"/> ) का निशान लगाएं                      | <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं |
|                | 3   | क्या प्रत्येक ऐसे पात्र राजनैतिक दल का अभिलेख अनुरक्षित किया गया था जिसे वितरण योग्य अभिदायों का वितरण किया गया है (पात्र राजनैतिक दल का नाम, पता, पैन संख्या और रजिस्ट्रीकरण संख्या ? (लागू अनुसार <input checked="" type="checkbox"/> का निशान लगाएं) | <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं |
|                | 4   | क्या धारा 17गक(12) के अनुसार लेखाओं की संपरीक्षा की गई है ? (लागू अनुसार <input checked="" type="checkbox"/> का निशान लगाएं)  | <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं |
|                |   | यदि हां तो प्ररूप 10खक में संपरीक्षा रिपोर्ट की तारीख (दिन/मास/वर्ष)  | ____/____/____   |
|                | 5   | क्या नियम 17गक (14) के अनुसार रिपोर्ट आयकर आयुक्त या आयकर निदेशक को प्रस्तुत कर दी गई है ? जैसा लागू हों ( <input checked="" type="checkbox"/> ) का निशान लगाएं   | <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं |
|                | 6   | प्राप्त ऐच्छिक अभिदायों और वर्ष के दौरान वितरित रकम के ब्यौरे   |  |
|                | i   | 1 अप्रैल को आरंभिक अतिशो  | i  |
|                | ii  | वर्ष के दौरान प्राप्त किया गया स्वैच्छिक अभिदाय   | ii   |
|                | iii   | योग (i+ii)  | iii  |
| iv             | राजनैतिक दलों को वितरित रकम   | iv  |  |
| v              | न्यास के प्रशासन और प्रबंध पर खर्च की गई रकम (उपरोक्त क्रं सं. ii के 5% अथवा समावेशन के प्रथम वर्ष के लिए 5 लाख तथा बाद के वर्षों के लिए 3 लाख जो भी कम हो, तक सीमित) | v   |  |
| vi             | योग (iv+v)  | vi  |  |
| Vii            | धारा 13ख के अधीन छूट के लिए उपयुक्त रकम (अनुसूची ईटी के क्रम सं. 6ii यदि 6iv में वितरित राशि 6iii के 95% है)(नियम 17गक के अनुसार)                                     | Vii   |  |
| viii           | 31 मार्च को संवरण अतिशेष  | Viii  |  |

## अनुसूची वीसी

## स्वैच्छिक अभिदाय (आईटीआर 7 भरते समय सभी व्यक्तियों द्वारा आज्ञापक रूप में भरा जाए)

|   |   |             |    |
|---|---|-------------|----|
| अ | घरेलू अंशदान  |             |    |
|   | i   | समग्र संदान | आi |
| क | अनुसूची की धारा 80छ(2)(ख) के अधीन अधिसूचित के नवीनीकरण या मरम्मत के लिए प्राप्त दान में से कॉर्पस | आंक         |    |

|     |   |   |  |      |       |  |
|-----|---|---|--|------|-------|--|
|     | ख   | उपर्युक्त के अलावा कॉर्पस   | आंख  |      |       |  |
|     | ii  | समग्र संदान के अतिरिक्त   |  |      | आii   |  |
|     |   | (क)   | सरकार से प्राप्त अनुदान  |      |       |  |
|     |   | (ख)   | कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अधीन कंपनियों से प्राप्त अनुदान |      |       |  |
|     |   | (ग)   | अन्य विनिर्दिष्ट अनुदान  |      |       |  |
|     |   | (घ)   | अन्य संदान   |      |       |  |
| (ङ) | कुल   |   |  | आiiङ |       |  |
| iii | घरेलू स्वैच्छिक अभिदाय (आi + आiiङ)  |   |  | आiii |       |  |
| आ   | विदेशी अभिदाय   |   |  |      |       |  |
|     | i   | समग्र निधि संदान  |  |      | आ i   |  |
|     | क   | अनुसूची की धारा 80छ(2)(ख) के अधीन अधिसूचित के नवीनीकरण या मरम्मत के लिए प्राप्त दान में से कॉर्पस | आ iक   |      |       |  |
|     | ख   | उपर्युक्त के अलावा कॉर्पस   | आ iख   |      |       |  |
|     | ii  | समग्र निधि संदान के अतिरिक्त  |  |      | आ ii  |  |
|     | iii   | विदेशी अभिदाय ( आ i + आii)  |  |      | आ iii |  |
| iv  | प्रयोजन निर्दिष्ट करें जिसके लिए विदेशी अंशदान प्राप्त किया गया   |   |  | आ iv |       |  |
| इ   | कुल अभिदाय ( आiii + आiii)   |   |  |      | इ     |  |
| ई   | ग में सम्मिलित अज्ञात दान, धारा 115खखग के अधीन प्रभार्य [निर्धारिती पर लागू जो धारा 11 या 10(23ग)(iv) या 10(23ग)(v) या 10(23ग)(vi) या 10(23ग)(viक) या 10(23ग)(iiiकघ) या 10(23ग)(iiiकङ) के अधीन छूट का दावा कर रहा है] |   |  |      |       |  |
|     | i   | प्राप्त किए गए ऐसे अनाम अभिदाय का योग   |  |      | i     |  |
|     | ii  | ई पर प्राप्त कुल अभिदाय का 5% या 1,00,000 जो भी ज्यादा हो   |  |      | ii    |  |
|     | iii   | धारा 115 खखग के अधीन 30% (i – ii) की दर से प्रभार्य अनाम अभिदाय                                   |  |      | iii   |  |

## अनुसूची एआई

ऐच्छिक अभिदायों को अपवर्जित करके पूर्व के दौरान व्युत्पन्न कुल आय [धारा 11 और 12 के अधीन या धारा 10(23ग)(iv)/(v)/(vi)/(viक)के अधीन छूट का दावा करने वाले निर्धारितियों द्वारा भरा जाए]

|                |  |   |         |   |     |
|----------------|--|---|---------|---|-----|
| आय का कुल जोड़ | 1  | मुख्य उद्देश्यों से प्राप्तियां               |         | 1 |     |
|                | 2  | अनुषंगी उद्देश्यों से प्राप्तियां             |         | 2 |     |
|                | 3  | किराया  |         | 3 |     |
|                | 4  | कमीशन   |         | 4 |     |
|                | 5  | लाभांश आय                                     |         | 5 |     |
|                | 6  | ब्याज आय                                      |         | 6 |     |
|                | 7  | कृषि आय                                       |         | 7 |     |
|                | 8  | पूजी आस्ति के अंतरण पर शुद्ध प्रतिफल          |         | 8 |     |
|                | 9  | कोई अन्य आय (रकम और प्रकृति विनिर्दिष्ट करें) |         |   |     |
|                |  |   | प्रकृति |   | रकम |
|                | क  | आय/क्षति के जरिए पास (अनुसूची पीटीआई भरे)     | क       |   |     |
|                | ख  |   | ख       |   |     |
|                | ग  |   | ग       |   |     |
|                | घ  |   | घ       |   |     |
|                | ङ  | कुल (9क + 9ख + 9ग + 9घ)                       | ङ       |   | 9ङ  |
| 10             | कुल (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 8 + 9) (कृषि आय के अलावा) |   |         |   | 10  |



|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
|   | अलावा संस्थान या न्यास को दान के मामले में जिनके पास वही वस्तुएं नहीं है।  |   |  |
| 4 | धारा 12कक/12कख के अधीन पंजीकृत या धारा 10(23ग)(iv)/(v)/(vi)/(vिक) के अधीन अनुमोदित न्यास या संस्थान के अलावा किसी व्यक्ति को दान                           | 4 |  |
| 5 | भारत के बाहर आवेदन जिसके लिए धारा 11(1)(ग) के परंतुक के अनुसार अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया है।   | 5 |  |
| 6 | न्यास या संस्थान की वस्तुओं के परे किसी अन्य प्रयोजन के लिए अनुप्रयुक्त  | 6 |  |
| 7 | किसी अन्य अस्वीकार्य अनुप्रयोग के लिए  | 7 |  |
| ई | वर्ष के दौरान आय-राजस्व का कुल अनुप्रयोग (अ15 + आ10)   | ई |  |
| उ | पंक्ति घ में निधि का स्रोत राजस्व अनुप्रयोग  | उ |  |
| 1 | पूर्व वर्ष के दौरान अर्जित संपत्ती/आय से व्युत्पन्न आय (कॉर्पस को छोड़कर)  | 1 |  |
| 2 | पूर्ववर्ती वर्षों में धारा 10(23ग) के तीसरे परंतुक या धारा 11(2) के अधीन संचित आय  | 2 |  |
| 3 | किसी अन्य पूर्ववर्ती वर्ष में धारा 11(1) के स्पष्टीकरण 1 के खंड 2 के अधीन अनुप्रयुक्त आय (केवल तभी लागू जब धारा 11 तथा 12 के अधीन छूट का दावा किया हो)     | 3 |  |
| 4 | 15 प्रतिशत तक संचित या पृथक पूर्ववर्ती की आय   | 4 |  |
| 5 | कॉर्पस   | 5 |  |
| 6 | उधार ली गई निधि  | 6 |  |
| 7 | वर्ष के दौरान प्राप्त कृषि आय तथा राजस्व व्यय के लिए अनुपयुक्त   | 7 |  |
| 8 | कोई अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)  | 8 |  |
| ऊ | पूर्व वर्ष के दौरान प्रयुक्त कुल राशि- राजस्व खाता [क15 + ख10 - ड2 - ड3 - ड4 - ड5 - ड6 - ड7 - ड8]  | ऊ |  |
| ए | 'ऊ' के बाहर गत वर्ष के दौरान राशि जो वास्तव में भुगतान नहीं की गई।   | ए |  |
| ऐ | राशि जो वास्तव में गत वर्ष के दौरान भुगतान की गई जो अन्य पूर्व वर्ष के दौरान अर्जित की गई थी किंतु पहले गत वर्ष में आय अनुप्रयोग के अनुसार दावा नहीं की गई | ऐ |  |
| ओ | आवेदन के रूप में स्वीकृत की जाने वाली कुल राशि (ओ = ऊ - ए + ऐ)   | ओ |  |

## अनुसूची ईसी

पूर्व वर्ष के दौरान भारत में पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए या न्यास/संस्था के कथित उद्देश्यों के लिए अनुप्रयुक्त रकम - पूंजीगत लेखा [इस तालिका में संदर्भित अ1 से अ8 में संदर्भित सभी स्रोतों से] [धारा 11 और धारा 12 के अधीन या धारा 10(23ग)(iv)/(v)/(vi)/(vिक) के अधीन फाइल किया जाए]

|   |  |                            | रकम     |
|---|--|----------------------------|---------|
| 1 | कार्य में प्रगति पूंजी कार्य के लिए अतिरिक्त (उसके लिए जिसे धारा 11(1अ) के अधीन छूट के लिए दावा नहीं किया गया है)                      | 1                          |         |
| 2 | पूंजी आस्ति का अर्जन (आय के अनुप्रयोग के रूप में दावा नहीं किया गया तथा जिसके लिए धारा 11(1क) के अंतर्गत छूट का दावा नहीं किया गया है) | 2                          |         |
| 3 | धारा 11 (1क) के अधीन छूट के दावे के लिए नई आस्तियों की लागत (शुद्ध प्रतिफल तक निर्बंधित)   | 3                          |         |
| 4 | अन्य पूंजी व्यय  |                            |         |
|   | क्र. सं.   | प्रकृति                    | राशि    |
|   | i  |                            | 4i      |
|   | ii   |                            | 4ii     |
|   | iii  |                            | 4iii    |
|   | iv   | कुल व्यय (4i + 4ii + 4iii) | 4i<br>v |
| 5 | कुल पूंजी व्यय (1 + 2 + 3 + 4)   | 5                          |         |
| अ | पूंजी व्यय को पूरा करने के लिए निधि का स्रोत   |                            |         |
| 1 | पूर्व के दौरान संपत्ती से व्युत्पन्न आय (कॉर्पस को छोड़कर)   | अ<br>1                     |         |
| 2 | पूर्ववर्ती वर्षों में धारा 10(23ग) के तीसरे परंतुक या धारा 11(2) के अधीन संचित आय  | अ<br>2                     |         |
| 3 | किसी अन्य पूर्ववर्ती वर्ष में धारा 11(1) के स्पष्टीकरण 1 के खंड 2 के अधीन अनुप्रयुक्त आय   | अ<br>3                     |         |
| 4 | 15 प्रतिशत तक संचित या पृथक पूर्व वर्ष की आय   | अ<br>4                     |         |

|   |  |  |   |   |
|---|--|--|---|---|
|   | 5  | कॉर्पस   | अ | 5 |
|   | 6  | उधार ली गई निधि  | अ | 6 |
|   | 7  | वर्ष के दौरान प्राप्त कृषि आय तथा राजस्व व्यय के लिए अनुपयुक्त | अ | 7 |
|   | 8  | कोई अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)                              | अ | 8 |
| आ | पूर्व वर्ष के दौरान कुल राशि- पूंजी खाता [5 - अ2 - अ3 - अ4 - अ5 - अ6 - अ7 - अ8]  |  |   | आ |
| इ | 'आ' के बाहर गत वर्ष के दौरान राशि जो वास्तव में भुगतान नहीं की गई।   |  |   | इ |
| ई | राशि जो वास्तव में गत वर्ष के दौरान भुगतान की गई जो अन्य पूर्व वर्ष के दौरान अर्जित की गई थी किंतु पहले गत वर्ष में आय अनुप्रयोग के अनुसार दावा नहीं की गई |  |   | ई |
| उ | आवेदन के रूप में स्वीकृत की जाने वाली कुल राशि (उ = आ - इ + ई)   |  |   | उ |

|                       |   |  |  |
|-----------------------|---|--|--|
| <b>अनुसूची आई.ई-1</b> |   | आय और व्यय विवरण (धारा 10(21), धारा 10(22ख), धारा 10(23कक), धारा 10(23ख), धारा 10(23घ), धारा 10(23चक), धारा 10(23डग), धारा 10(23डच), धारा 10(23डड), 10(23चख), धारा 10(29क), धारा 10(46), धारा 10(47) के अधीन और धारा 10 के अन्य खंड के अधीन छूट का दावा करने वाले निर्धारितियों को लागू, जहां आय बिना शर्त छूट प्राप्त है) |  |
| 1                     | कोई स्वैच्छिक अभिदाय सहित कुल प्राप्तियां | 1  |  |
| 2                     | संस्था के उद्देश्य के मद्दे आय का उपयोग   | 2  |  |
| 3                     | संचित आय                                  | 3  |  |

|                       |   |  |   |
|-----------------------|---|--|---|
| <b>अनुसूची आई.ई-2</b> |   | आय और व्यय विवरण (धारा 10(23क), धारा 10(24) के अधीन छूट का दावा करने वाले निर्धारितियों को लागू)                                     |   |
| अ                     | 1 | कोई स्वैच्छिक अभिदाय सहित कुल प्राप्तियां  | 1   |
|                       | 2 | संस्था के उद्देश्य के मद्दे आय का उपयोग  | 2   |
|                       | 3 | संचित आय   | 3   |
| आ                     | 1 | क्या आपकी कोई ऐसी आय है जो कराधेय है? यदि हां तो कृपया कराधेय के ब्यौरे उपलब्ध कराएं (चिह्निकित) <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं    |
|                       | क | गृह संपत्ति से आय (यदि हां, कृपया अनुसूची एच.पी भरें)  | 1क <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं |
|                       | ख | कारबार या वृत्ति से आय (यदि हां, कृपया अनुसूची बी.पी भरें)   | 1ख <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं |
|                       | ग | पूंजीलाभ से आय (यदि हां, कृपया अनुसूची सी.जी भरें)   | 1ग <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं |
|                       | घ | अन्य स्रोत से आय (यदि हां, कृपया अनुसूची ओ.एस भरें)  | 1घ <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं |

|                       |   |   |  |
|-----------------------|---|---|--|
| <b>अनुसूची आई.ई-3</b> |   | आय एवं व्यय विवरण [निर्धारिती के लिए लागू जो धारा 10(23ग)(iiiकख) या 10(23ग)(iiiकग)] के अधीन छूट का दावा कर रहा है (कृपया प्रत्येक संस्थान के लिए अलग से पता दर्ज करें): |  |
| 1                     | संस्था के उद्देश्य (ड्रापडाउन उपलब्ध किया जाए-शिक्षा/चिकित्सा): |   |  |
| 2                     | पता जहां क्रियाकलाप किए जाते हैं                                |   |  |
| 3                     | किसी स्वैच्छिक अभिदाय सहित कुल प्राप्तियां                      |   |  |
| 4                     | उपरोक्त क्रम सं.3 में से सरकारी अनुदान                          |   |  |
| 5                     | उद्देश्य के लिए अनुप्रयोजित रकम                                 |   |  |
| 6                     | संचित अतिशेष  |   |  |

|                       |   |  |  |
|-----------------------|---|--|--|
| <b>अनुसूची आई.ई-4</b> |   | आय एवं व्यय विवरण [निर्धारिती के लिए लागू जो धारा 10(23ग)(iiiकघ) या 10(23ग)(iiiड)] के अधीन छूट का दावा कर रहा है (कृपया प्रत्येक संस्थान के लिए अलग से पता दर्ज करें): |  |
| 1                     | संस्था के उद्देश्य (ड्रापडाउन उपलब्ध किया जाए-शिक्षा/चिकित्सा): |  |  |
| 2                     | पता जहां क्रियाकलाप किए जाते हैं                                |  |  |
| 3                     | सकल वार्षिक प्राप्तियां   |  |  |
| 4                     | उद्देश्य के लिए अनुप्रयोजित रकम                                 |  |  |
| 5                     | संचित अतिशेष  |  |  |

**अनुसूची गृह संपत्ति** गृह संपत्ति से प्राप्त आय का ब्यौरा (कृपया अनुदेशों को देखें) (संपत्ति का स्वामित्व उपदर्शित करते हुए ड्रापडाउन उपलब्ध किया जाए)

|  |   |  |  |  |  |   |  |
|--|---|--|--|--|--|---|--|
| गृह संपत्ति  | 1   |  | संपत्ति 1 का पता   | नगर/ शहर   | राज्य  | पिन कोड / जिप कोड   |  |
|  | क्या संपत्ति सह-स्वामित्वाधीन है ? हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> (यदि हां तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रविट करें)                                |  |  |  |  |   |  |
|  | संपत्ति में आपके अंश की प्रतिशतता <input type="text"/>  |  |  |  |  |   |  |
|  | सह स्वामी (स्वामियों) का नाम  |  | सह स्वामी (स्वामियों) का स्थायी खाता संख्याक/ आधार सं.             |  | संपत्ति में अंश की प्रतिशतता                             |   |  |
|  | I   |  |  |  |  |   |  |
|  | II  |  |  |  |  |   |  |
|  | /लागू विकल्प पर <input checked="" type="checkbox"/> का निशान लगाएं (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/>   |  | किराएदार का नाम  | किराएदार का स्थायी खाता संख्या(पैन)/ आधार सं. (यदि उपलब्ध हों) |  | किरायदार (रों) का पैन/टैन/ आधार सं. (यदि टीडीएस प्रत्यय का दावा किया जाता है) |  |
|  | <input type="checkbox"/> यदि किराए पर हो  |  | यदि किराये पर हो(  |  |  |   |  |
|  | <input type="checkbox"/> स्वयं के उपभोग में   |  | I  |  |  |   |  |
|  | <input type="checkbox"/> किराये पर दिया हुआ समझा गया  |  | II   |  |  |   |  |
|  | क   | सकल प्राप्त या प्राप्य या किराए योग्य मूल्य                        |  |  |  | 1क  |  |
|  | ख   | किराए की रकम जो वसूल नहीं की जा सकती                               |  | 1ख   |  |   |  |
|  | ग   | स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर                                 |  | 1ग   |  |   |  |
|  | घ   | योग (1ख + 1ग)  |  | 1घ   |  |   |  |
|  | ङ   | वार्षिक मूल्य (1 क - 1 घ)  |  |  |  | 1ङ  |  |
|  | च   | स्वामित्व संपत्ति का वार्षिक मूल्य (स्वामित्व भाग का प्रतिशत x 1ङ) |  |  |  | 1च  |  |
|  | छ   | 1च का 30%  |  | 1छ   |  |   |  |
|  | ज   | उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज                                    |  | 1ज   |  |   |  |
|  | झ   | योग (1छ + 2ज)  |  | 1झ   |  |   |  |
|  | ञ   | वर्ष के दौरान 30% से कम प्राप्त बकाया/वसूलनीय किराया               |  |  |  | 1ञ  |  |
| ट  | गृह संपत्ति 1 से आय (1ङ - 1ज + 1झ)  |  |  |  | 1ट   |   |  |
| 2  |   | संपत्ति 2 का पता   | नगर/ शहर   | राज्य  | पिन कोड / जिप कोड  |   |  |
| क्या संपत्ति सह-स्वामित्वाधीन है ? हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> (यदि हां तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रविट करें) |   |  |  |  |  |   |  |
| संपत्ति में अंश की प्रतिशतता <input type="text"/>  |   |  |  |  |  |   |  |
| सह-स्वामी (स्वामियों) का नाम   |   | सह स्वामी (स्वामियों) का स्थायी खाता संख्याक/ आधार सं.             |  | संपत्ति में अंश की प्रतिशतता                                   |  |   |  |
| I  |   |  |  |  |  |   |  |
| II   |   |  |  |  |  |   |  |
| /लागू विकल्प पर <input checked="" type="checkbox"/> का निशान लगाएं (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/>                    |   | किराएदार का नाम  | किराएदार का स्थायी खाता संख्या(पैन)/ आधार सं. (कृपया टिप्पण देखें) |  | किरायदार (रों) का पैन/टैन/ आधार सं. (कृपया टिप्पण देखें) |   |  |
| <input type="checkbox"/> यदि किराए पर हो   |   | यदि किराये पर हो(  |  |  |  |   |  |
| <input type="checkbox"/> स्वयं के उपभोग में  |   | I  |  |  |  |   |  |
| <input type="checkbox"/> किराये पर दिया हुआ समझा गया   |   | II   |  |  |  |   |  |
| क  | सकल प्राप्त या प्राप्य या किराए योग्य मूल्य (यदि पूरे वर्ष के लिए किराए पर दी गई है, तो दोनों में अधिकतम, यदि वर्ष के किसी भाग के लिए किराए पर दी गई है तो दोनों में न्यूनतम) |  |  |  | 2क   |   |  |
| ख  | किराए की रकम जो वसूल नहीं की जा सकती  |  | 2ख   |  |  |   |  |
| ग  | स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर  |  | 2ग   |  |  |   |  |
| घ  | योग (2ख + 2ग)   |  | 2घ   |  |  |   |  |
| ङ  | वार्षिक मूल्य (2क - 2घ)   |  |  |  | 2ङ   |   |  |
| च  | स्वामित्व संपत्ति का वार्षिक मूल्य (स्वामित्व भाग का प्रतिशत x 2ङ)  |  |  |  | 2च   |   |  |
| छ  | 1च का 30%   |  | 2छ   |  |  |   |  |
| ज  | उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज   |  | 2ज   |  |  |   |  |

|   |  |    |
|---|--|----|
|   | अ योग (2छ + 2ज)  | 2झ |
|   | ब वर्ष के दौरान 30% से कम प्राप्त बकाया/वसूलनीय किराया   | 2ञ |
|   | ट गृह संपत्ति 2 से आय (2ड - 2ज + 2ञ)   | 2ट |
| 3   | आय/क्षति के जरिए पास, यदि कोई हो *   | 3  |
| 4   | “गृह संपत्ति से आय” शीर्ष के अधीन आय (1झ + 2झ + 3) (यदि नकारात्मक है तो अनुसूची सी.वाई.एल.ए का अंक 2झ लें) | 4  |
| <b>टिप्पण</b> ▶ किरायदार की स्थायी खाता संख्या/ आधार सं. देना आज्ञापक है, यदि धारा 194-झ के अधीन कर की कटौती की गई है।<br>किरायदार का टीएएन देना आज्ञापक है, यदि धारा 194-झ के अधीन कर की कटौती की गई है। |  |    |

## अनुसूची-पूँजी अभिलाम

## पूँजी अभिलाम

|                       |  |  |  |              |     |                                  |               |  |
|-----------------------|--|--|--|--------------|-----|----------------------------------|---------------|--|
| क                     | लघु अवधि पूँजी अभिलाम ( एसटीसीजी) (उप-मद 4 और 5 निवासियों के लिए लागू नहीं है)   |  |  |              |     |                                  |               |  |
| 1                     | भूमि या भवन या दोनों के विक्रय से (प्रत्येक संपत्ति के लिए पृथक रूप से ब्यौरे भरे)   |  |  |              |     |                                  |               |  |
| लघु अवधि पूँजी अभिलाम | क  | i  | प्राप्त/प्राप्य प्रतिफल का पूरा मूल्य  | का           |     |                                  |               |  |
|                       |  | ii   | स्टॉप मूल्यांकन प्राधिकारी के अनुसार संपत्ति का मूल्य  | कii          |     |                                  |               |  |
|                       |  | iii  | पूँजी अभिलाम के प्रयोजन के लिए धारा 50ग के अनुसार अंगीकृत प्रतिफल का पूरा मूल्य<br>(यदि (कii) 1.10 गुणा (कi), से अधिक नहीं है तो इस आंकड़ों को (कi) के रूप में लें या अन्यथा (कii) के रूप में लें) | कiii         |     |                                  |               |  |
|                       | ख  | धारा 48 के अधीन कटौतियां   |  |              |     |                                  |               |  |
|                       |  | i  | सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत  | ख i          |     |                                  |               |  |
|                       |  | ii   | सूचीकरण के बिना सुधार की लागत  | ख ii         |     |                                  |               |  |
|                       |  | iii  | पूर्णतया और अन्यतः अंतरण के संबंध में व्यय   | ख iii        |     |                                  |               |  |
|                       |  | iv   | योग ( ख i + ख ii + ख iii)  | ख iv         |     |                                  |               |  |
|                       | ग  | तुलन कiii - ख iv)  |  |              |     |                                  | 1 ग           |  |
|                       | घ  | धारा 54 घ / 54 छ/54 छक के अधीन कटौती ( नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें )     |  |              |     |                                  | 1 घ           |  |
| ङ                     | स्थावर संपत्ति पर लघु अवधि पूँजी अभिलाम (1 ग - 1 घ)  |  |  |              |     | क 1 ड                            |               |  |
| च                     | अचल संपत्ति के अंतरण के मामले में कृपया निम्नलिखित ब्यौरे दें (टिप्पण देखें)   |  |  |              |     |                                  |               |  |
|                       | क्र. सं.   | क्रेता(क्रेताओं) के नाम  | क्रेता(क्रेताओं) का पैन/ आधार सं.  | शेयर प्रतिशत | रकम | संपत्ति का पता, देश कोड, जिप कोड | पिन कोड राज्य |  |
|                       | <b>टिप्पण</b> ▶ यदि कर धारा 194झक के अधीन काटा गया है तो पैन/ देना अनिवार्य है<br>एक से अधिक क्रेता की दशा में कृपया सम्बन्धित शेयर प्रतिशत और रकम उपदर्शित करें   |  |  |              |     |                                  |               |  |
| 2                     | रत्न विक्री से   |  |  |              |     |                                  |               |  |
| लघु अवधि पूँजी अभिलाम | क  | i  | नियम 11प.क.ड(2) के अनुसार उचित बाजार मूल्य   | 2कi          |     |                                  |               |  |
|                       |  | ii   | नियम 11प.क.ड(3) के अनुसार उचित बाजार मूल्य   | 2कii         |     |                                  |               |  |
|                       |  | iii  | प्रतिफल का पूरा मूल्य (कi या कii का अधिकतम)  | 2कiii        |     |                                  |               |  |
|                       | ख  | वचनबंध या विभाजन का शुद्ध मूल्य  |  |              |     |                                  | 2 ख           |  |
|                       | ग  | रत्न की विक्री से लघु अवधि पूँजी अभिलाम (2कiii - 2 ख)                              |  |              |     |                                  | क 2 ग         |  |
| 3                     | इक्विटी शेयर या पारस्परिक निधि (एमएफ) उन्मुख इक्विटी की इकाई से, या कारवार न्यास की इकाई, जिस पर धारा 111क या धारा 115कघ(1)(ii) के परंतुक (विदेशी के लिए) के अधीन एसटीटी संदत्त किया गया है  |  |  |              |     |                                  |               |  |
| लघु अवधि पूँजी अभिलाम | क  | प्रतिफल का पूरा मूल्य  |  |              |     |                                  | 3 क           |  |
|                       | ख  | धारा 48 के अधीन कटौतियां   |  |              |     |                                  |               |  |
|                       |  | i  | सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत  | ख i          |     |                                  |               |  |
|                       |  | ii   | सूचीकरण के बिना सुधार की लागत  | ख ii         |     |                                  |               |  |
|                       |  | iii  | पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय   | ग iii        |     |                                  |               |  |
|                       |  | iv   | योग(i + ii + iii)  | ख iv         |     |                                  |               |  |
| ग                     | शे (3 क - ख iv)  |  |  |              |     | 3 ग                              |               |  |
| घ                     | धारा 94(7) या धारा 94(8)- के अधीन अननुज्ञेय हानि- उदाहरण के लिए यदि आस्ति को अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय/अर्जित किया जाता है और लाभांश/आय/बोनस युनिटों को प्राप्त किया जाता है तब ऐसी आस्ति के विक्रय से उद्भूत हानि की अनदेखी की जाएगी (केवल सकारात्मक मूल्य दर्ज करें ) |  |  |              |     | 3 घ                              |               |  |
| ङ                     | साम्या शेयर या साम्या उन्मुख एमएफ पर लघु अवधि पूँजी अभिलाम ( एसटीटी संदत्त) (3 ड + 3 घ)  |  |  |              |     | क 3 ड                            |               |  |
| 4                     | अनिवासियों के लिए जो एफ आईआई नहीं है किसी भारतीय कंपनी के शेयरों या लाभांशों के विक्रय से (जिसकी संगणना धारा 48 के प्रथम परंतुक के अधीन विदेशी मुद्रा समायोजन के साथ की जाएगी)   |  |  |              |     |                                  |               |  |
|                       | क  | संव्यवहारों पर एसटीसीजी जिनकपर प्रतिभूति संव्यवहार कर ( एसटीटी) संदत्त किया गया है |  |              |     |                                  | क 4           |  |



|   |  |   |  |                                     |   |
|---|--|---|--|-------------------------------------|---|
|   | ख संयवहारों पर एसटीसीजी जिनकपर प्रतिभूति संयवहार कर ( एसटीटी) संदत्त नहीं किया गया है  | क 4 ख   |  |                                     |   |
| 5 | अनिवारियों की दशा में-धारा 115कघ के अनुसार किसी एफआईआई द्वारा प्रतिभूतियों के विक्रय (ऊपर ए 3 से भिन्न)  |   |  |                                     |   |
|   | क प्रतिभूतियों जिनमें कोटा किए जाने वाले शेयर के अतिरिक्त कंपनी के शेयर सम्मिलित हैं, के विक्रय की दशा में निम्नलिखित ब्यौरा दीजिए:-   |   |  |                                     |   |
|   | क कोटा नहीं किए जाने वाले शेयर के संबंध में प्राप्त/प्राप्त करने योग्य प्रतिफल का पूरा मूल्य।  | क i   |  |                                     |   |
|   | ख विहित रीति से अवधारित कोट न किए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य   | क ii  |  |                                     |   |
|   | ग पूंजी अभिलाभ के उद्देश्य के लिए धारा 50गक के अनुसार कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य (क या ख से अधिक)   | क iii   |  |                                     |   |
|   | ii कोट न किए जाने वाले शेयरों के अतिरिक्त प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य  | क ii  |  |                                     |   |
|   | iii कुल (iग + ii)  | क iii   |  |                                     |   |
|   | ख धारा 48 के अधीन कटौतियां   |   |  |                                     |   |
|   | i सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत  | ख i   |  |                                     |   |
|   | ii सूचीकरण के बिना सुधार की लागत   | ख ii  |  |                                     |   |
|   | iii पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय   | ख iii   |  |                                     |   |
|   | iv योग (i + ii + iii)  | ख iv  |  |                                     |   |
|   | ग शे (5 क iii- ख iv)   | 5 ग   |  |                                     |   |
|   | घ धारा 94(7) या धारा 94(8)- के अधीन अननुज्ञेय हानि- उदाहरण के लिए यदि आस्ति को अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय/अर्जित किया जाता है और लाभ/आय/बोनस युनिटों को प्राप्त किया जाता है तब ऐसी आस्ति के विक्रय से उद्भूत हानि की अनदेखी की जाएगी (केवल सकारात्मक मूल्य दर्ज करें)   | 5 घ   |  |                                     |   |
|   | ङ साम्या शेयर या साम्या उन्मुख एमएफ पर लघु अवधि पूंजी अभिलाभ ( एसटीटी संदत्त) (3 ङ +3 घ)   | क 5 ङ   |  |                                     |   |
| 6 | पूर्वोक्त क 1 या क 2 या क 3 या क 4 या क 5 से भिन्न आस्तियों के विक्रय से   |   |  |                                     |   |
|   | क आस्तियों जिनमें कोटा किए जाने वाले शेयर के अतिरिक्त कंपनी के शेयर सम्मिलित हैं, के विक्रय की दशा में निम्नलिखित ब्यौरा दीजिए:-   |   |  |                                     |   |
|   | क कोटा नहीं किए जाने वाले शेयर के संबंध में प्राप्त/प्राप्त करने योग्य प्रतिफल का पूरा मूल्य।  | क i   |  |                                     |   |
|   | ख विहित रीति से अवधारित कोट न किए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य   | क ii  |  |                                     |   |
|   | ग पूंजी अभिलाभ के उद्देश्य के लिए धारा 50गक के अनुसार कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य (क या ख से अधिक)   | क iii   |  |                                     |   |
|   | ii कोट न किए जाने वाले शेयरों के अतिरिक्त आस्तियों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य  | क ii  |  |                                     |   |
|   | iii कुल (iग + ii)  | क iii   |  |                                     |   |
|   | ख धारा 48 के अधीन कटौतियां   |   |  |                                     |   |
|   | i सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत  | ख i   |  |                                     |   |
|   | ii सूचीकरण के बिना सुधार की लागत   | ख ii  |  |                                     |   |
|   | iii पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय   | ख iii   |  |                                     |   |
|   | iv योग (i + ii + iii)  | ख iv  |  |                                     |   |
|   | ग शे (6 क iii - ख iv)  | 6 ग   |  |                                     |   |
|   | घ धारा 94(7) या धारा 94(8)- के अधीन अननुज्ञेय हानि- उदाहरण के लिए यदि आस्ति को अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय/अर्जित किया जाता है और लाभ/आय/बोनस युनिटों को प्राप्त किया जाता है तब ऐसी आस्ति के विक्रय से उद्भूत हानि की अनदेखी की जाएगी (केवल सकारात्मक मूल्य दर्ज करें)   | 6 घ   |  |                                     |   |
|   | ङ अग्रणी आस्तियों पर माना गया अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ ( अनुसूची डीसीजीका 6)  | 6 ङ   |  |                                     |   |
|   | च धारा 54 घ/54 छ/54 छक के अधीन कटौती   | 6 च   |  |                                     |   |
|   | छ पूर्वोक्त क 1 या क 2 या क 3 या क 4 या क 5 से भिन्न आस्तियों पर एसटीसी जी (6 ग + 6 घ + 6 ङ + 6 च)   | क 6 छ   |  |                                     |   |
| 7 | अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि  |   |  |                                     |   |
|   | क क्या नीचे दिखाए गए पूर्व वॉ के दौरान अंतरित आस्तियों पर पूंजी अभिलाभ की उपयोग में नहीं लायी जा सकी किसी राशि को उस वॉ के लिए देय तारीख के भीतर पूंजी अभिलाभ खाता स्कीम में जमा किया गया है?<br><input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> लागू नहीं होता, यदि हां, तो ब्यौरा उपलब्ध कराएं |   |  |                                     |   |
|   | क्रम सं.   | पूर्व वॉ में जिसमें आस्तियां अंतरित की गई है                                      | वह धारा जिसके अधीन उस वॉ में कटौती का दावा किया गया है | नई आस्तियां अर्जित/निर्मित की गई है | नई आस्तियों के लिए उपयोग नहीं की गई या पूंजी अभिलाभ खाता (x) में उपयोग में नहीं लाई गई बची हुई राशि |
|   | i  | 2018-19   | 54घ/54छ/54छक   |                                     |   |
|   | ख  | धारा 54 ख /54 घ /54 छ / 54 छ  | क से भिन्न लघु अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि          |                                     |   |
|   |  | धारा 54 ख /54 घ /54 छ / 54 छ लघु अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि (कxi+ ख)          |  |                                     | क7  |
| 8 | अल्पावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए प्राप्त (अनुसूची पीटीआई भरे) (क8क+ क8ख+क8ग)  |   |  |                                     | क8  |
|   | क  | 15%की दर से प्रभार्य अल्पावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास  |  |                                     | क8 क  |
|   | ख  | 30% की दर से प्रभार्य अल्पावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास |  |                                     | क8  |

| क्र. सं. | क्रेता(क्रेताओं) के नाम  | क्रेता(क्रेताओं) का पैन / आधार नं.  | शेयर प्रतिशत                               | रकम               | संपत्ति का पता, देश कोड, ज़िप कोड | पिन कोड  | राज्य                             |                      |                           |                  |
|----------|--|---|--|-------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|----------------------|---------------------------|------------------|
| ग        | लागू दरों पर प्रभार्य अल्पावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास  |   |  |                   | क8ग                               |  |                                   |                      |                           |                  |
| 9        | एसटीसीजी की रकम जो क1-क8 में सम्मिलित है परंतु डीटीए के अनुसार भारत में कर प्रभार्य नहीं है या विशेषा दर पर कर प्रभार्य है:    |   |  |                   |                                   |  |                                   |                      |                           |                  |
|          | क्रम सं.   | आय की राशि  | उपरोक्त पद सं. का से क8 जिसमें सम्मिलित है | देश का नाम और कोड | डीटीए की धारा                     | संघि के अनुसार दर ( यदि प्रभार्य नहीं है तो शून्य लिखें) | क्या टीआरसी प्राप्त है ( हॉ/नहीं) | आयकर अधिनियम की धारा | आयकर अधिनियम के अनुसार दर | लागू दर (6) य(9) |
|          | (1)  | (2)   | (3)  | (4)               | (5)                               | (6)  | (7)                               | (8)                  | (9)                       | (10)             |
|          | I  |   |  |                   |                                   |  |                                   |                      |                           |                  |
|          | II   |   |  |                   |                                   |  |                                   |                      |                           |                  |
| क        | डीटीए के अधीन भारत एसटीसीजी प्रभार्य कर की कुल राशि  |   |  |                   |                                   |  |                                   |                      |                           | क9क              |
| ख        | डीटीए के अनुसार भारत में विनिर्दिष्ट दरों पर कर से प्रभार्य एसटीसीजी की कुल रकम  |   |  |                   |                                   |  |                                   |                      |                           | क9ख              |
| 10       | कुल लघु अवधि पूंजी अभिलाभ ( क1 ड+ क2 ग+ क3 ड+ क4 क+ क4 ख+ क5 ड+ क6 छ+ क7 + क 8 - क9क)  |   |  |                   |                                   |  |                                   |                      |                           | क 10             |
| ख        | दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ (एलटीसीजी) (निवासियों के लिए उप-मद 5, 6, 7, 8 और 9 लागू नहीं हैं )                                     |   |  |                   |                                   |  |                                   |                      |                           |                  |
| 1        | भूमि या भवन या दोनों के विक्रय से (प्रत्येक संपत्ति के लिए ब्यौरे पृथक रूप से भरें)  |   |  |                   |                                   |  |                                   |                      |                           |                  |
| क        | i  | प्राप्त/प्राप्य प्रतिफल का पूरा मूल्य   |  |                   |                                   |  |                                   | कi                   |                           |                  |
|          | ii   | स्टॉप मूल्यांकन प्राधिकारी के अनुसार संपत्ति का मूल्य   |  |                   |                                   |  |                                   | कii                  |                           |                  |
|          | iii  | पूँजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50ग के अनुसार अंगीकृत प्रतिफल का पूरा मूल्य यदि (कii) 1.10 गुणा (कi), से अधिक नहीं है तो इस आंकड़ें को (कi) के रूप में लें या अन्यथा (कii) लें। |  |                   |                                   |  |                                   | कiii                 |                           |                  |
| ख        | धारा 48 के अधीन कटौतियाँ   |   |  |                   |                                   |  |                                   |                      |                           |                  |
|          | i  | सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत   |  |                   |                                   |  |                                   | ख i                  |                           |                  |
|          | ii   | सूचीकरण के बिना सुधार की लागत   |  |                   |                                   |  |                                   | ख ii                 |                           |                  |
|          | iii  | पूर्णतया और अन्यतः अंतरण के संबंध में व्यय  |  |                   |                                   |  |                                   | ख iii                |                           |                  |
|          | iv   | योग ( ख i + ख ii + ख iii)   |  |                   |                                   |  |                                   | ख iv                 |                           |                  |
| ग        | शो ( क iii - ख iv)   |   |  |                   |                                   |  | 1 ग                               |                      |                           |                  |
| घ        | धारा 54 ग / 54 डग/54 छ /54 छक के अधीन कटौती ( नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें )  |   |  |                   |                                   |  | 1 घ                               |                      |                           |                  |
| ङ        | स्थावर संपत्ति पर दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ (1 ग - 1 घ)  |   |  |                   |                                   |  | ख 1 ड                             |                      |                           |                  |
| च        | अचल संपत्ति के अंतरण की दशा में, कृपया निम्नलिखित ब्यौरे दें (कृपया टिप्पण दें)  |   |  |                   |                                   |  |                                   |                      |                           |                  |
|          | क्र. सं.   | क्रेता(क्रेताओं) के नाम   | क्रेता(क्रेताओं) का पैन / आधार नं.         | शेयर प्रतिशत      | रकम                               | संपत्ति का पता, देश कोड, ज़िप कोड                        | पिन कोड                           | राज्य                |                           |                  |
|          | टिप्पण ▶   | यदि कर धारा 194झक के अधीन काटा गया है तो पैन/ आधार नं. देना अनिवार्य है । एक से अधिक क्रेता की दशा में कृपया सम्बन्धित शेयर प्रतिशत और रकम उपदर्शित करें ।                          |  |                   |                                   |  |                                   |                      |                           |                  |
| 2        | स्लमप विक्री से  |   |  |                   |                                   |  |                                   |                      |                           |                  |
| क        | i  | नियम 11प.क.ड(2) के अनुसार उचित बाजार मूल्य  |  |                   |                                   |  |                                   | 2कi                  |                           |                  |
|          | ii   | नियम 11प.क.ड(3) के अनुसार उचित बाजार मूल्य  |  |                   |                                   |  |                                   | 2कii                 |                           |                  |
|          | iii  | प्रतिफल का पूरा मूल्य (क i या क ii का अधिकतम)   |  |                   |                                   |  |                                   | 2कiii                |                           |                  |
| ख        | बचनबंध या विभाजन का शुद्ध मूल्य  |   |  |                   |                                   |  | 2 ख                               |                      |                           |                  |
| ग        | शो (2कiii - 2 ख)   |   |  |                   |                                   |  | 2 ग                               |                      |                           |                  |
| घ        | धारा 54ड.ग के अंतर्गत कटौती  |   |  |                   |                                   |  | 2 घ                               |                      |                           |                  |
| ङ        | स्लमप के विक्रय से दीर्घावधि पूंजी अभिलाभ (2 ग-2 घ)  |   |  |                   |                                   |  | ख 2 ड                             |                      |                           |                  |
| 3        | बंध पत्रों या डिबेंचरों विक्रय से (सरकार द्वारा जारी पूंजी सूचीकृत बंध पत्रों से भिन्न )                                       |   |  |                   |                                   |  |                                   |                      |                           |                  |
| क        | प्रतिफल का पूरा मूल्य  |   |  |                   |                                   |  | 3क                                |                      |                           |                  |
| ख        | धारा 48 के अधीन कटौतियाँ   |   |  |                   |                                   |  |                                   |                      |                           |                  |
|          | i  | सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत   |  |                   |                                   |  |                                   | ख i                  |                           |                  |
|          | ii   | सूचीकरण के बिना सुधार की लागत   |  |                   |                                   |  |                                   | ख ii                 |                           |                  |
|          | iii  | पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय  |  |                   |                                   |  |                                   | ख iii                |                           |                  |
|          | iv   | योग ( ख i + ख ii + ख iii)   |  |                   |                                   |  |                                   | ख iv                 |                           |                  |
| ग        | एलटीसीजी बंध पत्रों या डिबेंचरों पर दीर्घावधि पूंजी अभिलाभ (3क - 3 ख iv)   |   |  |                   |                                   |  | ख 3 ग                             |                      |                           |                  |
| 4        | सूचीबद्ध प्रतिभूतियाँ (कि सी यूनिट से भिन्न) या शून्य कूपन बंधपत्रों के विक्रय से जहां धारा 112(1)के अधीन परंतुक लागू होता है। |   |  |                   |                                   |  |                                   |                      |                           |                  |
| क        | प्रतिफल का पूरा मूल्य  |   |  |                   |                                   |  | 4क                                |                      |                           |                  |
| ख        | धारा 48 के अधीन कटौतियाँ   |   |  |                   |                                   |  |                                   |                      |                           |                  |

|    |  |  |                                     |                               |
|----|--|--|-------------------------------------|-------------------------------|
|    |  | i सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत  | ख i                                 |                               |
|    |  | ii सूचीकरण के बिना सुधार की लागत   | ख ii                                |                               |
|    |  | iii पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय   | ख iii                               |                               |
|    |  | iv योग ( ख i + ख ii + ख iii )  | ख iv                                |                               |
|    | ग  | पूर्वोक्त ख 4 पर आस्तियों पर दीर्घावधि पूंजी अभिलाभ (4क - 4 ख iv)  | ख 4 ग                               |                               |
| 5  | किसी कम्पनी में साधारण शेयर के विक्रय या साधारण अभिन्यास निधि इकाई या किसी कारबार न्यास की इकाई से जिस पर धारा 112क के अधीन एस टी टी संदत्त है   |  |                                     |                               |
|    | उपरोक्त ख5 पर पूंजीगत परिसंपत्तियों की बिक्री पर दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ  |  |                                     | ख5                            |
| 6  | अनिवासियों के लिए - भारतीय कंपनी के शेयरों या डिबेंचरों की विक्रय से (धारा 48 के प्रथम परंतुक के अधीन विदेशी मुद्रा समायोजन के साथ संगणित किया जाएगा)  |  |                                     |                               |
|    | सूचकांक (इंडेक्सेशन) लाभ के बिना संगणित शेयर अथवा डिबेंचर पर दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ  |  |                                     | ख 6                           |
| 7  | अनिवासियों के लिए - (i) धारा 112(1)( ग ), के अनुसार असूचीबद्ध प्रतिभूतियों, (ii) धारा 115कख में निर्दिष्ट यूनितों (iii) धारा 115कग में निर्दिष्ट बंध पत्रों या जीडीआर, (iv) धारा 115कघ में निर्दिष्ट एफआईआई प्रतिभूतियों के विक्रय से (धारा 112 क में विदिष्ट प्रतिभूतियों के सिवाय जिसके लिए सतभ ख8 भरा जाएगा ) |  |                                     |                               |
|    | क  | i प्रतिभूतियों जिनमें कोटा किए जाने वाले शेयर के अतिरिक्त कंपनी के शेयर सम्मिलित हैं, के विक्रय की दशा में निम्नलिखित ब्योरा दीजिए:-   |                                     |                               |
|    |  | क कोटा नहीं किए जाने वाले शेयर के संबंध में प्राप्त/प्राप्त करने योग्य प्रतिफल का पूरा मूल्य   | i क                                 |                               |
|    |  | ख विहित सीति से अवधारित कोट न किए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य   | i ख                                 |                               |
|    |  | ग पूंजी अभिलाभ के उद्देश्य के लिए धारा 50गक के अनुसार कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य (क या ख से अधिक)   | i ग                                 |                               |
|    |  | ii कोट न किए जाने वाले शेयरों के अतिरिक्त प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य  | क ii                                |                               |
|    |  | iii कुल (i ग + ii)   | क iii                               |                               |
|    | ख  | धारा 48 के अधीन कटौतियां   |                                     |                               |
|    |  | i सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत  | ख i                                 |                               |
|    |  | ii सूचीकरण के बिना सुधार की लागत   | ख ii                                |                               |
|    |  | iii पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय   | ख iii                               |                               |
|    |  | iv योग ( ख i + ख ii + ख iii )  | ख iv                                |                               |
|    | ग  | अनिवासियों की दशा में आस्तियों पर ऊपर 7 पर दीर्घावधि पूंजी अभिलाभ (क iii - ख iv)   | ख7 ग                                |                               |
| 8  | अनिवासियों के लिए किसी कम्पनी में साधारण शेयर के विक्रय या साधारण अभिन्यास निधि इकाई या किसी कारबार न्यास की इकाई से जिस पर धारा 112क के अधीन एस टी टी संदत्त है   |  |                                     |                               |
|    | उपरोक्त ख8 पर पूंजीगत परिसंपत्तियों की बिक्री पर दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ  |  |                                     | ख8                            |
| 9  | आस्तियों के विक्रय से जहां ऊपर ख 1 से ख 8 लागू नहीं होते हैं   |  |                                     |                               |
|    | क  | i आस्तियों जिनमें कोटा किए जाने वाले शेयर के अतिरिक्त कंपनी के शेयर सम्मिलित हैं, के विक्रय की दशा में निम्नलिखित ब्योरा दीजिए:-   |                                     |                               |
|    |  | क कोटा नहीं किए जाने वाले शेयर के संबंध में प्राप्त/प्राप्त करने योग्य प्रतिफल का पूरा मूल्य   |                                     |                               |
|    |  | ख विहित सीति से अवधारित कोट न किए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य   |                                     |                               |
|    |  | ग पूंजी अभिलाभ के उद्देश्य के लिए धारा 50गक के अनुसार कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य (क या ख से अधिक)   | i ग                                 |                               |
|    |  | ii कोट न किए जाने वाले शेयरों के अतिरिक्त आस्तियों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य  |                                     |                               |
|    |  | iii कुल (i ग + ii)   | क iii                               |                               |
|    | ख  | धारा 48 के अधीन कटौतियां   |                                     |                               |
|    |  | i सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत  | ख i                                 |                               |
|    |  | ii सूचीकरण के बिना सुधार की लागत   | ख ii                                |                               |
|    |  | iii पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय   | ख iii                               |                               |
|    |  | iv योग ( ख i + ख ii + ख iii )  | ख iv                                |                               |
|    | ग  | शे (9 क iii - ख iv)  | 7 ग                                 |                               |
|    | घ  | धारा 54घ/धारा 54छ /धारा 54खक के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्योरे विनिर्दिष्ट करें)   | 7 घ                                 |                               |
|    | ङ  | ऊपर ख 9 पर आस्तियों पर दीर्घावधि पूंजी अभिलाभ (9ग - 9घ)  | ख 9 ङ                               |                               |
| 10 | दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि   |  |                                     |                               |
|    | क  | क्या नीचे दिखाए गए पूर्व वां के दौरान अंतरित आस्तियों पर पूंजी अभिलाभ की उपयोग में नहीं लायी जा सकी किसी राशि को उस वां के लिए देय तारीख के भीतर पूंजी अभिलाभ खाता स्कीम में जमा किया गया है?<br><input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> लागू नहीं होता, यदि हां, तो ब्योरा उपलब्ध कराएं |                                     |                               |
|    | क्रम   | पूर्व वां में जिसमें वह धारा जिसके अधीन उस   | नई आस्तियां अर्जित/निर्मित की गई है | नई आस्तियों के लिए उपयोग नहीं |

| सं.      | आस्तियां अंतरित की गई है   | वां में जिसमें दावा कटौती कटौती का दावा किया गया है। | वां जिसमें आस्तियां अर्जित/निर्मित की गई है | पूंजी अभिलाभ खाता में से उपयोग की गई राशि | की गई या पूंजी अभिलाभ खाता (भ) में उपयोग में नहीं लाई गई बची हुई राशि |                                    |                      |                           |                  |
|----------|--|--|---|---|---|------------------------------------|----------------------|---------------------------|------------------|
| i        | 2018-19  | 54घ/54छ/54छक   |   |   |   |                                    |                      |                           |                  |
| ख        | क से भिन्न दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि  |  |   |   |   |                                    |                      |                           |                  |
|          | दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि (क xi+ख)  |  |   |   |   | ख10                                |                      |                           |                  |
| 11       | दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास (अनुसूची पीटीआई भरे)(ख12क1+ख12क2 + ख12ख)  |  |   |   |   | ख11                                |                      |                           |                  |
| क1       | धारा 112क के अंतर्गत 10 प्रतिशत की दर से प्रभार्य दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय के जरिए पास   |  |   | ख11क1                                     |   |                                    |                      |                           |                  |
| क2       | धारा 112क को छोड़कर 10 प्रतिशत की दर से प्रभार्य दीर्घावधिक पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय के जरिए पास   |  |   | ख11क2                                     |   |                                    |                      |                           |                  |
| ख        | दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ के रूप में पास थूँ आय 20 प्रतिशत की दर से प्रभार्य   |  |   | ख 11ख                                     |   |                                    |                      |                           |                  |
| 12       | एलटीसीजी की रकम जो ख1- ख11 में सम्मिलित है परंतु डीटीएए के अनुसार भारत में कर प्रभार्य नहीं है या विशेष दर पर कर प्रभार्य है: (अनुसूची एसआई को लिया जाना है) |  |   |   |   |                                    |                      |                           |                  |
| क्रम सं. | आय की राशि   | उपरोक्त पद सं. ख 1 से ख 11 जिसमें सम्मिलित है        | देश का नाम और कोड                           | डीटीएए की धारा                            | संधि के अनुसार दर ( यदि प्रभार्य नहीं है तो शून्य लिखें)              | क्या टीआरसी प्राप्त है ( हाँ/नहीं) | आयकर अधिनियम की धारा | आयकर अधिनियम के अनुसार दर | लागू दर (6 या 9) |
| (1)      | (2)  | (3)  | (4)   | (5)                                       | (6)   | (7)                                | (8)                  | (9)                       | (10)             |
| I        |  |  |   |   |   |                                    |                      |                           |                  |
| II       |  |  |   |   |   |                                    |                      |                           |                  |
| क        | डीटीएए के अधीन एलटीसीजी प्रभार्य कर की कुल राशि  |  |   |   |   |                                    |                      |                           | ख12क             |
| ख        | डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दर पर प्रभार्य एलटीसीजी की कुल राशि  |  |   |   |   |                                    |                      |                           | ख12ख             |
| 13       | कुल दीर्घावधि पूंजी अभिलाभ (ख 1ड + ख 2ड + ख 3 ग + ख 4 ग + ख 5 + ख 6 + ख 7 ग + ख 8घ - ख9ड + ख 10 + ख 11 - ख12क) (यदि क्षति हो तो ख13 को शून्य के रूप में लें) |  |   |   |   |                                    |                      |                           | ख 13             |
| ग        | “पूंजी अभिलाभ” शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (क 10 + ख13)  |  |   |   |   |                                    |                      |                           | ग                |
| घ        | पूंजी अभिलाभ के विरुद्ध दावाकृत कटौती की जानकारी   |  |   |   |   |                                    |                      |                           |                  |
| 1        | धारा 54घ / धारा 54ङग/ धारा 54छ /धारा 54छक के अधीन कटौती की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे दें।  |  |   |   |   |                                    |                      |                           |                  |
| क        | धारा 54 घ के अधीन दावाकृत कटौती  |  |   |   |   |                                    |                      |                           |                  |
| i        | मूल अस्ति के अर्जन की तारीख  |  |   | क i                                       | दिन/मास/वर्ष  |                                    |                      |                           |                  |
| ii       | औद्योगिक उपक्रम के लिए नए भूमि/भवन के क्रय/निर्माण की लागत   |  |   | क ii                                      |   |                                    |                      |                           |                  |
| iii      | नए भूमि या भवन के क्रय की तारीख  |  |   | क iii                                     | दिन/मास/वर्ष  |                                    |                      |                           |                  |
| iv       | नियत तारीख से पहले पूंजी अभिलाभ योजना में जमा राशि   |  |   | क iv                                      |   |                                    |                      |                           |                  |
| v        | दावाकृत कटौती की राशि  |  |   | क v                                       |   |                                    |                      |                           |                  |
| ख        | धारा 54 ड ग के अधीन दावाकृत कटौती  |  |   |   |   |                                    |                      |                           |                  |
| i        | मूल आस्ति के स्थानांतरण की तारीख   |  |   | ख i                                       | दिन/मास/वर्ष  |                                    |                      |                           |                  |
| ii       | विनिर्दिष्ट/अधिसूचित बंधपत्रों में विनिधान की गई रकम ( पचास लाख से ज्यादा नहीं)  |  |   | ख ii                                      |   |                                    |                      |                           |                  |
| iii      | निवेश की तारीख   |  |   | ख iii                                     | दिन/मास/वर्ष  |                                    |                      |                           |                  |
| iv       | दावाकृत कटौती की राशि  |  |   | ख iv                                      |   |                                    |                      |                           |                  |
| ग        | धारा 54 छ के अधीन दावाकृत कटौती  |  |   |   |   |                                    |                      |                           |                  |
| i        | शहरी क्षेत्रसे मूल आस्ति के स्थानांतरण की तारीख  |  |   | ग i                                       | दिन/मास/वर्ष  |                                    |                      |                           |                  |
| ii       | नई आस्ति के क्रय या निर्माण के लिए किए गए खर्च और लागत   |  |   | ग ii                                      |   |                                    |                      |                           |                  |
| iii      | शहरी क्षेत्र से भिन्न किसी क्षेत्र में खरीदी/बनाई गई आस्ति की तारीख  |  |   | ग iii                                     | दिन/मास/वर्ष  |                                    |                      |                           |                  |
| iv       | नियत तारीख के पहले पूंजी अभिलाभ खाता योजना में जमा की गई राशि  |  |   | ग iv                                      |   |                                    |                      |                           |                  |
| v        | दावाकृत कटौती की राशि  |  |   | ग v                                       |   |                                    |                      |                           |                  |
| घ        | धारा 54 छक के अधीन दावाकृत कटौती   |  |   |   |   |                                    |                      |                           |                  |
| i        | शहरी क्षेत्रसे मूल आस्ति के स्थानांतरण की तारीख  |  |   | घ i                                       | दिन/मास/वर्ष  |                                    |                      |                           |                  |
| ii       | नई आस्ति के क्रय या निर्माण के लिए किए गए खर्च और लागत   |  |   | घ ii                                      |   |                                    |                      |                           |                  |

|  |     |   |       |              |
|--|-----|---|-------|--------------|
|  | iii | एसईजेड में नई आस्ति के क्रय निर्माण की तारीख                  | घ iii | दिन/मास/वर्ष |
|  | iv  | नियत तारीख के पहले पूंजी अभिलाम खाता योजना में जमा की गई राशि | घ iv  |              |
|  | v   | दावाकृत कटौती की राशि   | घ v   |              |
|  | उ   | कुल दावाकृत कटौती (1क + 1ख + 1ग + 1घ)                         | 1 ड   |              |

| ड पूंजी अभिलाम चालू वा की पूंजी हानि को चालू वा के पूंजी अभिलाम के साथ मुजराई करना (क <sup>9</sup> तथा ख <sup>12</sup> क में सम्मिलित राशि को छोड़कर जो डीटीए के अंतर्गत प्रभार्य नहीं है) |  |   |   |                |  |          |  |   |          |  |
|--|--|---|---|----------------|--|----------|--|---|----------|--|
| क्र. सं.   | पूंजी अभिलाम का प्रकार   | चालू वा के अभिलाम (इस संतम्भ को केवल तभी भरें जब संगणित अंक सकारात्मक हो) | मुजराई की गई पूंजी हानि                                     |                |  |          | मुजराई की गई दीर्घ अवधि पूंजी हानि                             |   |          | मुजराई के पश्चात चालू वा के पूंजी अभिलाम 7= 1-2-3-4-5-6) |
|  |  |   | 15%   | 30%            | लागू दर  | डीटीए दर | 10%  | 20%   | डीटीए दर |  |
|  |  | 1   | 2   | 3              | 4  |          | 5  | 6   |          | 7  |
| i  | मुजराई की जाने वाली हानि (इस संतम्भ को केवल तभी भरें जब संगणित अंक नकारात्मक हो) |   | (अ3ड*+<br>अ4क*+<br>अ8क*)                                    | अ5ड*<br>+ अ8ख* | (अ1ड*+<br>अ2ग*+<br>अ4ख*+<br>अ6छ*+<br>अ7*+<br>अ8ग*) | अ9ख*     | आ4ग*+<br>आ5*+<br>आ7ग*+<br>आ8च*+<br>आ9ड*+<br>आ11क1*+<br>आ11क2*) | (आ1ड*+<br>आ2ड*+<br>आ3ग*+<br>आ6ग*+<br>आ7ड*+<br>आ10*+<br>आ11ख*) | आ12ख     |  |
| ii   |  | 15%   | (अ3ड*+ अ4क*+<br>अ8क*)                                       |                |  |          |  |   |          |  |
| iii  | लघु अवधि पूंजी अभिलाम  | 30%   | अ5ड*+ अ8ख*  |                |  |          |  |   |          |  |
| iv   |  | लागू दर   | (अ1ड*+<br>अ2ग*+<br>अ4ख*+ अ6छ*+<br>अ7*+ अ8ग*)                |                |  |          |  |   |          |  |
| v  |  | डीटीए दर  | अ9ख*  |                |  |          |  |   |          |  |
| vi   | दीर्घ अवधि पूंजी हानि  | 10%   | आ4ग*+<br>आ5*+ आ7ग*+<br>आ8च*+<br>आ9ड*+<br>आ11क1*+<br>आ11क2*) |                |  |          |  |   |          |  |
| vii  |  | 20%   | आ4ग*+<br>आ5*+ आ7ग*+<br>आ8च*+<br>आ9ड*+<br>आ11क1*+<br>आ11क2*) |                |  |          |  |   |          |  |
| viii   |  | डीटीए दर  | आ12ख  |                |  |          |  |   |          |  |
| ix   | मुजराई की गई कुल हानि (ii + iii + iv + v + vi+vii+viii)                          |   |   |                |  |          |  |   |          |  |
| x  | मुजराई के बाद शेष हानि (i - ix)  |   |   |                |  |          |  |   |          |  |

इस सारणी में एसटीसीजी के अंक (अ1ड\*) स्तंभ (अ1-अ8) में क्रमशः संग्रहित एसटीसीजी की वह रकम है जिसमें एसटीसीजी की रकम जो कि कर प्रदाय नहीं है या डीटीए के अनुसार विशेष दर पर प्रदाय है, धटाई गई है, सम्मिलित है, यदि कोई है।

इस सारणी में एलटीसीजी के अंक (अ1ड\*) स्तंभ (अ1-अ8) में क्रमशः संग्रहित एलटीसीजी की वह रकम है जिसमें एलटीसीजी की रकम जो कि कर प्रदाय नहीं है या डीटीए के अनुसार विशेष दर पर प्रदाय है, धटाई गई है, सम्मिलित है, यदि कोई है।

## अनुसूची-अन्य स्रोत

अन्य स्रोतों से आय

|   |  |  |      |
|---|--|--|------|
| 1 | सामान्य लागू दरों पर कर से प्रभाय सकल आय (1क + 1ख + 1ग + 1घ + 1ङ)  | 1  |      |
|   | क लाभांश, सकल (का + काि)   | 1क   |      |
|   | i धारा 2(22)(ड) के अधीन लाभांश आय  | काि  |      |
|   | ii (i) के अलावा लाभांश आय  | कािि   |      |
|   | ख ब्याज, सकल (खा + खाि + खािि + खाiv)  | 1ख   |      |
|   | i बचत बैंक से  | खा   |      |
|   | ii निक्षेपों से (बैंक/डाकघर/सहकारी/ सोसाइटी/)  | खाि  |      |
|   | iii आयकर प्रतिदाय से   | खािि   |      |
|   | iv आय/क्षति के जरिए पास की प्रकृति में   | खाiv   |      |
|   | v अन्य   | खv   |      |
|   | ग मशीनरी, संयंत्रों, भवनों से किराए की आय  | 1ग   |      |
|   | घ धारा 56 (2)(भ) में निर्दिष्ट में प्रकृति की आय जो कर से प्रभाय है (घा + घाि + घािि + घाiv + घाv)                     | 1घ   |      |
|   | i प्रतिफल के बिना प्राप्त धन राशि का सकल मूल्य   | घा   |      |
|   | ii यदि स्थावर संपत्ति बिना किसी प्रतिफल के प्राप्त की गई है, संपत्ति का स्टांप शुल्क मूल्य                             | घाि  |      |
|   | iii यदि स्थावर संपत्ति अपर्याप्त प्रतिफल के बिना प्राप्त की गई है, ऐसे प्रतिफल से आधिक्य संपत्ति का स्टांप शुल्क मूल्य | घािि   |      |
|   | iv प्रतिफल के बिना प्राप्त की गई अन्य संपत्तियों की दशा में संपत्ति का उचित बाजार मूल्य                                | घाiv   |      |
|   | v यदि अन्य संपत्ति बिना पर्याप्त प्रतिफल के प्राप्त की गई है, ऐसे प्रतिफल से आधिक्य संपत्ति का उचित बाजार मूल्य        | घाv  |      |
|   | ङ कोई अन्य आय (अलग प्रकृति)  | 1ङ   |      |
|   | क्रं.सं.   | प्रकृति  | राशि |
|   |  | धारा 10 के खंडों के अधीन छूट की अस्वीकृति के कारण आय |      |
|   |  | यथा अपेक्षित पंक्तियां जोड़ी जा सकती हैं             |      |
|   | ङ2 कोई अन्य आय (कृपया प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)  | 1ङ   |      |
| 2 | विशेष दरों पर प्रभाय आय (2क + 2ख + 2ग + 2घ + 2ङ क्रं.सं. 1 से संबंधित तत्व)  | 2  |      |
|   | क लॉटरी, वर्ग पहेली आदि जीतने से हुई आय  | 2क   |      |
|   | ख धारा 115खखड के अधीन प्रभाय आय (खा + खाि + खािि + खाiv + खv + खvi)  | 2ख   |      |
|   | i धारा 68 के अधीन उधार रोकड़   | खा   |      |
|   | ii धारा 69 के अधीन अस्पष्टीकृत विनिधान   | खाि  |      |
|   | iii धारा 69क के अधीन अस्पष्टीकृत धन आदि  | खािि   |      |
|   | iv धारा 69ख के अधीन अप्रकटित विनिधान आदि   | खाiv   |      |
|   | v धारा 69ग के अधीन अप्रकटित व्यय आदि   | खv   |      |
|   | vi धारा 69घ के अधीन हुंडी पर उधार ली गई रकम या पुनःसंदाय रकम   | खvi  |      |
|   | ग विशेष दर पर प्रभाय कोई अन्य (गि से गxiv का योग)  | 2ग   |      |
|   | i धारा 115क(1)(क)(i) के अधीन प्रभाय अनिवासी या विदेशी कंपनी द्वारा प्राप्त लाभांश                                      | गि   |      |
|   | ii धारा 115क(1)(क)(ii) के अधीन प्रभाय सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त विदेशी करेंसी पर ब्याज                       | गिि  |      |
|   | iii धारा 115क(1)(क)(iii) के अधीन प्रभाय अवसंरचनात्मक ऋण निधि   | गििि   |      |
|   | iv धारा 115क(1)(क)(iv) के अधीन प्रभाय धारा 194ठग(1) @5% में निर्दिष्ट ब्याज  | गiv  |      |
|   | v धारा 115क(1)(क)(v) के अधीन प्रभाय धारा 194 ठ ग(1) @4% में निर्दिष्ट ब्याज  | गv   |      |
|   | vi धारा 115क(1)(क)(vi) के अधीन प्रभाय धारा 194ठघ में निर्दिष्ट ब्याज   | गvi  |      |
|   | vii संवितरित आय जो धारा 115क(1)(क)(vii) के अधीन प्रभाय धारा 194ठकक में निर्दिष्ट ब्याज है                              | गvii   |      |

|      |  |       |  |
|------|--|-------|--|
| viii | धारा 115क(1)(क)(iii) के अधीन प्रभार्य विदेशी करों में क्रय की गई धारा 10(23घ) में विनिर्दिष्ट यूटीआई की यूनिटों या अन्य पारस्परिक आय   | गviii |  |
| ix   | धारा 115क(1)(ख) के अधीन प्रभार्य सरकारी या भारतीय समुधान से प्राप्त तकनीकी सेवाओं के लिए स्वामिस्व या फीस से आय                        | गix   |  |
| x    | धारा 115कग के अधीन प्रभार्य अनिवासी द्वारा विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए बांड के लाभांश पर आय  | गx    |  |
| xi   | धारा 115कग के अधीन प्रभार्य अनिवासी द्वारा विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए जी.डी.आर के लाभांश पर आय                                      | गxi   |  |
| xii  | धारा 115कघ(1)(i) के अधीन प्रभार्य प्रतिभूतियों के संबंध में (धारा 115कख में युनिटों से भिन्न) किसी एफआईआई द्वारा प्राप्त आय            | गxii  |  |
| xiii | धारा 194ठघ में निर्दिष्ट बंधपत्रों या सरकारी प्रतिभूतियों पर एफ.आई.आई दरों ब्याज द्वारा प्राप्त आय-धारा 115कघ(1)(i) के अनुसार प्रभार्य | गxiii |  |
| xiv  | धारा 115खखक के अधीन प्रभार्य अनिवासी खिलाड़ियों या खेल संगमों पर कर  | गxiv  |  |

घ विशेष दरों पर प्रभार्य अन्य स्रोतों से आय की प्रकृति में पासथू आय (डापडाउन उपलब्ध किया जाए)

2 घ

ङ ऊपर 1 और 2 में सम्मिलित रकम जो भारत में डीटीए के अनुसार विशेष दरों पर प्रभार्य है (नीचे की सारणी के स्तंभ 2 का योग)

2 ङ

| क्रम सं. | आय की रकम | मद सं.1क, 1ख से 1घ, 2क, 2ग और 2घ जिसमें सम्मिलित है | देश का नाम और कोड | डीटीए की मद | संधि के अनुसार दर (कुछ नहीं दर्ज करें, यदि प्रभार्य नहीं है) | क्या टीआरसी अभिप्राप्त किया गया है (हां/नहीं) | आय.कर अधिनियम की धारा | आय.कर अधिनियम के अनुसार दर | लागू दर (6 या 9 में से निम्नतर) |
|----------|-----------|---|-------------------|-------------|--|---|-----------------------|----------------------------|---------------------------------|
| (1)      | (2)       | (3)   | (4)               | (5)         | (6)  | (7)   | (8)                   | (9)                        | (10)                            |
| I        |           |   |                   |             |  |   |                       |                            |                                 |
| II       |           |   |                   |             |  |   |                       |                            |                                 |

3 धारा 57 के अधीन कटौतियां (उन कटौतियों से भिन्न जो 2क, 2ख, 2ग, 2घ और 2ङ के अधीन विशेष दरों पर प्रभार्य आय से संबंधित हैं)

|    |  |     |
|----|--|-----|
| क  | व्यय/ कटौतियां ("ग" में इंद्राज के अलावा)  | 3क  |
| ख  | अवक्षयण (तभी उपलब्ध, यदि आय "अनुसूची ओएस" की 1ग में प्रस्तुत की गई)                              | 3ख  |
| ग  | धारा 57(1) के अधीन लाभांश पर ब्याज व्यय (केवल तभी उपलब्ध जब 1(क) में प्रस्तावित आय-मूल्य इंद्राज | 3ग  |
| गं | धारा 57(i) के अधीन योग्य ब्याज व्यय-कलित राशि  | 3गं |
| घ  | योग  | 3घ  |

4 धारा 58 के अधीन कटौती न की जाने वाली रकम

4

5 धारा 59 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ

5

6 सामान्य लागू दरों पर प्रभार्य अन्य स्रोतों से शुद्ध आय (1 (डीटीए हिस्से से संबंधित आय कम करने के बाद) - 3 + 4 + 5) (यदि कुछ नहीं है तो अनुसूची सीवाईएलए का अंक 4i लें)

6

7 अन्य स्रोतों से आय (दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व से भिन्न) (2 + 6) (यदि हानि है तो 6 को शून्य लिखें)

7

8 दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व और रख रखाव से आय

|   |   |    |
|---|---|----|
| क | प्राप्तियां   | 8क |
| ख | केवल 8क पर प्राप्तियों के संबंध में धारा 57 के अधीन कटौतियां  | 8ख |
| ग | धारा 58 के अधीन कटौती न की जाने वाली रकम  | 8ग |
| घ | धारा 59 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ  | 8घ |
| ङ | अतिशो (8क - 8ख + 8ग + 8घ) (यदि ऋणात्मक है तो हानि की दशा में अनुसूची अग्रणीत हानियों 6xi के अंक प्रविटि करें) | 8ङ |

9 "अन्य स्रोतों से आय" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (7 + 8ङ) (यदि ऋणात्मक है तो 8ङ में शून्य लिखें)

9

10 अन्य स्रोतों से प्रोदभूत/प्राप्ति के बारे में जानकारी

|         |                  |         |                 |                  |                  |                 |
|---------|------------------|---------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| क्र.सं. | अन्य स्रोत से आय | 15/6 तक | 16/6 से 15/9 तक | 16/9 से 15/12 तक | 16/12 से 15/3 तक | 16/3 से 31/3 तक |
|         |                  | (i)     | (ii)            | (iii)            | (iv)             | (v)             |

|   |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 | धारा 2(24)(ix) में निर्दिष्ट लॉटरी, बर्गपहेली, दौड़, खेल, झूत, बाज़ी लगाने आदि से जीत के रूप में आय  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | क्रम सं. 1क (i) में संदर्भित लाभांश पर आय  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | धारा 115क(1)(क)(i) के अधीन 20% की दर से लाभांश आय (पी.टी.आई आय शामिल)  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | धारा 115कग के अधीन 10% की दर से लाभांश आय  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | धारा 115कगक के अधीन 10% की दर से लाभांश आय (पी.टी.आई आय शामिल)   |  |  |  |  |  |  |
| 6 | धारा 115A(1)(क)(ii)कग के अधीन 10% की दर से लाभांश आय (पी.टी.आई आय शामिल)   |  |  |  |  |  |  |
| 7 | धारा 115कघ (1)(i) के अधीन 10% की दर से धारा 115कघ(1)(i) में संदर्भित इकाइयों के अतिरिक्त विनिर्दिष्ट निधि से लाभांश आय (पी.टी.आई आय शामिल) |  |  |  |  |  |  |
| 8 | डीटीएए दरों पर प्रभार्य लाभांश आय 1क (i) के संबंध में  |  |  |  |  |  |  |

## अनुसूची ओए

## साधारण

|  |   |                          |
|--|---|--------------------------|
| क्या कारबार और वृत्ति शीर्ष के अधीन आपकी कोई आय है ? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं (यदि “हां” तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रविट करें) |   |                          |
| 1  | कारबार या वृत्ति की प्रकृति (अनुदेश देखें)  | 1                        |
| 2  | शाखाओं की संख्या <input type="text"/>   | 2                        |
| 3  | पूर्ववा में लेखांकन की पद्धति <input checked="" type="checkbox"/> (का निशान लगाएं) <input type="checkbox"/> व्यापारिक <input type="checkbox"/> नकद                        | 3                        |
| 4  | क्या लेखांकन पद्धति में कोई परिवर्तन किया गया है <input checked="" type="checkbox"/> (का निशान लगाएं) <input type="checkbox"/> हां  | 4                        |
| 5  | धारा 145क के अधीन विहित लेखांकन मानकों से पूर्ववा में की गई लेखांकन पद्धति में किए गए विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ पर प्रभाव  | 5                        |
| 6  | पूर्ववा में लागू बंध स्टॉक के मूल्यांकन की पद्धति   | 6                        |
| क  | कच्ची सामग्री (यदि लागत या बाजार दर, इनमें से जो भी कम हो, पर है तो 1 लिखें, यदि लागत पर है तो 2 लिखें, यदि बाजार दर पर है तो 3 लिखें)                                    | <input type="checkbox"/> |
| ख  | तैयार माल (यदि लागत या बाजार दर, इनमें से जो भी कम हो, पर है तो 1 लिखें, यदि लागत पर है तो 2 लिखें, यदि बाजार दर पर है तो 3 लिखें)  |                          |
| ग  | क्या स्टॉक मूल्यांकन पद्धति में कोई परिवर्तन किया गया है, <input checked="" type="checkbox"/> (का निशान लगाएं) <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं |                          |
| घ  | धारा 145क के अधीन विहित मूल्यांकन की पद्धति से विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ या हानि पर प्रभाव   | 6घ                       |



## अनुसूची - कारबार या वृत्ति कारबार या वृत्ति से आय की संगणना

| असट्टे के कारबार और विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न, कारबार या वृत्ति |  |     |  |       |  |
|---|--|-----|--|-------|--|
| 1   | कर पूर्व लाभ आय और व्यय खाते के अनुसार कर से पूर्व लाभ (जैसा लागू हो)  | 1   |  |       |  |
| 2क  | 1 में सम्मिलित सट्टे के कारबार से शुद्ध लाभ या हानि (हानि की दशा में -चिह्न प्रविष्ट करें)   | 2क  |  |       |  |
| 2ख  | 1 में सम्मिलित धारा 35कघ के अधीन विनिर्दिष्ट कारबार से शुद्ध लाभ या हानि (हानि की दशा में -चिह्न प्रविष्ट करें)  | 2ख  |  |       |  |
| 3   | लाभ और हानि लेखा में जमा आय या पावती को आय के अन्य शीर्षों के अधीन समझा जाएगा।   | क   | गृह संपत्ति  | 3क    |  |
|   |  | ख   | पूँजी अभिलाभ   | 3ख    |  |
|   |  | ग   | अन्य स्रोत   | 3ग    |  |
|   |  | गं  | लाभांश आय  | 3गं   |  |
|   |  | गं  | लाभांश आय के   | 3गं   |  |
| 4   | 1 में सम्मिलित लाभ या हानि, जो आय कर अधिनियम की धारा 44कड.   | 4क  |  |       |  |
| 5   | (1 में सम्मिलित) लाभ और हानि लेखा में जमा आय, जो छूट प्राप्त है  |     |  |       |  |
| क   | फार्म/ फार्मों से आय का अंश  | 5क  |  |       |  |
|   |  | ख   | ए.ओ.पी/बी.ओ.ए से आय के शेयर  | 5ख    |  |
|   |  | ग   | कोई अन्य छूट प्राप्त आय (रकम और प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)  |       |  |
|   |  | i   |  | गं    |  |
|   |  | ii  |  | गं    |  |
|   |  | iii | कुल (गं + गं)  | 5गं   |  |
| घ   | कुल आय पर छूट (5क + 5ख + 5गं)  | 5घ  |  |       |  |
| 6   | बकाया (1- 2क - 2ख - 3क - 3ख - 3ग - 3घ - 3ड - 4- 5घ)  | 6   |  |       |  |
| 7   | लाभ और हानि लेख में विकलित व्यय आय के अन्य शीर्षों के अधीन प्रभावं समझा जाएगा।   | क   | स्वामित्व संपत्ति  | 7क    |  |
|   |  | ख   | पूँजी अभिलाभ   | 7ख    |  |
|   |  | ग   | अन्य स्रोत   | 7ग    |  |
| 8   | कुल (7क + 7ख + 7ग)   | 8   |  |       |  |
| 9   | समायोजित लाभ या हानि (6+9)   | 9   |  |       |  |
| 10  | लाभ और हानि लेखा में विकलित अवक्षयण और अपकरण   | 10  |  |       |  |
| 11  | आयकर अधिनियम के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण  |     |  |       |  |
| i   | धारा 32(1)(ii) और धारा 32(1)(ii) क के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण  | 11i |  |       |  |
|   |  | ii  | धारा 32(1)(i) के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण (आय कर नियम की परिशिष्ट 1 को निर्दिष्ट करते हुए स्वयं अपनी संगणना करें) | 11ii  |  |
|   |  | iii | कुल (11i + 11ii)   | 11iii |  |
| 12  | अवक्षयण के लिए समायोजन के पश्चात् लाभ या हानि (10 + 11 - 12iii)  | 12  |  |       |  |
| 13  | धारा 36 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम  | 13  |  |       |  |
| 14  | धारा 37 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम  | 14  |  |       |  |
| 15  | धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम  | 15  |  |       |  |
| 16  | धारा 40क के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम   | 16  |  |       |  |
| 17  | पूर्व वा के लाभ और हानि लेखा में विकलित कोई रकम, किन्तु जो धारा 43ख के अधीन अननुज्ञेय हैं  | 17  |  |       |  |
| 18  | सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अधीन अननुज्ञेय  | 18  |  |       |  |
| 19  | धारा 41 के अधीन समझी गई आय   | 19  |  |       |  |
| 20  | धारा 32कग/33कघ/ 33कख/ 33कखक/ 35कखक/ 35कखख/ 32कग/40क(3क) / 33कग/ 72क के अधीन समझी गई आय   | 20  |  |       |  |
| 21  | धारा 43कक के अधीन समझी गई आय   | 21  |  |       |  |
| 22  | धारा 28 से 44घख के अधीन के अतिरिक्त कोई अन्य मद या मदें  | 22  |  |       |  |
| 23  | लाभ और हानि लेखा में सम्मिलित न की गई कोई अन्य आय/ कोई अन्य व्यय जो अननुज्ञेय नहीं है (फार्मों से जिसमें कंपनी भागीदार है, वेतन, कमीशन बोनस और ब्याज सहित) | 23  |  |       |  |
| 24  | कुल (13+14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21+22 +23)  | 24  |  |       |  |
| 25  | धारा 32(1) (iii) के अधीन अनुज्ञेय कटौती  | 25  |  |       |  |
| 26  | धारा 32कघ के अधीन अनुज्ञेय योग्य कटौती   | 26  |  |       |  |
| 27  | धारा 32कक के अधीन कटौती के रूप में अनुज्ञेय रकम  | 27  |  |       |  |

|          |   |   |                   |                                 |
|----------|---|---|-------------------|---------------------------------|
| 28       | लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम से अधिक धारा 35 या 35 गगग या 35गगघ के अधीन अनुज्ञेय कटौती (यदि धारा 35 या 35गगग या 35गगघ के अधीन रकम लाभ और हानि लेखा की विकसित रकम से कम है तो यह मद 24 में जाएगी)           | 28  |                   |                                 |
| 29       | किसी पूर्वगामी पूर्व वा में धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय किन्तु पूर्व वा के दौरान अननुज्ञेय  | 29  |                   |                                 |
| 30       | किसी पूर्वगामी पूर्व वा में धारा 43ख के अधीन अननुज्ञेय किन्तु वा के दौरान अनुज्ञेय कोई  | 30  |                   |                                 |
| 31       | कटौती के रूप में अनुज्ञात कोई अन्य रकम  | 31  |                   |                                 |
| 32       | आ.स.प्र.मा. समायोजन लेखा पर लाभ में कमी या हानि में बढ़त कमी और स्टॉक मूल्यांकन के तरीके में बदलाव  | 32  |                   |                                 |
| 33       | कुल (25+26+27+28+29+30+31+32)   | 33  |                   |                                 |
| 34       | आय (12+24+33)   | 34  |                   |                                 |
| 35       | निम्नलिखित के अधीन लाभ या हानि -  |   |                   |                                 |
|          | i धारा 44कड   | 35i   |                   |                                 |
| 36       | सट्टे के कारबार से भिन्न, कारबार या वृत्ति से शुद्ध लाभ या हानि (34 + 35)   | 36  |                   |                                 |
| 37       | नियम 7क, 7ख या 7ग 8 लागू हों लागू करने के पश्चात् सट्टे के बाजार या विनिर्दिष्ट व्यवसाय से भिन्न कारबार या वृत्ति से शुद्ध लाभ या हानि (यदि नियम 7क, 7ख या 7ग 8 लागू नहीं हैं तो 36 की वही रकम यथाप्रविट करे) | अ37   |                   |                                 |
| आ        | सट्टे के कारबार से आय की संगणना   |   |                   |                                 |
| 38       | लाभ या हानि लेखा के अनुसार सट्टे के कारबार से शुद्ध लाभ या हानि   | 38  |                   |                                 |
| 39       | धारा 28 से 44घख के अनुसार परिवर्धन  | 39  |                   |                                 |
| 40       | धारा 28 से 44घख के अनुसार कटौतियां  | 40  |                   |                                 |
| 41       | सट्टे के कारबार से लाभ या हानि (38 + 39 + 40)   | ख41   |                   |                                 |
| इ        | धारा 35कघ के अधीन विनिर्दिष्ट कारबार से आय की संगणना  |   |                   |                                 |
| 42       | लाभ या हानि लेखा के अनुसार विनिर्दिष्ट कारबार से कुल लाभ या हानि  | 42  |                   |                                 |
| 43       | धारा 28 से धारा 44घख के अनुसार जोड़   | 43  |                   |                                 |
| 44       | धारा 28 से धारा 44घख के अनुसार कटौतियां (धारा 35कघ (ii), 32 या 35 जिसमें धारा 35कघ के अधीन कटौती का दावा किया गया के अधीन कटौती से भिन्न)   | 44  |                   |                                 |
| 45       | विनिर्दिष्ट कारबार से लाभ या हानि (42 + 43 + 44)  | 45  |                   |                                 |
| 46       | धारा 35कघ(1) के अनुसार कटौतियां   | 46  |                   |                                 |
| 47       | विनिर्दिष्ट कारबार से लाभ या हानि (45 + 46)   | इ47   |                   |                                 |
| 48       | धारा 35 अ.ई की उपधारा (5) के ऐसे सुसंगत खंड जो विनिर्दिष्ट कारबार को सम्मिलित करते हैं (ड्रॉप डाउन मेन्यू से चयन करने के लिए)   | इ48   |                   |                                 |
| ई        | लाभ और हानि शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (अ37+आ41+ इ48)  | ई   |                   |                                 |
| उ        | चालू वा में कारबार हानि का अन्तःशीर्ष मुजरा   |   |                   |                                 |
| क्र. सं. | कारबार आय का प्रकार   | चालू वा की आय (इस खाने को उसी दशा में भरें यदि अंक शून्य या | कारबार हानि मुजरा | मुजरा पश्चात् बची हुई कारबार आय |
|          |   | (1)   | (2)               | (3) = (1) - (2)                 |
| i        | हानि का मुजरा(इस पंक्ति को तभी भरें यदि अंक नकारात्मक   |   | (क37)             |                                 |
| ii       | सट्टे के कारबार से आय   | (ख41)   |                   |                                 |
| iii      | विनिर्दिष्ट कारबार से आय  | (ग47)   |                   |                                 |
| iv       | कुल हानि मुजरा (ii + iii)   |   |                   |                                 |

## अनुसूची सीवाईएलए चालू वा की हानियों का मुजरा करने के पश्चात् आय के ब्यौरे

| क्र. सं. | आय का शीर्ष/स्रोत  | चालू वा की आय<br>(इस स्तम्भ को केवल तभी भरें जब आय शून्य हो या सकारात्मक हो) | चालू वा में मुजरा की गई गृह संपत्ति की हानि | चालू वा में मुजरा की गई (सट्टेबाजी या विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न) कारबार हानि | चालू वा में मुजरा की गई (घुड़दौड़ से हुई हानि से भिन्न) अन्य स्रोतों से हानि | मुजरा करने के पश्चात् चालू वा की शेष आय |
|----------|--|--|---|--|--|---|
|          |  |  | कुल हानि<br>(अनुसूची-<br>(गृह संपत्ति का 4) | कुल हानि<br>(अनुसूची कारबार वृत्ति का<br>अ-21)                                 | कुल हानि<br>(अनुसूची-ओएस का 6)   |   |
|          |  | 1  | 2   | 3  | 4  | 5=1-2-3-4                               |
|          | समायोजित की जाने वाली हानि   |  |   |  |  |   |
| i        | गृह संपत्ति  |  |   |  |  |   |
| ii       | कारबार (सट्टेबाजी आय और विनिर्दिष्ट कारबार से आय को छोड़कर)            |  |   |  |  |   |
| iii      | सट्टेबाजी से आय  |  |   |  |  |   |
| iv       | धारा 35कघ के अधीन विनिर्दिष्ट कारबार से आय                             |  |   |  |  |   |
| v        | 15 प्रतिशत की दर से कर प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ                 |  |   |  |  |   |
| vi       | 30 प्रतिशत की दर से कर प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ                 |  |   |  |  |   |
| vii      | अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ अनुप्रयुक्त दरों पर                             |  |   |  |  |   |
| viii     | डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ         |  |   |  |  |   |
| ix       | 10 प्रतिशत की दर से कर प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ                |  |   |  |  |   |
| x        | 20 प्रतिशत की दर से कर प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ                |  |   |  |  |   |
| xi       | डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ        |  |   |  |  |   |
| xii      | अन्य स्रोतों से शुद्ध आय (घुड़ दौड़ एवं लौटरी से जीत पर लाभ को छोड़कर) |  |   |  |  |   |
| xiii     | दौड़ के घोड़ों का स्वामित्व और रखने से लाभ                             |  |   |  |  |   |
| xiv      | मुजरा की गई कुल हानि   |  |   |  |  |   |
| xv       | मुजरा करने के पश्चात् शेष आय   |  |   |  |  |   |

चालू वा की हानि समायोजन

अनुसूची पीटीआई

धारा 115क, 115पख के अनुसार कारवार न्यास या विनिवेश निधि के पास के माध्यम से आय के ब्यौरे

| क्रम | धारा 115क/115पख द्वारा सम्मिलित निवेश सत्ता | कारवार न्यास/ विनिवेश निधि का नाम | कारवार न्यास/ विनिवेश निधि का स्थायी खाता संख्या | क्रम  | आय का शीर्ष                       | चालू वर्ष आय | निवेश कोष द्वारा वितरित चालू वर्ष क्षति का हिस्सा | निवल आय/क्षति 9=7-8 | ऐसी रकम पर स्रोत पर कर कटौती, यदि कोई हो |  |  |  |  |  |
|------|---|-----------------------------------|--|-------|-----------------------------------|--------------|---|---------------------|--|--|--|--|--|--|
| (1)  | (2)   | (3)                               | (4)  | (5)   | (6)                               | (7)          | (8)   | (9)                 | (10)                                     |  |  |  |  |  |
| 1.   | (ड्राप डाउन प्रदान किया जाना है)            |                                   |  | i     | गृह संपत्ति                       |              |   |                     |  |  |  |  |  |  |
|      |   |                                   |  | ii    | पूँजी अभिलाभ                      |              |   |                     |  |  |  |  |  |  |
|      |   |                                   |  | क     | अल्पकालिक अवधि                    |              |   |                     |  |  |  |  |  |  |
|      |   |                                   |  | कां   | धारा 111क                         |              |   |                     |  |  |  |  |  |  |
|      |   |                                   |  | कांii | अन्य                              |              |   |                     |  |  |  |  |  |  |
|      |   |                                   |  | ख     | दीर्घकालिक अवधि                   |              |   |                     |  |  |  |  |  |  |
|      |   |                                   |  | खां   | धारा 112क                         |              |   |                     |  |  |  |  |  |  |
|      |   |                                   |  | खii   | 112क से भिन्न धाराएं              |              |   |                     |  |  |  |  |  |  |
|      |   |                                   |  | iii   | अन्य स्रोत                        |              |   |                     |  |  |  |  |  |  |
|      |   |                                   |  | क     | लाभांश                            |              |   |                     |  |  |  |  |  |  |
|      |   |                                   |  | ख     | अन्य                              |              |   |                     |  |  |  |  |  |  |
|      |   |                                   |  | iv    | दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी |              |   |                     |  |  |  |  |  |  |
|      |   |                                   |  | क     | धारा 10(23चखख) के अधीन            |              |   |                     |  |  |  |  |  |  |
|      |   |                                   |  | ख     | धारा .....के अधीन                 |              |   |                     |  |  |  |  |  |  |
|      |   |                                   |  | ग     | धारा.....के अधीन                  |              |   |                     |  |  |  |  |  |  |
|      |   |                                   |  | 2.    |                                   |              |   | i                   | गृह संपत्ति                              |  |  |  |  |  |
|      |   |                                   |  |       |                                   |              |   | ii                  | पूँजी अभिलाभ                             |  |  |  |  |  |
|      |   |                                   |  |       |                                   |              |   | क                   | अल्पकालिक अवधि                           |  |  |  |  |  |
|      |   |                                   |  |       |                                   |              |   | कां                 | धारा 111क                                |  |  |  |  |  |
|      |   |                                   |  |       |                                   |              |   | कांii               | अन्य                                     |  |  |  |  |  |
| ख    | दीर्घकालिक अवधि                             |                                   |  |       |                                   |              |   |                     |  |  |  |  |  |  |
| खां  | धारा 112क                                   |                                   |  |       |                                   |              |   |                     |  |  |  |  |  |  |
| खii  | 112क से भिन्न धाराएं                        |                                   |  |       |                                   |              |   |                     |  |  |  |  |  |  |
| iii  | अन्य स्रोत                                  |                                   |  |       |                                   |              |   |                     |  |  |  |  |  |  |
| क    | लाभांश                                      |                                   |  |       |                                   |              |   |                     |  |  |  |  |  |  |
| ख    | अन्य  |                                   |  |       |                                   |              |   |                     |  |  |  |  |  |  |
| iv   | दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी           |                                   |  |       |                                   |              |   |                     |  |  |  |  |  |  |
| क    | धारा 10(23चखख) के अधीन                      |                                   |  |       |                                   |              |   |                     |  |  |  |  |  |  |
| ख    | धारा .....के अधीन                           |                                   |  |       |                                   |              |   |                     |  |  |  |  |  |  |

पास के माध्यम से आय



|    |   |                         |                         |
|----|---|-------------------------|-------------------------|
| 7  | अधिकतम उपांतिक दर पर 115नघ के अधीन संदेय अतिरिक्त आय-कर | 7                       |                         |
| 8  | 115नघ के अधीन संदेय ब्याज                               | 8                       |                         |
| 9  | धारा 115नघ के अधीन विनिर्दिष्ट ऋण                       | 9                       |                         |
| 10 | अतिरिक्त आय-कर और संदेय ब्याज                           | 10                      |                         |
| 11 | आय और संदत्त ब्याज                                      | 11                      |                         |
| 12 | संदाय/प्रत्यपर्णाय (10 - 11)                            | 12                      |                         |
| 13 | अभिवर्धित आय पर कर पर कर के निक्षेप की तारीख            | तारीख 1<br>दिन/मास/वर्ष | तारीख 2<br>दिन/मास/वर्ष |
| 14 | बैंक और शाखा का नाम                                     |                         |                         |
| 15 | बीएसआर कोड  |                         |                         |
| 16 | चालान की क्रम संख्या                                    |                         |                         |
| 17 | जमा की गई रकम   |                         |                         |

## अनुसूची- एफएसआई

भारत से बाहर होने वाली आय और कर राहत के ब्यौरे (निवासी के मामले में उपलब्ध)

| क्र.     | देश कोड   | कर संदायकर्ता पहचान संख्या | क्र. | आय के शीर्ष      | भारत से बाहर आय<br>(भाग ख-टीआई में सम्मिलित) | भारत के बाहर संदत्त कर | भारत में सामान्य उपबंधों के अधीन ऐसी आय पर कर संदेय | भारत में उपलब्ध कर राहत (ड)(ग)या (घ) जो भी कम हो | यदि धारा 90 या 90क के अधीन राहत कर दावा किया गया है तो डीटीए का सुसंगत अनुच्छेद |
|----------|---|----------------------------|------|------------------|--|------------------------|---|--|---|
|          |   |                            |      | (क)              | (ख)  | (ग)                    | (घ)   | (ड)  | (च)   |
| 1        |   |                            | i    | गृह संपत्ती      |  |                        |   |  |   |
|          |   |                            | ii   | कारबार या वृत्ति |  |                        |   |  |   |
|          |   |                            | iii  | पूँजी अभिलाभ     |  |                        |   |  |   |
|          |   |                            | iv   | अन्य स्रोतों     |  |                        |   |  |   |
|          |   |                            |      | कुल              |  |                        |   |  |   |
| 2        |   |                            | i    | गृह संपत्ती      |  |                        |   |  |   |
|          |   |                            | ii   | कारबार या वृत्ति |  |                        |   |  |   |
|          |   |                            | iii  | पूँजी अभिलाभ     |  |                        |   |  |   |
|          |   |                            | iv   | अन्य स्रोतों     |  |                        |   |  |   |
|          |   |                            |      | कुल              |  |                        |   |  |   |
| टिप्पण ▶ | कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों के प्रतिनिर्देश करें |                            |      |                  |  |                        |   |  |   |

## अनुसूची-टीआर

भारत से बाहर संदत्त करों के लिए कर राहत की संक्षिप्त जानकारी (निवासी के मामले में उपलब्ध)

| क्र. | देश का कोड   | करदाता की पहचान सं० | भारत के बाहर संदत्त कुल कर प्रत्येक देश के संबंध में अनुसूची एफएसआई के (ग) का योग | अनुसूची एफएसआई में घोषित आय पर संदत्त कुल कर प्रत्येक देश के संबंध में अनुसूची एफएसआई के (घ) का योग | दावाकृत धारा के अधीन राहत (90,90क या 91 विनिर्दिष्ट करें) |     |
|------|--|---------------------|---|---|---|-----|
|      |  |                     |   |   |   | (क) |
| 1    | दावाकृत चाहे गए कर राहत के ब्यौरे  |                     |   |   |   |     |
| 2    |  |                     |   |   |   |     |
|      |  |                     |   |   |   |     |
|      |  |                     |   |   |   |     |
|      |  |                     |   |   |   |     |
|      |  |                     |   | कुल   |   |     |
| 2    | जहां डीटीए लागू होता है, उस देश के संबंध में उपलब्ध कुल कर राहत (धारा 90/90क) (1(घ) के योग का भाग) |                     |   |   | 2   |     |

|        |   |   |          |
|--------|---|---|----------|
| 3      | जहां डीटीए लागू नहीं होता है, उस देश के संबंध में राहत (घारा 91) (1(घ))   | 3   |          |
| 4      | क्या भारत के बाहर कोई कर संदत्त है, जिस पर भारत में कर राहत अनुज्ञात है, उसे विदेशी कर प्राधिकरण द्वारा इस वा के दौरान प्रतिदाय/प्रत्यय किया गया है। यदि हां तो ब्यौरा नीचे दीजीए | 4   | हां/नहीं |
|        | क प्रतिदाय कर की रकम  | ख निर्धारण वा जिसमें भारत में कर राहत अनुज्ञात है |          |
| टिप्पण | कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों के प्रतिनिर्देश करें   |   |          |

## अनुसूची वि.आ.

## भारत के बाहर किसी भी स्रोत से विदेशी आस्तियां और आय का ब्यौरा

विदेशी आस्तियों के ब्यौरे

|         |  |            |  |                          |         |                 |  |   |                             |            |   |  |
|---------|--|------------|--|--------------------------|---------|-----------------|--|---|-----------------------------|------------|---|--|
| अ1      | प्रासंगिक कैलेंडर अवधि के दौरान किसी समय पर धारित विदेशी निक्षेपागार खाते (अन्य लाभकारी हित शामिल)                         |            |  |                          |         |                 |  |   |                             |            |   |  |
| क्र.सं. | देश का नाम   | देश का कोड | वित्तीय संस्थानों का नाम                       | वित्तीय संस्थानों का पता | जिप कोड | खाता सं.        | प्रास्थिति                             | खाता खोलने की तारीख                                     | अवधि के दौरान अधिकतम अतिशेष | अंत अतिशेष | अवधि के दौरान खाते में संदत्त या जमा सकल ब्याज  |  |
| (1)     | (2)  | (3)        | (4)  | (5)                      | (6)     | (7)             | (8)                                    | (9)   | (10)                        | (11)       | (12)  |  |
| (i)     |  |            |  |                          |         |                 |  |   |                             |            |   |  |
| (ii)    |  |            |  |                          |         |                 |  |   |                             |            |   |  |
| अ2      | प्रासंगिक कैलेंडर अवधि के दौरान किसी समय पर धारित विदेशी कस्टोडियल खाते (अन्य लाभकारी हित शामिल)                           |            |  |                          |         |                 |  |   |                             |            |   |  |
| क्र.सं. | देश का नाम   | देश का कोड | वित्तीय संस्थानों का नाम                       | वित्तीय संस्थानों का पता | जिप कोड | खाता सं.        | प्रास्थिति                             | खाता खोलने की तारीख                                     | अवधि के दौरान अधिकतम अतिशेष | अंत अतिशेष | अवधि के दौरान खाते से संदत्त/प्रत्यय सकल रकम (ड्राप डाउन उपबंधित किया जाए जिसमें रकम की प्रकृति विनिर्दिष्ट हो जैसे कि ब्याज/लाभांश/विक्रय से प्राप्तियां या वित्तीय आस्तियों का मोचन/अन्य आय |  |
| (1)     | (2)  | (3)        | (4)  | (5)                      | (6)     | (7)             | (8)                                    | (9)   | (10)                        | (11)       | (12)  |  |
| (i)     |  |            |  |                          |         |                 |  |   |                             |            |   |  |
| (ii)    |  |            |  |                          |         |                 |  |   |                             |            |   |  |
| अ3      | प्रासंगिक कैलेंडर अवधि के दौरान किसी समय पर धारित विदेशी इक्विटी तथा ऋण ब्याज खाते (अन्य लाभकारी हित शामिल)                |            |  |                          |         |                 |  |   |                             |            |   |  |
| क्र.सं. | देश का नाम   | देश का कोड | इकाई का नाम                                    | इकाई का पता              | जिप कोड | इकाई की प्रकृति | हित अर्जित करने की तारीख               | निवेश का आरंभिक मूल्य                                   | अवधि के दौरान अधिकतम अतिशेष | अंतमूल्य   | अवधि के दौरान धृति के संबंध में संदत्त या जमा सकल रकम   | अवधि के दौरान विक्रय से कुल सकल आगम या निवेश का कुल सकल मोचन |
| (1)     | (2)  | (3)        | (4)  | (5)                      | (6)     | (7)             | (8)                                    | (9)   | (10)                        | (11)       | (12)  | (13)   |
| (i)     |  |            |  |                          |         |                 |  |   |                             |            |   |  |
| (ii)    |  |            |  |                          |         |                 |  |   |                             |            |   |  |
| अ4      | प्रासंगिक कैलेंडर अवधि के दौरान किसी समय पर धारित विदेशी नकद मूल्य बीमा अनुबंध और वार्षिकी अनुबंध (अन्य लाभकारी हित शामिल) |            |  |                          |         |                 |  |   |                             |            |   |  |
| क्र.सं. | देश का नाम   | देश का कोड | वित्तीय संस्था जिसमें बीमा संविदा की गई का नाम | वित्तीय संस्था का पता    | जिप कोड | संविदा की तारीख | संविदा का नकद मूल्य या अभ्यर्पित मूल्य | अवधि के दौरान संविदा के संबंध में संदत्त या जमा सकल रकम |                             |            |   |  |
| (1)     | (2)  | (3)        | (4)  | (5)                      | (6)     | (7)             | (8)                                    | (9)   |                             |            |   |  |
| (i)     |  |            |  |                          |         |                 |  |   |                             |            |   |  |
| (ii)    |  |            |  |                          |         |                 |  |   |                             |            |   |  |
| ख       | प्रासंगिक कैलेंडर अवधि के दौरान किसी समय पर धारित अन्य इकाई में वित्तीय हित (अन्य लाभकारी हित शामिल)                       |            |  |                          |         |                 |  |   |                             |            |   |  |

| क्र.सं.  | देश का नाम और कोड  | जिप कोड       | अस्तित्व की प्रकृति | अस्तित्व का नाम और पता                       | ब्याज की प्रकृति-सीधे / फायदाप्रद स्वामी / हिताधिकारी | रखने की तारीख से                | कुल विनिधान (लागत पर) (रु. में)                 | ऐसे ब्याज से प्रोदभूत आय            | आय की प्रकृति                              | इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया ब्याज        |                           |                      |
|----------|--|---------------|---------------------|--|---|---------------------------------|---|-------------------------------------|--|---|---------------------------|----------------------|
|          |  |               |                     |  |   |                                 |   |                                     |  | राशि  | जहां अनुसूची पेश की गई है | अनुसूची की मद संख्या |
| (1)      | (2क)   | (2ख)          | (3)                 | (4)  | (5)   | (6)                             | (7)   | (8)                                 | (9)  | (10)  | (11)                      | (12)                 |
| (i)      |  |               |                     |  |   |                                 |   |                                     |  |   |                           |                      |
| (ii)     |  |               |                     |  |   |                                 |   |                                     |  |   |                           |                      |
| <b>ग</b> | प्रासंगिक कैलेंडर अवधि के दौरान किसी समय पर धारित अचल संपत्ति (अन्य लाभकारी हित शामिल)   |               |                     |  |   |                                 |   |                                     |  |   |                           |                      |
| क्र.सं.  | देश का नाम और कोड  | जिप कोड       | संपत्ति का पता      | स्वामित्व-सीधे फायदाप्रद स्वामी / हिताधिकारी | अर्जन की तारीख  | कुल विनिधान (लागत पर) (रु. में) | संपत्ति से प्राप्त आय                           | आय की प्रकृति                       | इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया ब्याज |   |                           |                      |
|          |  |               |                     |  |   |                                 |   |                                     | राशि                                       | जहां अनुसूची पेश की गई है                         | अनुसूची की मद संख्या      |                      |
| (1)      | (2क)   | (2ख)          | (3)                 | (4)  | (5)   | (6)                             | (7)   | (8)                                 | (9)  | (10)  | (11)                      |                      |
| (i)      |  |               |                     |  |   |                                 |   |                                     |  |   |                           |                      |
| (ii)     |  |               |                     |  |   |                                 |   |                                     |  |   |                           |                      |
| <b>घ</b> | प्रासंगिक कैलेंडर अवधि के दौरान किसी समय पर धारित अन्य पूंजीगत आस्ति (अन्य लाभकारी हित शामिल)  |               |                     |  |   |                                 |   |                                     |  |   |                           |                      |
| क्र.सं.  | देश का नाम और कोड  | जिप कोड       | आस्ति की प्रकृति    | स्वामित्व-सीधे फायदाप्रद स्वामी / हिताधिकारी | अर्जन की तारीख  | कुल विनिधान (लागत पर) (रु. में) | संपत्ति से प्रोदभूत आय                          | आय की प्रकृति                       | इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया ब्याज |   |                           |                      |
|          |  |               |                     |  |   |                                 |   |                                     | राशि                                       | जहां अनुसूची पेश की गई है                         | अनुसूची की मद संख्या      |                      |
| (1)      | (2क)   | (2ख)          | (3)                 | (4)  | (5)   | (6)                             | (7)   | (8)                                 | (9)  | (10)  | (11)                      |                      |
| (i)      |  |               |                     |  |   |                                 |   |                                     |  |   |                           |                      |
| (ii)     |  |               |                     |  |   |                                 |   |                                     |  |   |                           |                      |
| <b>ङ</b> | प्रासंगिक कैलेंडर अवधि के दौरान किसी समय पर धारित खातों का विवरण जिसमें आप हस्ताक्षर प्राधिकारी हैं तथा जो उपर्युक्त क से घ में शामिल नहीं हैं। (अन्य लाभकारी हित शामिल) |               |                     |  |   |                                 |   |                                     |  |   |                           |                      |
| क्र.सं.  | संस्था का नाम जिसमें खाता रखा है   | संस्था का पता | देश का नाम और कोड   | जिप कोड                                      | खाताधारक का नाम                                       | खाता संख्या                     | वर्ष के दौरान उच्चतम अतिशेष / विनिधान (रु. में) | क्या आपके पास प्रोदभूत आय कराधेय है | यदि (7) हां है तो खाते में प्रोदभूत राशि   | यदि (7) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय |                           |                      |





## भाग - ख

भाग ख- कुल आय तारीख 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए आय का विवरण

|  |   |        |  |
|--|---|--------|--|
| भाग ख- यदि धारा 12क/ 12कक/ 12 कख के अधीन रजिस्ट्रीकृत है या धारा 10(23ग)(iv)/ 10(23ग)(v)/ 10(23ग)(vi)/ 10(23ग)(vi)क के अधीन अनुमोदित, मद 1 से 7 को भरे ( यदि लागू हों) |   |        |  |
| 1  | समग्र से भिन्न स्वेच्छिक अभिदाय [अनुसूची फग (क) + ख(क)]   | 1      |  |
| 2  | धारा 11(1)(घ) के अनुसार समग्र का भाग करने वाला स्वेच्छिक अभिदाय [भाग ख (क + ख)]   | 2      |  |
| क  | धारा 80ख(2)(ख) के तहत अधिसूचित [अनुसूची वी.सी का क + खक] स्थानों के नवीनीकरण एवं मरम्मत के लिए प्राप्त कॉर्पस प्रतिनिधित्व दान  | क      |  |
| ख  | उपर्युक्त के अलावा कॉर्पस [अनुसूची वी.सी का क + खक]   | ख      |  |
| 3  | अनुसूची जे के स्तंभ (8) के भाग ए1 के अनुसार कॉर्पस राशि दान छूट के योग्य नहीं   | 3      |  |
| 4  | भागख - कुल आय के (2-3) के कॉर्पस दान राशि 11(5) मोड में निवेशित तथा छूट के योग्य  | 4      |  |
| 5  | उपरोक्त 1 और 2 में सम्मिलित ऐच्छिक अभिदाय को अपवर्जित करके पूर्व वर्ष के दौरान वियुत्पन धारा 11, धारा 12 और धारा 13(23ग)(iv), 10(23ग)(v) और 10(23ग)(vi)क में निर्दिष्ट कुल आय   | 3      |  |
| 6  | पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए या न्यास/संस्था के कथित उद्देश्यों के लिए आय का उपयोजन :-   |        |  |
| i  | उधार ली गई निधि, समझा गया उपयोजन, 15% तक पूर्ववर्ष के संचयन आदि से आवेदन को छोड़कर अर्थात् पूर्ववर्ष की आय से नहीं /अनुसूची ई.आर से क्रम संख्या झ]  | 6i     |  |
| ii   | पूर्ववर्ष के दौरान उपयोग की गई रकम पूंजीलेखा (उधार ली गई निधियों से अनुपयोजन को छोड़कर) समझा गया 15% तक पूर्ववर्ती वर्ष संचयन अर्थात् पूर्ववर्ती वर्ष की आय से नहीं /अनुसूची ई.सी से क्रम संख्या ड/   | 6ii    |  |
| iii  | गत वर्ष के दौरान ऋण का पुर्नभुगतान - /अनुसूची जे की तालिका ए2 की क्रम सं. 4/  | 6iii   |  |
| iii क  | गत वर्ष के दौरान अनुप्रयुक्त राशि कॉर्पस निधि के निर्दिष्ट मोड में वापस निवेशित अथवा जमा (न्यास या संस्थान के वस्तुओं के लिए कोष अनुप्रयोग पर पहले अस्वीकृत) निवेशित और वापिस जमा, एक या अधिक प्ररूप में या धारा 11(5) में निर्दिष्ट मोड में ऐसे कॉर्पस के लिए विशिष्ट रूप से, उस वर्ष को आय से ऐसे निवेश या जमा की सीमा तक [अनुसूची जे की तालिका ए1 का क्रम सं. 4] | 6iii क |  |
| iv   | वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अनुसूची घ के स्तंभ 2 में धारा 11(1) के स्पष्टीकरण के खंड (2) के अनुसार पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान अनुप्रयुक्त डीमड राशि   | 6iv    |  |
| क  | यदि उपर्युक्त (iv) लागू हों, जहां निर्धारण अधिकारी को प्ररूप सं.9क देने का विकल्प है  | 6iv क  |  |
| ख  | यदि हां, प्ररूप सं. 9क देने की तारीख (दिन/मास/वर्ष)   | 6iv ख  |  |
| v  | पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों हेतु उपयोजन के लिए या न्यास/संस्था के कथित उद्देश्यों के लिए संचित या पृथक् रकम उस विस्तार तक जहां तक यह धारा 11(1)(क)/धारा 11(1)(ख) के अधीन या धारा 10(23ग) के तीसरे परंतुक के निबंधनों में न्यास/संस्था में धारित संपत्ति से वियुत्पन आय के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं है [उपरोक्त (1+5) के अधिकतम 15 प्रतिशत तक निर्बंधित]               | 6v     |  |
| vi   | वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अनुसूची घ के स्तंभ 2 में उपर्युक्त iv में संदर्भित राशि के अतिरिक्त राशि-संचित या अलग हटा के, निर्दिष्ट प्रयोजनार्थ—यदि धारा 11(2) व 11(5) या धारा 10(23ग) के तीसरे परंतुक की सभी शर्तें पूरी की जाती है।   | 6vi    |  |
| vii  | धारा 11(1)(ग) के अनुसार भारत से बाहर पूर्व प्रयोजनों के लिए उपयोजित रकम   | 6vii   |  |
| क  | अनुमोदन संख्या और बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीख   | 6vii क |  |
| ख  | बोर्ड द्वारा दी गई अनुमोदन की तारीख   | 6vii ख |  |
| viii   | कुल [6i + 6ii + 6iii + 6iii क + 6iv + 6v + 6vi + 6vii]  | 6viii  |  |
| 7  | जोड़ें  |        |  |
| i  | धारा 11(1ख) के अधीन प्रभार्य आय (अनुसूची घ के स्तंभ 6 का कुल योग)   | 7i     |  |
| ii   | धारा 11(3) के अधीन प्रभार्य आय (अनुसूची के स्तंभ 13 का कुल योग)   | 7ii    |  |
| iii  | आय जिसके संबंध में धारा 11 के अधीन छूट उपलब्ध नहीं है   |        |  |
| क  | अनुसूची बी.सी के घांiii पर गुप्त दान  | 7iii क |  |

आय का विवरण

|   |      |   |        |  |       |
|---|------|---|--------|--|-------|
|   | ख    | धारा 13(1)(ग) या 13(1)(घ) के अधीन अनुज्ञात (अनुसूची 3 के भाग ड समेत)  | 7iii ख |  |       |
|   | iv   | धारा 12(2) के अधीन प्रचार्य आय  |        |  | 7iv   |
|   | v    | धारा 11(1) के अधीन अनुज्ञेय रकम अ.सा.प 40(क)(i)क) या 10(23ग) अ.सा.प 40(क)(i)क)  |        |  | 7v    |
|   | vi   | धारा 11(1) के अधीन अनुज्ञेय रकम अ.सा.प 40अ(3)/(3अ) या 10(23ग) अ.सा.प 40अ(3)/(3अ)  |        |  | 7vi   |
|   | viiक | धारा 11(1) धारा 80जी(2)(ख) के साथ पठित स्पष्टीकरण 3क के खंड (क) या (ख) या (ग) या (घ) के उल्लंघन के मामले में स्पष्टीकरण 3ख के अनुसार आय |        |  | 7viiक |
|   | viiख | धारा 11(1) धारा 80जी(2)(ख) के साथ पठित स्पष्टीकरण 3क के खंड (क) या (ख) या (ग) या (घ) के उल्लंघन के मामले में स्पष्टीकरण 1ख के अनुसार    |        |  | 7viiख |
|   | viii | कुल [7i + 7ii+7iiiक +7iii ख +7iv +7v + 7vi + 7viiक + 7viiख ]  |        |  | 7viii |
| 8 |      | धारा 11(4) के अधीन प्रचार्य आय  |        |  | 8     |
| 9 |      | धारा 11/10(23ग)(iv)/10(23ग)(v)/ 10(23ग)(vi)/10(23ग)(vi)क) के अधीन छूट के पश्चात् सकल आय [(1+5-6viii)+3+7viii+8]                         |        |  | 9     |

|    |  |  |        |  |
|----|--|--|--------|--|
| 10 | उपर्युक्त मद सं 9 का भाग नहीं बनने वाली आय   |  |        |  |
|    | i  | गृह संपत्ति से आय (अनुसूची जत का 4) (शून्य भरें यदि हानि)  | 10i    |  |
|    | ii   | कारबार या वृत्ति का लाभ और अभिलाभ (अनुसूची खत की मद सं 34 के अनुसार)                               | 10ii   |  |
|    | iii  | शीर्ष अभिलाभ के अधीन आय  |        |  |
|    | क  | अल्पकालिक  | 10iiiक |  |
|    | का   | 15%की दर से अल्पकालिक प्रभार्य (अनुसूची पूंजी अभिलाभ के मद ई का 9ii)                               | का     |  |
|    | काii   | 30% की दर से अल्पकालिक प्रभार्य (अनुसूची पूंजी अभिलाभ के मद ई का 9iii)                             | काii   |  |
|    | काiii  | दीर्घकालिक प्रभार्य अनुप्रयुक्त दरों पर (अनुसूची पूंजी अभिलाभ के मद ई का 9iv)                      | काiii  |  |
|    | काiv   | डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर अल्पकालिक प्रभार्य (अनुसूची पूंजी अभिलाभ के मद ई का 9vi)    | काiv   |  |
|    | कv   | कुल अल्पकालिक (क i + क ii + क iii + क iv) (यदि हानि हो तो शून्य दर्ज करें)                         | कv     |  |
|    | ख  | दीर्घकालिक   | 10iiiख |  |
|    | खा   | 10% की दर से दीर्घकालिक प्रभार्य (अनुसूची पूंजी अभिलाभ के मद ई का 9vi)                             | खा     |  |
|    | खाii   | 20%की दर से दीर्घकालिक प्रभार्य (अनुसूची पूंजी अभिलाभ के मद ई का 9vii)                             | खाii   |  |
|    | खाiii  | डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर दीर्घकालिक प्रभार्य (अनुसूची पूंजी अभिलाभ के मद ई का 9viii) | खाiii  |  |
|    | खाiv   | कुल दीर्घकालिक (खi + खii + खiii) (यदि हानि हो तो शून्य दर्ज करें)                                  | खाiv   |  |
|    | ग  | कुल पूंजी अभिलाभ (10iiiक +10iiiख) (कv + खाiv) (शून्य भरें यदि हानि हों)                            | 10iiiग |  |
|    | iv   | अन्य स्रोतों से आय (अनुसूची णद की मद संख्या 9 के अनुसार)   | 10iv   |  |
|    | v  | कुल (13i + 13ii + 13iii + 13iv)  | 10v    |  |
| 11 | सकल आय [9+10]  |  | 11     |  |
| 12 | चालू वर्ष में 12v के विरुद्ध मुजरा की गई हानि (अनुसूची सीवाईएलए के 2ix, 3ix और 4ix का योग)       |  | 12     |  |
| 13 | कुल आय [11-12]   |  | 13     |  |
| 14 | ऐसी आय जिसे 13 में सम्मिलित किया गया और विशेष दरों पर कर से प्रभार्य है (अनुसूची एसआई 1क का योग) |  | 14     |  |

|   |   |        |  |
|---|---|--------|--|
| 15  | शुद्ध शेष कृषि आय दर प्रयोजन के लिए यदि अनुपयुक्त नहीं है।  | 15     |  |
| 16  | कुल आय (13 - 14 + 15) (यदि (13 - 14) उस रकम से अधिक है जो प्रभार्य नहीं है तो लागू हो)  | 16     |  |
| 17  | 16 में सम्मिलित अनाम संदान, जिन पर धारा 115खखग के अधीन 30 प्रतिशत की दर पर कर लगेगा (अनुसूची बी.सी का घांiii )                                      | 17     |  |
| 18  | अधिकतम सीमांत दरों पर प्रभार्य आय   | 18     |  |
| <b>भाग ख 2 -</b> यदि धारा 13क/13ख तथा धारा 10(21), 10(22ख), 10(23क), 10(23ककक), 10(23ख), 10(23डग), 10(23डघ), 10(23डड), 10(29क), 10(23ग)(iii क ख), 10(23ग)(iii कग), 10(23ग)(iii कघ), 10(23ग)(iii कड), 10(23घ), 10(23घक), 10(23घख), 10(24), 10(46), 10(47) के अधीन छूट का दावा किया गया है। |   |        |  |
| 1   | धारा 10(21), 10(22ख), 10(23क), 10(23ककक), 10(23ख), 10(23डग), 10(23डघ), 10(23डड), 10(29क) के अधीन छूट योग्य राशि                                     | 1      |  |
| 2   | धारा 10(23ग)(iii कख), 10(23ग)(iii कग), 10(23ग)(iii कघ), 10(23ग)(iii कड), 10(23घ), 10(23घक), 10(23घख), 10(24), 10(46), 10(47) के अधीन छूट योग्य राशि | 2      |  |
| 3   | धारा 10 के किसी अन्य खंड के अधीन छूट योग्य राशि ( 1 व 2 के अलावा)   | 3      |  |
| 4   | धारा 11(3), धारा 10(21) के साथ पठित, के अधीन प्रभार्य आय [ अनुसूची I के स्तंभ 13 का कुल योग ]   | 4      |  |
| 5   | राजनैतिक दल के मामले में धारा 13क के अधीन छूट का दावे के साथ आय   | 5      |  |
| 6   | चुनावी ट्रस्ट के मामले में धारा 13ख के अधीन छूट के दावे के साथ आय वर्ष के दौरान स्वैच्छिक अंशदान (अनुसूची ई टी के मद सं. 6vii)                      | 6      |  |
| 7   | वर्ष के दौरान स्वैच्छिक अंशदान  | 7      |  |
| 8   | आय शीर्ष  |        |  |
| i   | आवासीय संपत्ति से आय [ अनुसूची एच पी का 4 ] ( यदि हानि हो शून्य दर्ज करें)  | 8i     |  |
| ii  | व्यवसाय या पेशा से लाभ व अभिलाभ [ अनुसूची बीपी के मद सं. 34 के अनुसार ]   | 8ii    |  |
| iii   | पूंजीगत लाभ शीर्ष के अधीन आय  |        |  |
|   | क अल्पकालिक (अनुसूची पूंजी अभिलाभ का ए5)  | 8iii क |  |
|   | क i अल्पकालिक प्रभार्य 15% की दर से (अनुसूची पूंजी अभिलाभ के मद ई का 9ii)   | क i    |  |
|   | क ii 30% की दर से अल्पकालिक प्रभार्य (अनुसूची पूंजी अभिलाभ के मद ई का 9iii)   | क ii   |  |
|   | क iii दीर्घकालिक प्रभार्य अनुप्रयुक्त दरों पर (अनुसूची पूंजी अभिलाभ के मद ई का 9iv)   | क iii  |  |
|   | क iv डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर अल्पकालिक प्रभार्य (अनुसूची पूंजी अभिलाभ के मद ई का 9v )   | क iv   |  |
|   | क v कुल अल्पकालिक (क i + क ii + क iii + क iv) (यदि हानि हो शून्य दर्ज करें)   | क v    |  |
|   | ख दीर्घकालिक (अनुसूची पूंजी अभिलाभ का बी 4) (यदि हानि हो शून्य दर्ज करें)   | 8iii ख |  |
|   | ख i 10% की दर से दीर्घकालिक प्रभार्य (अनुसूची पूंजी अभिलाभ के मद ई का 9vi)  | ख i    |  |
|   | ख ii 20% की दर से दीर्घकालिक प्रभार्य (अनुसूची पूंजी अभिलाभ के मद ई का 9vii)  | ख ii   |  |
|   | खiii डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर दीर्घकालिक प्रभार्य (अनुसूची पूंजी अभिलाभ के मद ई का 9viii)  | खiii   |  |
|   | ख iv कुल दीर्घकालिक (ख i + ख ii + ख iii) (यदि हानि हो शून्य दर्ज करें)  | ख iv   |  |
|   | ग कुल पूंजीगत लाभ (क v + ख iv) (यदि हानि हो शून्य दर्ज करें)  | 8iii ग |  |
| iv  | अन्य स्त्रोतों से आय [ अनुसूची ओ एस के मद संख्या 9 के अनुसार ]  | 8iv    |  |
| v   | कुल (8i + 8ii + 8iii ग + 8iv)   | 8v     |  |
| 9   | सकल आय [7+8v-5-6] +4  | 9      |  |

|    |   |    |  |
|----|---|----|--|
| 10 | 8 के विरुद्ध वर्तमान वर्ष को हानि का समायोजन करना (अनुसूची सी वार्ड एल ए के 2ix, 3ix और 4ix का कुल योग) | 10 |  |
| 11 | सकल कुल आय (9-10)   | 11 |  |
| 12 | (अनुसूची एस आई के स्तंभ (i) का कुल योग) 11 में शामिल आय तथा विशेष दरों पर कर प्रभार्य                   | 12 |  |
| 13 | दर प्रयोजनार्थ शुद्ध कृषि आय  | 13 |  |
| 14 | कुल आय (11-12+13) [लागू यदि (11-12) कर प्रभार्य के लिए अधिकतम राशि ज्यादा हो]                           | 14 |  |
| 15 | धारा 115खखग के अधीन 30 प्रतिशत की दर से 14 में शामिल अज्ञात दान (अनुसूची वी सी का घ iii)                | 15 |  |
| 16 | अधिकतम सीमांत दरों पर प्रभार्य आय   | 16 |  |

## भाग ख- कुल आय पर कर कुल आय पर कर दायित्व की संगणना

|   |  |     |      |  |
|---|--|-----|------|--|
| 1 | कुल आय पर संदेय कर   |     |      |  |
|   | क सामान्य दरों पर कर (16-17-18) के भाग ख - टी.आई का भाग ख 1] या (14-15-16) भाग ख 2 के भाग ख - टी.आई पर   | 1क  |      |  |
|   | ख विशेष दरों पर कर (अनुसूची एसआई का (ii) का योग)   | 1ख  |      |  |
|   | ग भाग ख - टी.आई के भाग ख I के क्रम सं. 17 पर या भाग ख - टी.आई के भाग ख 2 के क्रम सं. 15 पर धारा 115खखग के अधीन 30 प्रतिशत की दर से अज्ञात दान पर कर  | 1ग  |      |  |
|   | घ भाग ख - टी.आई के भाग ख I के क्रम सं. 18 पर या भाग ख - टी.आई के भाग ख 2 के क्रम सं. 16 पर धारा 115खखग के अधीन अधिकतम सीमांत दर पर कर  | 1घ  |      |  |
|   | ङ कृषि आय पर छूट [भाग ख I में लागू यदि (13-14) भाग ख - टी.आई कर प्रभार्य नहीं से अधिकतम राशि ज्यादा हो या] ङ ख भाग ख I में लागू यदि (11-12) भाग ख - टी.आई कर प्रभार्य नहीं से अधिकतम राशि ज्यादा हो] | 1ङ  |      |  |
|   | च कुल आय पर कर संदाय (1क + 1ख + 1ग + 1घ - 1ङ)  |     | 1च   |  |
| 2 | अधिभार   |     | 3    |  |
|   | i अनुसूची घड का 13 का 25%  | 2i  |      |  |
|   | ii पर (1च - अनुसूची धड का 13)  | 2ii |      |  |
|   | iii कुल (i + ii)   |     | 2iii |  |
| 3 | स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर 4% की दर पर (1च + 2iii)   |     | 3    |  |
| 4 | सकल कर दायित्व (1च + 2iii + 3)   |     | 4    |  |
| 5 | कर राहत  |     |      |  |
|   | क धारा 90/90क (अनुसूची कर 2 विवरणी)  | 5क  |      |  |
|   | ख धारा 91 (अनुसूची कर 3 विवरणी)  | 5ख  |      |  |
|   | ग कुल (5क + 5ख)  |     | 5ग   |  |
| 6 | शुद्ध कर दायित्व (4-5ग)  |     | 6    |  |
| 7 | देय फीस और ब्याज   |     |      |  |
|   | क विवरणी प्रस्तुत करने में व्यतिक्रम के लिए ब्याज (धारा 234क)  | 7क  |      |  |
|   | ख अग्रिम कर के संदाय में व्यतिक्रम के लिए ब्याज (धारा 234ख)  | 7ख  |      |  |
|   | ग अग्रिम कर के आस्थगन के लिए ब्याज (धारा 234ग)   | 7ग  |      |  |
|   | घ आय की विवरणी देने में व्यतिक्रम के लिए फीस (धारा 234घ)   | 7घ  |      |  |
|   | ङ संदेय कुल ब्याज और फीस (7क + 7ख + 7ग + 7घ)   |     | 7ङ   |  |
| 8 | कुल दायित्व (6 + 7ङ)   |     | 8    |  |
| 9 | संदत्त कर  |     |      |  |
|   | क अग्रिम कर (15क का स्तंभ 5)   | 9क  |      |  |
|   | ख स्रोत पर कर की कटौती (15ख का स्तंभ 9)  | 9ख  |      |  |

संदत्त कर

|    |          |  |             |                 |  |
|----|----------|--|-------------|-----------------|--|
|    | ग        | स्रोत पर कर का संग्रहण (15ग का सूत्र 9)  | 9ग          |                 |  |
|    | घ        | स्वतः कर निर्धारण (15क का सूत्र 5)   | 9घ          |                 |  |
|    | ङ        | कुल संदत्त कर (9क+9ख+9ग+9घ)  |             | 9ङ              |  |
| 10 |          | संदेय रकम (यदि 8, 9ङ से अधिक है तो 12 प्रविट करें अन्यथा 0 प्रविट करें)  |             | 10              |  |
| 11 |          | प्रतिदाय (यदि 9ङ, 8 से अधिक है), (प्रतिदाय, यदि कोई है, तो बैंक खाते में सीधे जमा करा दिया जाएगा)  |             | 11              |  |
| 12 |          | धारा 115नड के अंतर्गत व्याज सहित 115नघ आय पर देय निवल कर (अनुसूची 115नघ का क्रम संख्या 12)   |             | 12              |  |
| 13 |          | क्या आपका भारत में बैंक खाता है (भारत में बिना किसी बैंक खाते के प्रतिदाय का दावा करने वाले अनिवासी नहीं का चयन कर सकते हैं)   |             |                 | हां अथवा नहीं का चयन करें  |
|    |          | क) पूर्व वर्ष के दौरान किसी समय भारत में धारित सभी बैंक खातों के ब्यौरे (डोरमेट खातों को छोड़कर)   |             |                 |  |
|    | क्रम सं. | भारत में धारित बैंक खातों की दशा में बैंक का आई.एफ.एस कोड  | बैंक का नाम | खाता सं.        | डिजिटल रसीद/भुगतान हेतु प्रयोग किए खातों को इंगित करें<br>उस खाते को इंगित करें जिसमें आप क्रेडिट किए गए अपने प्रतिदाय का पाना पसंद करेंगे (प्रतिदाय के लिए एक खाते को <input checked="" type="checkbox"/> करें) |
|    | i        |  |             |                 |  |
|    | ii       |  |             |                 |  |
|    |          | नोट:<br>1. प्रतिदाय क्रेडिट के लिए न्यूनतम एक खाते का चयन होना चाहिए।<br>2. प्रतिदाय के मामले में, प्रतिदाय क्रेडिट के लिए नानाविध (मल्टीपल) खातों का चयन किया जाता है तब प्रतिदाय विवरणी का संसाधन के बाद सीपीसी द्वारा निर्णित खातों में से एक खाते में क्रेडिट किया जाएगा।  |             |                 |  |
|    |          | यथा अपेक्षित पंक्तियां बढ़ाई जा सकती हैं   |             |                 |  |
|    |          | ख) अनिवासी, जो आयकर प्रतिदाय का दावा कर रहे हैं और उनका भारत में कोई बैंक खाता नहीं है, वे अपने विकल्प पर एक विदेशी बैंक खाते का ब्यौरा प्रस्तुत करें:   |             |                 |  |
|    | क्रं सं. | एस.डब्ल्यू.आई.एफ.टी कोड  | बैंक का नाम | देश की अवस्थिति | आई.बी.ए.एन   |
|    |          |  |             |                 |  |
| 14 |          | क्या आप पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय<br>i) (भारत के बाहर स्थित कोई आस्तियां) जिसके अंतर्गत किसी सत्ता में वित्तीय हित सम्मिलित है (को हिताधिकारी स्वामी, हिताधिकारी या अन्यथा के रूप में धारित करते हैं।<br>ii) (भारत के बाहर स्थित किसी एकाउन्ट में हस्ताक्षर प्राधिकारी हैं; या<br>iii) (भारत के बाहर किसी स्रोत से आहै?) निवासी के मामले में ही लागू) (यदि उत्तर हां है, तब अनुसूची च क को भरना सुनिश्चित करें ( |             |                 | <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं   |

## 15 अनुसूची-आयकर

क अग्रिम कर और स्वतःनिर्धारण के संदायों के ब्यौरे

| क्रं.सं | बी.एस.आर कोड | जमा करने की तारीख (तारीख/मास/वा) | चालान की क्रम संख्या | रकम (रुपए में) |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|----------------|
| i       |              |                                  |                      |                |
| ii      |              |                                  |                      |                |
| iii     |              |                                  |                      |                |
| iv      |              |                                  |                      |                |
| v       |              |                                  |                      |                |
| vi      |              |                                  |                      |                |

टिप्पण ► भाग ख-टीटीआई की क्रम सं0 9क और 9घ में कुल अग्रिम कर और स्वतः निर्धारण कर का योग प्रविट करें ।

ख स्रोत पर कर कटौती के ब्यौरे [कटौतीकर्ता(कटौतीकर्ताओं) द्वारा जारी प्ररूप (टीडीएस) प्ररूप16 क या प्ररूप 16ख/16ग/16घ के अनुसार]

| क्र.सं० | स्वयं/अन्य व्यक्ति [नियम 37खक(2) के अनुसार अन्य व्यक्ति] | अन्य व्यक्ति का पैना/आधार (यदि टीडीएस क्रेडिट अन्य व्यक्ति से संबंधित है) | कटौतीकर्ता का टैन/किराएदार/क्रेता का पैना/आधार | अग्रणीत अदावाकृत टीडीएस | चालू वित्तीय वर्ष का टीडीएस (वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान काटा गया टीडीएस) |                | इस वर्ष जमा टीडीएस का दावा (केवल तभी जब समान आय इसी वर्ष कर से लिए प्रस्तावित, लागू नहीं, यदि टीडीएस धारा 194 एन के अधीन काटा गया। | प्रस्तुत की गई तदनुकूपी रिसीट/आहरण |  | अग्रणीत टीडीएस क्रेडिट |                               |   |
|---------|--|---|--|-------------------------|---|----------------|--|------------------------------------|--|------------------------|-------------------------------|---|
|         |  |   |  |                         | वित्तीय वर्ष जिसमें कटौती की गई   | अग्रणीत टीडीएस |  | स्वयं कटौती                        | नियम 37खक(2) के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति के हाथों में काटा गया (यदि लागू हो) |                        | स्वयं के हाथों में दावा की गई | नियम 37खक(2) के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति के हाथों में दावा किया गया (यदि लागू हो) |
| (1)     | (2)  | (3)   | (4)  | (5)                     | (6)   | (7)            | (8)  | (10)                               |  | (11)                   | (12)                          | (13)  |
|         |  |   |  |                         |   |                |  | आय                                 | टीडीएस   | पैना/आधार              |                               |   |
| i       |  |   |  |                         |   |                |  |                                    |  |                        |                               |   |

| ग स्रोत पर कर के संग्रहण का ब्यौरा [संग्रहणकर्ता द्वारा जारी किए गए प्ररूप 27घ के अनुसार] |  |                     |  |             |   |  |                                     |
|---|--|---------------------|--|-------------|---|--|-------------------------------------|
| क्र.सं.   | संग्रहणकर्ता का कर कटौती और कर संग्रहण एकाउंट नंबर | संग्रहणकर्ता का नाम | अग्रणीत अदावाकृत स्रोत पर कर संग्रहण रकम         |             | वर्तमान वित्त वर्ष का टी सी एस (वि.व. 2021-22 के दौरान संग्रहित टी सी एस) | (5) और (6) में से इस वा में दावाकृत रकम केवल यदि तत्समान आय पर इस वा कर दिया जा रहा है | (5) या (6) में से अग्रणीत की गई रकम |
|   |  |                     | वित्तीय वर्ष जिसमें टीसीएस संग्रहित किया जाता है | अग्रणीत रकम |   |  |                                     |
| (1)   | (2)  | (3)                 | (4)  | (5)         | (6)   | (7)  | (8)                                 |
| i   |  |                     |  |             |   |  |                                     |
| ii  |  |                     |  |             |   |  |                                     |

टिप्पण: कृपया भाग -ख टाटाआई क 9ग म सूतभ (7) याग प्राविष्ट कर

### सत्यापन

मैं, \_\_\_\_\_ पुत्र/पुत्री \_\_\_\_\_, सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता/करती हूँ कि इसके साथ संलग्न विवरणी और अनुसूचियों, विवरणों आदि में दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सही और पूरी है।

मैं यह और घोषणा करता/करती हूँ कि मैं यह विवरणी अपनी ..... की हैसियत में दे रहा/दे रही हूँ और मैं इस विवरणी को देने और उसे सत्यापित करने के लिए सक्षम हूँ। मेरा स्थायी खाता संख्यांक ..... है (यदि आबंटित हुआ हो) (कृपया अनुदेश देखें)।

मैं यह और घोषणा करता हूँ कि करार में विनिर्दिष्ट आलोचनात्मक धारणाओं का समाधान कर दिया है और करार की सभी निबंधनों और शर्तों का अनुपालन कर दिया है (उस दशा में, जहां धारा 92गघ के अधीन विवरणी दाखिल किया जाना लागू हों)

स्थान

तारीख

यहां हस्ताक्षर करें →.?

[अधिसूचना सं. 23/2022/फा. सं. 370142/8/2022-टीपीएल (भाग VII)]

शेफाली सिंह, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम, अधिसूचना का.आ. 969(अ) तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सा.का.नि. 231(अ), तारीख 30 मार्च, 2022 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया।

**MINISTRY OF FINANCE**  
**(Department of Revenue)**  
**(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 1<sup>st</sup> April, 2022

**INCOME-TAX**

**G.S.R. 252(E).**—In exercise of the powers conferred by section 139 read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend Income-tax Rules, 1962, namely:—

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Income-tax (5<sup>th</sup> Amendment) Rules, 2022.

(2) They shall come into force with effect from the 1<sup>st</sup> day of April, 2022.

2. In the Income-tax Rules, 1962, in Appendix-II, for Form ITR-7, the following Form shall be substituted, namely:—

| FORM | ITR-7 | INDIAN INCOME TAX RETURN<br>[For persons including companies required to furnish return under sections 139(4A) or 139(4B) or 139(4C) or 139(4D) only]<br>(Please see rule 12 of the Income-tax Rules, 1962)<br>(Please refer instructions for guidance) | Assessment Year |   |   |   |   |   |
|------|-------|---|-----------------|---|---|---|---|---|
|      |       |   | 2               | 0 | 2 | 2 | - | 2 |

**Part A-GEN**

|                      |  |  |  |                         |  |                          |                                     |                          |
|----------------------|--|--|--|-------------------------|--|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| PERSONAL INFORMATION | (A1) Name (as mentioned in deed of creation/ establishing/ incorporation/ formation)   |  |  |                         | (A2) PAN   |                          |                                     |                          |
|                      | (A4) Flat/Door/Block No  |  | (A5) Name Of Premises/Building/Village |                         | (A3) Date of formation/incorporation (DD/MM/YYYY)<br>/ / |                          |                                     |                          |
|                      | (A6) Road/Street/Post Office   |  | (A7) Area/Locality                     |                         | (A11) Status (see instructions)                          | <input type="checkbox"/> | (A12) Sub Status (see instructions) | <input type="checkbox"/> |
|                      | (A8) Town/City/District  |  | (A9) State                             | (A10) Pin code/Zip code |  |                          |                                     |                          |
|                      | (A13) Office Phone Number with STD code/Mobile No. 1   |  |  | (A14) Mobile No. 2      |  | (A15) Email Address 1    |                                     |                          |
|                      |  |  |  |                         |  |                          |                                     |                          |
|                      | (A16) Email Address 2  |  |  |                         |  |                          |                                     |                          |
|                      | (A17) (i) Return furnished under section <input type="checkbox"/> 139(4A) <input type="checkbox"/> 139(4B) <input type="checkbox"/> 139(4C) <input type="checkbox"/> 139(4D) |  |  |                         |  |                          |                                     |                          |
|                      | (ii) Please specify the section under which the exemption is claimed (dropdown to be provided)   |  |  |                         |  |                          |                                     |                          |

(A18) Whether any project/institution is run by the assessee? (Yes/No) If Yes, then please furnish the details:  
Details of the projects/institutions run by you

| Sl. | Name of the project/institution (see instruction) | Nature of activity (see instruction) | Classification (see instructions) |
|-----|---|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 1   |   |                                      |                                   |
| 2   |   |                                      |                                   |
| 3   |   |                                      |                                   |
| 4   |   |                                      |                                   |





|               | 1a    | 1b  | 2   | 3   | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10   | 11   | 12  | 13   |  |  |
|---------------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|---|--|--|--|
| OTHER DETAILS | (A23) | i   | Where, in any of the projects/institutions run by you, one of the charitable purposes is advancement of any other object of general public utility then,-   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |   |  |  |  |
|               |       | a   | i   | Whether there is any activity in the nature of trade, commerce or business referred to in proviso to section 2(15)?   |   |   |   |   |   |   |  |  | <input type="checkbox"/> Yes<br><input type="checkbox"/> No |  |  |  |
|               |       |   | ii  | If yes, then percentage of receipt from such activity vis-à-vis total receipts  |   |   |   |   |   |   |  |  | %   |  |  |  |
|               |       | b   | i   | Whether there is any activity of rendering any service in relation to any trade, commerce or business for any consideration as referred to in proviso to section 2(15)? |   |   |   |   |   |   |  |  | <input type="checkbox"/> Yes<br><input type="checkbox"/> No |  |  |  |
|               |       |   | ii  | If yes, then percentage of receipt from such activity vis-à-vis total receipts  |   |   |   |   |   |   |  |  | %   |  |  |  |
|               |       | ii  | If 'a' or 'b' is YES, the aggregate annual receipts from such activities in respect of that institution   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |   |  |  |  |
|               |       |   | Sl.   | Name of the project/Institution   |   |   |   |   |   |   | Amount of aggregate annual receipts from such activities |  |   |  |  |  |
|               |       |   | a   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |   |  |  |  |
|               |       |   | b   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |   |  |  |  |
|               |       | (A24)   | i   | Is there any change in the objects/activities during the Year on the basis of which approval/registration/provisional registration was granted?                         |   |   |   |   |   |   |  |  |   | <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |  |  |
|               |       | ii  | If yes, please furnish following information:-  |   |   |   |   |   |   |   |  |  |   |  |  |  |
|               |       | A   | date of such change (DD/MM/YYYY)  |   |   |   |   |   |   |   |  | ____/____/____   |   |  |  |  |
|               |       | B   | Whether an application for fresh registration/provisional registration has been made in the prescribed form and manner within the stipulated period of thirty days as per clause (ab) of sub-section (1) of section 12A / sub-clause (v) of clause (ac) of sub-section (1) of section 12A |   |   |   |   |   |   |   |  | <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |   |  |  |  |
|               |       | C   | Whether fresh registration/provisional registration has been granted under section 12AA/12AB  |   |   |   |   |   |   |   |  | <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |   |  |  |  |
|               |       | D   | date of such fresh registration/provisional registration (DD/MM/YYYY)   |   |   |   |   |   |   |   |  | ____/____/____   |   |  |  |  |
|               | (A25) | Whether liable to tax at maximum marginal rate under section 164? (If disallowable u/s 13(1)(c) and/or 13(1)(d))? |   |   |   |   |   |   |   |   |  | <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |   |  |  |  |
|               | (A26) | Is this your first return?  |   |   |   |   |   |   |   |   |  | <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |   |  |  |  |

| AUDIT INFORMATION   | (A27) (i) Are you liable for audit under the Income-tax Act? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No, If yes, furnish following information- |                                      |   |  |                              |                                    |                  |                                      |   |  |                              |                                    |         |               |                |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--------------------------------------|---|--|------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------------------------|---|--|------------------------------|------------------------------------|---------|---------------|----------------|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|   | (ii) Section under which you are liable for audit (specify section). Please mention date of audit report. (DD/MM/YY)   |                                      |   |  |                              |                                    |                  |                                      |   |  |                              |                                    |         |               |                |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |                                      |   |  |                              |                                    |                  |                                      |   |  |                              |                                    |         |               |                |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | a Name of the auditor signing the tax audit report   |                                      |   |  |                              |                                    |                  |                                      |   |  |                              |                                    |         |               |                |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | b Membership No. of the auditor  |                                      |   |  |                              |                                    |                  |                                      |   |  |                              |                                    |         |               |                |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | c Name of the auditor (proprietorship/ firm)   |                                      |   |  |                              |                                    |                  |                                      |   |  |                              |                                    |         |               |                |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | d Permanent Account Number (PAN)/Aadhaar No. of the proprietorship/ firm   |                                      |   |  |                              |                                    |                  |                                      |   |  |                              |                                    |         |               |                |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e Date of audit report  |  |                                      |   |  |                              |                                    |                  |                                      |   |  |                              |                                    |         |               |                |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| f Date of furnishing of the audit report ___/___/___ (DD/MM/YYYY).  |  |                                      |   |  |                              |                                    |                  |                                      |   |  |                              |                                    |         |               |                |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MEMBER'S INFORMATION  | (A28) (i) If liable to audit under any Act other than the Income-tax Act, mention the Act, section and date of furnishing the audit report?  |                                      |   |  |                              |                                    |                  |                                      |   |  |                              |                                    |         |               |                |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Act and section  |                                      | (DD/MM/YY)  | Act and section  |                              | (DD/MM/YY)                         |                  |                                      |   |  |                              |                                    |         |               |                |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (A29) i. Particulars of persons who were members in the AOP on 31 <sup>st</sup> day of March, 2022 (to be filled by venture capital fund/ investment fund)  |  |                                      |   |  |                              |                                    |                  |                                      |   |  |                              |                                    |         |               |                |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>S.No</th> <th>Name and Address</th> <th>Percentage of share (if determinate)</th> <th>PAN</th> <th>Aadhaar Number/ Enrolment Id (if eligible for Aadhaar)</th> <th>Status</th> </tr> <tr> <th>(1)</th> <th>(2)</th> <th>(3)</th> <th>(4)</th> <th>(5)</th> <th>(6)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>  |  |                                      |   |  |                              | S.No                               | Name and Address | Percentage of share (if determinate) | PAN   | Aadhaar Number/ Enrolment Id (if eligible for Aadhaar) | Status                       | (1)                                | (2)     | (3)           | (4)            | (5) | (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S.No  | Name and Address   | Percentage of share (if determinate) | PAN   | Aadhaar Number/ Enrolment Id (if eligible for Aadhaar) | Status                       |                                    |                  |                                      |   |  |                              |                                    |         |               |                |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1)   | (2)  | (3)                                  | (4)   | (5)  | (6)                          |                                    |                  |                                      |   |  |                              |                                    |         |               |                |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |                                      |   |  |                              |                                    |                  |                                      |   |  |                              |                                    |         |               |                |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |                                      |   |  |                              |                                    |                  |                                      |   |  |                              |                                    |         |               |                |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |                                      |   |  |                              |                                    |                  |                                      |   |  |                              |                                    |         |               |                |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |                                      |   |  |                              |                                    |                  |                                      |   |  |                              |                                    |         |               |                |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ii Particulars regarding the Author(s) / Founder(s) / Trustee(s) / Manager(s), etc., of the Trust or Institution [to be mandatorily filled in by all persons filing ITR-7]  |  |                                      |   |  |                              |                                    |                  |                                      |   |  |                              |                                    |         |               |                |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A Details of all the Author (s)/ Founder (s)/ Settlor (s)/Trustee (s)/ Members of society/Members of the Governing Council/ Director (s)/ shareholders holding 5% or more of shareholding / Office Bearer (s) as on the date of applications  |  |                                      |   |  |                              |                                    |                  |                                      |   |  |                              |                                    |         |               |                |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Sl.</th> <th>Name</th> <th>Relation</th> <th>Percentage Of shareholding in case of shareholder</th> <th>Whether Resident of India?</th> <th>Unique Identification Number</th> <th>ID Code</th> <th>Address</th> <th>Mobile number</th> <th>E-mail address</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> |  |                                      |   |  |                              | Sl.                                | Name             | Relation                             | Percentage Of shareholding in case of shareholder | Whether Resident of India?                             | Unique Identification Number | ID Code                            | Address | Mobile number | E-mail address |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sl.   | Name   | Relation                             | Percentage Of shareholding in case of shareholder | Whether Resident of India?                             | Unique Identification Number | ID Code                            | Address          | Mobile number                        | E-mail address                                    |  |                              |                                    |         |               |                |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |                                      |   |  |                              |                                    |                  |                                      |   |  |                              |                                    |         |               |                |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |                                      |   |  |                              |                                    |                  |                                      |   |  |                              |                                    |         |               |                |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |                                      |   |  |                              |                                    |                  |                                      |   |  |                              |                                    |         |               |                |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B In case if any of persons (as mentioned in row A above) is not an individual then provide the following details of the natural persons who are beneficial owners (5% or more) of such person as on the date of application  |  |                                      |   |  |                              |                                    |                  |                                      |   |  |                              |                                    |         |               |                |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Sl.</th> <th>Name</th> <th>Whether Resident of India?</th> <th>Unique Identification Number</th> <th>ID Code</th> <th>Address</th> <th>Percentage of beneficial ownership</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>   |  |                                      |   |  |                              | Sl.                                | Name             | Whether Resident of India?           | Unique Identification Number                      | ID Code  | Address                      | Percentage of beneficial ownership |         |               |                |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sl.   | Name   | Whether Resident of India?           | Unique Identification Number                      | ID Code  | Address                      | Percentage of beneficial ownership |                  |                                      |   |  |                              |                                    |         |               |                |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |                                      |   |  |                              |                                    |                  |                                      |   |  |                              |                                    |         |               |                |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |                                      |   |  |                              |                                    |                  |                                      |   |  |                              |                                    |         |               |                |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |                                      |   |  |                              |                                    |                  |                                      |   |  |                              |                                    |         |               |                |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C Name(s) of the person(s) who has / have made substantial contribution to the trust / institution in terms of section 13(3)(b)   |  |                                      |   |  |                              |                                    |                  |                                      |   |  |                              |                                    |         |               |                |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Sl.</th> <th>Name and address</th> <th>PAN</th> <th>Aadhaar Number/ Enrolment Id (if available)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>   |  |                                      |   |  |                              | Sl.                                | Name and address | PAN                                  | Aadhaar Number/ Enrolment Id (if available)       |  |                              |                                    |         |               |                |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sl.   | Name and address   | PAN                                  | Aadhaar Number/ Enrolment Id (if available)       |  |                              |                                    |                  |                                      |   |  |                              |                                    |         |               |                |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |                                      |   |  |                              |                                    |                  |                                      |   |  |                              |                                    |         |               |                |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |                                      |   |  |                              |                                    |                  |                                      |   |  |                              |                                    |         |               |                |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |                                      |   |  |                              |                                    |                  |                                      |   |  |                              |                                    |         |               |                |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D Name(s) of relative(s) of author(s), founder(s), trustee(s), manager(s), and substantial contributor(s) and where any such author, founder, trustee, manager or substantial contributor is a Hindu undivided family, also the names of the members of the family and their relatives  |  |                                      |   |  |                              |                                    |                  |                                      |   |  |                              |                                    |         |               |                |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Sl.</th> <th>Name and address</th> <th>PAN</th> <th>Aadhaar Number/ Enrolment Id</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>  |  |                                      |   |  |                              | Sl.                                | Name and address | PAN                                  | Aadhaar Number/ Enrolment Id                      |  |                              |                                    |         |               |                |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sl.   | Name and address   | PAN                                  | Aadhaar Number/ Enrolment Id                      |  |                              |                                    |                  |                                      |   |  |                              |                                    |         |               |                |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |                                      |   |  |                              |                                    |                  |                                      |   |  |                              |                                    |         |               |                |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |                                      |   |  |                              |                                    |                  |                                      |   |  |                              |                                    |         |               |                |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |                                      |   |  |                              |                                    |                  |                                      |   |  |                              |                                    |         |               |                |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

**SCHEDULES TO THE RETURN FORM (FILL AS APPLICABLE)**

| <b>Schedule I</b>                   |   | <b>Details of amounts accumulated / set apart within the meaning of section 11(2) or in terms of third proviso to section 10(23C)/10(21) read with section 35(1).</b> |   |                                    |   |  |   |
|-------------------------------------|---|---|---|------------------------------------|---|--|---|
| <b>Year of accumulation (F.Yr.)</b> | <b>Amount accumulated in the year of accumulation</b> | <b>Purpose of accumulation</b>  | <b>Amount applied for charitable/religious/scientific/social science or statistical research purposes upto the beginning of the previous year</b> | <b>Balance to be applied (2-4)</b> | <b>Amounts applied for charitable or religious or scientific OR social science or statistical research purpose during the previous year out of previous years' accumulation</b> | <b>Amount applied for purposes other than the purpose for which such accumulation was made (if applicable)</b> | <b>Amount credited or paid to any trust or institution registered u/s 12AA/12AB or approved under sub-clauses (iv)/(v)/(vi)/(via) of clause (23C) of section 10 (if applicable)</b> |
| <b>(1)</b>                          | <b>(2)</b>  | <b>(3)</b>  | <b>(4)</b>  | <b>(5)</b>                         | <b>(6)</b>  | <b>(7)</b>   | <b>(8)</b>  |
| 2015-16                             |   |   |   |                                    |   |  |   |
| 2016-17                             |   |   |   |                                    |   |  |   |
| 2017-18                             |   |   |   |                                    |   |  |   |
| 2018-19                             |   |   |   |                                    |   |  |   |
| 2019-20                             |   |   |   |                                    |   |  |   |
| 2020-21                             |   |   |   |                                    |   |  |   |
| 2021-22                             |   |   |   |                                    |   |  |   |
| <b>Total</b>                        |   |   |   |                                    |   |  |   |

| <b>Year of accumulation (F.Yr.)</b> | <b>Balance amount available for application<br/>(9) = (5) – (6) – (7) – (8)</b> | <b>Amount invested or deposited in the modes specified in section 11(5) out of 9</b> | <b>Amount invested or deposited in the modes other than specified in section 11(5) out of 9 (if applicable)</b> | <b>Amount which is not utilized during the period of accumulation (if applicable)</b> | <b>Amount deemed to be income within meaning of sub-section (3) of section 11 (if applicable)<br/><br/>13=(7)+(8)+(11)+(12)</b> |
|-------------------------------------|---|--|---|---|---|
|                                     | <b>(9)</b>  | <b>(10)</b>  | <b>(11)</b>   | <b>(12)</b>   | <b>(13)</b>   |
| 2015-16                             |   |  |   |   |   |
| 2016-17                             |   |  |   |   |   |
| 2017-18                             |   |  |   |   |   |
| 2018-19                             |   |  |   |   |   |
| 2019-20                             |   |  |   |   |   |
| 2020-21                             |   |  |   |   |   |
| 2021-22                             |   |  |   |   |   |
| <b>Total</b>                        |   |  |   |   |   |



| A2 Details of loan and borrowings   |   |  |   |   |   |  |  |  |
|---|---|--|---|---|---|--|--|--|
|   | Opening Balance As on 01.04.2021 (1)  | Loan & Borrowings taken for applications towards objectives during the year (2)            | Applied for the objects of the trust or institution during the year (3) | Amount of repayment of loan or borrowing during the year (which was earlier applied and not claimed as application) (4) | Financial year in which (4) was applied earlier (5) | Closing Balance as on 31.03.2022 (6)<br>(1+2-4=6)<br>(6=7+8) | Invested in modes specified in section 11(5) as on 31.03.2022 (7)  | Invested in modes other than specified in section 11(5) as on 31.03.2022 (8) |
| <b>B</b> Details of investment/deposits made under section 11(5) as on 31.03.2022 (Note to Systems: validation notes not to be part of the final notified ITR form, but only to serve as instructions to develop utility) |   |  |   |   |   |  |  |  |
| Sl No   | Investment out of   | Mode of investment as per section 11(5)  |   |   | Date of Investment                                  |  | Amount of investment   |  |
| (1)   | (2)   | (3)  |   |   | (4)   |  | (5)  |  |
| i   | corpus representing donation donations received for the renovation or repair of places notified u/s 80G(2)(b) <to validate with A1(7)(i)> | Dropdown to be provided (Please specify the nature)  |   |   |   |  |  |  |
| ii  | corpus other than (i) <to validate with A1(7)(ii)>  |  |   |   |   |  |  |  |
| iii   | income accumulated as u/s 11(2) or third proviso to section 10(23C) in earlier years  |  |   |   |   |  |  |  |
| iv  | income of earlier years up to 15% accumulated or set apart  |  |   |   |   |  |  |  |
| v   | loans and borrowings <to validate with A2(7)>   |  |   |   |   |  |  |  |
| vi  | others (please specify)   |  |   |   |   |  |  |  |
| vii   | TOTAL   |  |   |   |   |  |  |  |
| <b>C</b> Investment held at any time during the previous year (s) in concern (s) in which persons referred to in section 13(3) have a substantial interest  |   |  |   |   |   |  |  |  |
| Sl No   | Name and address of the concern   | Where the concern is a company (tick as applicable <input checked="" type="checkbox"/> )   | Number of shares held   | Class of shares held  | Nominal value of the investment                     | Income from the investment                                   | Whether the amount in col (6) exceeds 5 percent of the capital of the concern during the previous year (tick as applicable <input checked="" type="checkbox"/> ) |  |
| (1)   | (2)   | (3)  | (4)   | (5)   | (6)   | (7)  | (8)  |  |
| i   |   | <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No                                   |   |   |   |  | <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No   |  |
| ii  |   | <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No                                   |   |   |   |  | <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No   |  |
| iii   |   | <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No                                   |   |   |   |  | <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No   |  |
| iv  |   | <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No                                   |   |   |   |  | <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No   |  |
| v   |   | <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No                                   |   |   |   |  | <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No   |  |
| TOTAL   |   |  |   |   |   |  |  |  |
| <b>D</b> Other investments as on the last day of the previous year  |   |  |   |   |   |  |  |  |
| Sl No   | Name and address of the concern   | Whether the concern is a company (tick as applicable <input checked="" type="checkbox"/> ) | Class of shares held  |   | Number of shares held                               | Nominal value of investment                                  |  |  |
| (1)   | (2)   | (3)  | (4)   |   | (5)   | (6)  |  |  |
| i   |   | <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No                                   |   |   |   |  |  |  |
| ii  |   | <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No                                   |   |   |   |  |  |  |
| iii   |   | <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No                                   |   |   |   |  |  |  |

| iv       |  | <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |   |  |   |
|----------|--|--|---|--|---|
| v        | <b>TOTAL</b>   |  |   |  |   |
| <b>E</b> | <b>Voluntary contributions/donations received in kind but not converted into investments in the specified modes u/s 11(5) within the time provided</b> |  |   |  |   |
| Sl.No    | Name and address of the donor  | Value of contribution/donation                           | Value of contribution applied towards objective | Amount out of (3) invested in modes prescribed under section 11(5) | Balance to be treated as income under section 11(3) |
| (1)      | (2)  | (3)  | (4)   | (5)  | (6)   |
| i        |  |  |   |  |   |
| ii       |  |  |   |  |   |
| iii      |  |  |   |  |   |
| iv       | <b>TOTAL</b>   |  |   |  |   |

**Part A-BS CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON 31<sup>ST</sup> DAY OF MARCH, 2022**

|   |   |   |                           |      |       |    |  |
|---|---|---|---------------------------|------|-------|----|--|
| <b>SOURCES OF FUNDS</b>                     | <b>A Sources of Funds</b>   |   |                           |      |       |    |  |
|   | <b>1 Own Funds</b>  |   |                           |      |       |    |  |
|   | a   | Corpus out of the donations received for renovation or repair of places notified u/s 80G(2)(b) (A1(6)i of schedule J)   |                           |      | 1a    |    |  |
|   | b   | Other corpus (A1(6)ii of schedule J)  |                           |      | 1b    |    |  |
|   | c   | Income accumulated out of non-mandatory application (15% of income which is not mandatory to be applied)  |                           |      | 1c    |    |  |
|   | d   | Income accumulated under third proviso to clause (23C) of section 10 or section 11(2)   |                           |      | 1d    |    |  |
|   | e   | Balance Amount of deemed Income being exemption claimed in earlier years on account of deemed application and required to be applied in FY 2022-23 onwards (Column 7 of Schedule D) |                           |      | 1e    |    |  |
|   | f   | Any other reserve (Specify the nature)  |                           |      |       |    |  |
|   |   | i   | Specify the nature        | i    |       |    |  |
|   |   | ii  | Specify the nature        | i    |       |    |  |
|   |   | iii   | Total (ai + aii.)         |      | 1fiii |    |  |
|   |   | g   | Total fund (a+ b+c+d+e+f) |      |       | 1g |  |
|   | <b>2 Loan and Borrowings</b>                                      |   |                           |      |       |    |  |
|   | a   | Secured loans   |                           |      | a     |    |  |
|   | b   | Unsecured loans (including deposits)  |                           |      | b     |    |  |
|   | c   | Total Loan Funds (a+ b)   |                           |      | 2c    |    |  |
| <b>3 Advances</b>                           |   |   |                           |      |       |    |  |
| <b>4 Sources of funds (1g + 2c +3)</b>      |   |   |                           |      |       |    |  |
| <b>4</b>                                    |   |   |                           |      |       |    |  |
| <b>APPLICATION OF FUNDS</b>                 | <b>B Application of funds</b>                                     |   |                           |      |       |    |  |
|   | <b>1 Fixed assets</b>   |   |                           |      |       |    |  |
|   | a   | Gross Fixed Assets  |                           |      | 1a    |    |  |
|   | b   | Depreciation  |                           |      | 1b    |    |  |
|   | c   | Net Fixed Assets (1a-1b)  |                           |      | 1c    |    |  |
|   | <b>2 Investments kept in modes specified u/s 11(5) (2a+2b+2c)</b> |   |                           |      |       |    |  |
|   | a   | Investment out of donation received u/s 80G(2)(b) treated as corpus (B(5)i of schedule J)   |                           | 2a   |       |    |  |
|   | b   | Investment out of other corpus (B(5)ii of schedule J)   |                           | 2b   |       |    |  |
|   | c   | Other investments (B(5)vii-B(5)i-B(5)ii of schedule J)  |                           | 2c   |       |    |  |
|   | <b>3 Investments kept in modes other than specified u/s 11(5)</b> |   |                           |      |       |    |  |
|   | <b>3</b>  |   |                           |      |       |    |  |
|   | <b>4 Current assets, loans and advances</b>                       |   |                           |      |       |    |  |
|   | <b>a Current assets</b>   |   |                           |      |       |    |  |
|   |   | i   | Inventories               |      |       | i  |  |
|   |   | ii  | Sundry Debtors            |      |       | ii |  |
|   |   | iii   | Cash and bank balances    |      |       |    |  |
|   | A   | Balance with banks  | iiiA                      |      |       |    |  |
|   | B   | Cash-in-hand  | iiiB                      |      |       |    |  |
|   | C   | Others  | iiiC                      |      |       |    |  |
|   | D   | Total Cash and cash equivalents (iiiA + iiiB + iiiC)  |                           | iiiD |       |    |  |
|   | iv  | Other Current Assets  |                           |      | iv    |    |  |
|   | v   | Total current assets (i + ii + iiiD + iv)   |                           |      | av    |    |  |
| <b>b Loans and advances</b>                 |   |   |                           |      |       |    |  |
| <b>c Total (av + b)</b>                     |   |   |                           |      |       |    |  |
| <b>c</b>                                    |   |   |                           |      |       |    |  |
| <b>d Current liabilities and provisions</b> |   |   |                           |      |       |    |  |
|   | i   | Current liabilities   |                           |      |       |    |  |

|  |  |     |   |  |    |      |  |
|--|--|-----|---|--|----|------|--|
|  |  |     | A | Sundry Creditors                       | A  |      |  |
|  |  |     | B | Other payables                         | B  |      |  |
|  |  |     | C | Total (A + B)                          | iC |      |  |
|  |  | ii  |   | Provisions                             | ii |      |  |
|  |  | iii |   | Total (iC + ii)                        |    | diii |  |
|  |  | e   |   | Net Current Assets (4c – 4diii)        |    | 4e   |  |
|  |  | 5   |   | Total, application of funds (1+2+3+4e) |    | 5    |  |

**Schedule LA Political Party**

|                 |     |   |                              |                             |
|-----------------|-----|---|------------------------------|-----------------------------|
| POLITICAL PARTY | 1   | Whether registered under section 29A of Representation of People Act, 1951  | <input type="checkbox"/> Yes | <input type="checkbox"/> No |
|                 | a   | If yes, please enter registration number  |                              |                             |
|                 | b   | Date of Registration  | ___/___/___                  |                             |
|                 | 2   | Whether books of account were maintained? (tick as applicable <input checked="" type="checkbox"/> )   | <input type="checkbox"/> Yes | <input type="checkbox"/> No |
|                 | 3   | Whether the accounts have been audited? (tick as applicable <input checked="" type="checkbox"/> )   | <input type="checkbox"/> Yes | <input type="checkbox"/> No |
|                 |     | If yes, furnish the following information:-   |                              |                             |
|                 | a   | Date of furnishing of the audit report (DD/MM/YYYY)   | ___/___/___                  |                             |
|                 | b   | Name of the auditor signing the audit report  |                              |                             |
|                 | c   | Membership No. of the auditor   |                              |                             |
|                 | d   | Name of the auditor (proprietorship/ firm)  |                              |                             |
|                 | e   | Proprietorship/firm registration No.  |                              |                             |
|                 | f   | Permanent Account Number (PAN) /Aadhaar No. of the auditor (proprietorship/ firm)   |                              |                             |
|                 | g   | Date of audit report  | ___/___/___                  |                             |
|                 | 4   | Whether the report under sub-section (3) of section 29C of the Representation of the People Act, 1951 for the financial year has been submitted?(tick as applicable <input checked="" type="checkbox"/> )   | <input type="checkbox"/> Yes | <input type="checkbox"/> No |
|                 |     | If yes, then date of submission of the report (DD/MM/YYYY)  | ___/___/___                  |                             |
| 5               | a   | Whether any voluntary contribution from any person in excess of twenty thousand rupees was received during the year ? (tick as applicable <input checked="" type="checkbox"/> )   | <input type="checkbox"/> Yes | <input type="checkbox"/> No |
|                 | b   | If yes, whether record of each voluntary contribution (other than contributions by way of electoral bonds) in excess of twenty thousand rupees (including name and address of the person who has made such contribution) were maintained? (tick as applicable <input checked="" type="checkbox"/> ) | <input type="checkbox"/> Yes | <input type="checkbox"/> No |
| 6               |     | Whether any donation exceeding two thousand rupees was received otherwise than by an account payee cheque or account payee bank draft or use of electronic clearing system through a bank account or through electoral bond? (tick as applicable <input checked="" type="checkbox"/> )              | <input type="checkbox"/> Yes | <input type="checkbox"/> No |
| 7               |     | Please furnish the following information:-  |                              |                             |
|                 | a   | Total voluntary contributions received by the party during the F.Y. (b+d)   | 7a                           |                             |
|                 | b   | Aggregate value of all the voluntary contributions received upto Rs. 20,000 during the F.Y.   | 7b                           |                             |
|                 | ci  | Aggregate value of all the voluntary contributions received upto Rs. 2,000 in cash during the F.Y.  | 7ci                          |                             |
|                 | cii | Aggregate value of all the voluntary contributions received upto Rs. 2,000 other than in cash during the F.Y.   | 7cii                         |                             |
|                 | d   | Aggregate value of all the voluntary contributions received more than Rs. 20,000/- during the F.Y.  | 7d                           |                             |

**Schedule ET Electoral Trust**

|                 |  |  |                              |                             |
|-----------------|--|--|------------------------------|-----------------------------|
| ELECTORAL TRUST | 1  | Whether books of account were maintained? (tick as applicable <input checked="" type="checkbox"/> )  | <input type="checkbox"/> Yes | <input type="checkbox"/> No |
|                 | 2  | Whether record of each voluntary contribution (including name, address and PAN of the person who has made such contribution along with the mode of contribution) were maintained? (tick as applicable <input checked="" type="checkbox"/> )                                | <input type="checkbox"/> Yes | <input type="checkbox"/> No |
|                 | 3  | Whether record of each eligible political party to whom the distributable contributions have been distributed (including name, address, PAN and registration number of eligible political party) was maintained? (tick as applicable <input checked="" type="checkbox"/> ) | <input type="checkbox"/> Yes | <input type="checkbox"/> No |
|                 | 4  | Whether the accounts have been audited as per rule 17CA(12)? (tick as applicable <input checked="" type="checkbox"/> )   | <input type="checkbox"/> Yes | <input type="checkbox"/> No |
|                 |  | If yes, date of audit report in Form No.10BC (DD/MM/YYYY)  | ___/___/___                  |                             |
| 5               | Whether the report as per rule 17CA(14) furnished to the Commissioner of | <input type="checkbox"/> Yes   | <input type="checkbox"/> No  |                             |



|          |  |  |             |
|----------|--|--|-------------|
|          | Income-tax or Director of Income-tax?(tick as applicable <input checked="" type="checkbox"/> ) |  |             |
| <b>6</b> | Details of voluntary contributions received and amounts distributed during the year            |  |             |
|          | <b>i</b>   | Opening balance as on 1 <sup>st</sup> April  | <b>i</b>    |
|          | <b>ii</b>  | Voluntary contribution received during the year  | <b>ii</b>   |
|          | <b>iii</b>   | Total (i + ii)   | <b>iii</b>  |
|          | <b>iv</b>  | Amount distributed to Political parties  | <b>iv</b>   |
|          | <b>v</b>   | Amount spent on administrative and management functions of the Trust (Restricted to 5% of Sr.no. ii above OR 5 lakh for first year of incorporation and 3 lakh for subsequent years whichever is lesser) | <b>v</b>    |
|          | <b>vi</b>  | Total (iv + v)   | <b>vi</b>   |
|          | <b>vii</b>   | Total amount eligible for exemption under section 13B (Sr.no. 6ii of schedule ET if Amount distributed in 6iv is 95% of 6iii )(As per rule 17CA)   | <b>vii</b>  |
|          | <b>viii</b>  | Closing balance as on 31 <sup>st</sup> March (iii – vi)  | <b>viii</b> |

**Schedule VC Voluntary Contributions [to be mandatorily filled in by all persons filing ITR-7]**

|          |  |  |                          |
|----------|--|--|--------------------------|
| <b>A</b> | <b>Domestic Contribution</b>   |  |                          |
|          | <b>i</b>   | Corpus donation (Aia + Aib)  | <b>Ai</b>                |
|          | <b>a</b>   | Corpus representing donations received for the renovation or repair of places notified u/s 80G(2)(b) | <b>Aia</b>               |
|          | <b>b</b>   | Corpus other than above  | <b>Aib</b>               |
|          | <b>ii</b>  | Other than corpus donation   |                          |
|          | <b>(a)</b>   | Grants Received from Government  | <b>Aiia</b>              |
|          | <b>(b)</b>   | Grants Received from Companies under Corporate Social Responsibility                                 | <b>Aiib</b>              |
|          | <b>(c)</b>   | Other specific grants  | <b>Aiic</b>              |
|          | <b>(d)</b>   | Other Donations  | <b>Aiid</b>              |
|          | <b>(e)</b>   | Total  | <b>Aiie</b>              |
|          | <b>iii</b>   | Voluntary contribution Domestic (Ai + Aiie)  | <b>Aiii</b>              |
| <b>B</b> | <b>Foreign contribution</b>  |  |                          |
|          | <b>i</b>   | Corpus donation (Bia + Bib)  | <b>Bi</b>                |
|          | <b>a</b>   | Corpus representing donations received for the renovation or repair of places notified u/s 80G(2)(b) | <b>Bia</b>               |
|          | <b>b</b>   | Corpus other than above  | <b>Bib</b>               |
|          | <b>ii</b>  | Other than corpus donation   | <b>Bii</b>               |
|          | <b>iii</b>   | Foreign contribution (Bi + Bii)  | <b>Biii</b>              |
|          | <b>iv</b>  | Specify the purpose for which foreign contribution has been received                                 | <b>Biv</b> Free text box |
| <b>C</b> | <b>Total Contributions (Aiii + Biii)</b>   |  | <b>C</b>                 |
| <b>D</b> | <b>Anonymous donations, included in C, chargeable u/s 115BBC [Applicable to assessee claiming exemption u/s 11 or 10(23C)(iv) or 10(23C)(v) or 10(23C)(vi) or 10(23C)(via) or 10(23C)(iiia) or 10(23C)(iiiae)]</b> |  |                          |
|          | <b>I</b>   | Aggregate of such anonymous donations received   | <b>i</b>                 |
|          | <b>ii</b>  | 5% of total donations received at C or 1,00,000 whichever is higher                                  | <b>ii</b>                |
|          | <b>iii</b>   | Anonymous donations chargeable u/s 115BBC @ 30% (i – ii)   | <b>iii</b>               |

**Schedule AI**

Aggregate of income derived during the previous year excluding Voluntary contributions [to be filled by assessee claiming exemption u/s 11 and 12 or u/s 10(23C)(iv) or 10(23C)(v) or 10(23C)(vi) or 10(23C)(via)]

|                            |          |                                  |          |
|----------------------------|----------|----------------------------------|----------|
| <b>AGGREGATE OF INCOME</b> | <b>1</b> | Receipts from main objects       | <b>1</b> |
|                            | <b>2</b> | Receipts from incidental objects | <b>2</b> |
|                            | <b>3</b> | Rent                             | <b>3</b> |
|                            | <b>4</b> | Commission                       | <b>4</b> |
|                            | <b>5</b> | Dividend income                  | <b>5</b> |
|                            | <b>6</b> | Interest income                  | <b>6</b> |
|                            | <b>7</b> | Agriculture income               | <b>7</b> |

|                    |  |   |  |               |            |               |
|--------------------|--|---|--|---------------|------------|---------------|
|                    | <b>8</b>   | <b>Net consideration on transfer of capital asset</b>   |  |               | <b>8</b>   |               |
|                    | <b>9</b>   | <b>Any other income (specify nature and amount)</b>   |  |               |            |               |
|                    |  | <b>Nature</b>   |  | <b>Amount</b> |            |               |
|                    | <b>a</b>   | <b>Pass through income/Loss (Fill schedule PTI)</b>   |  | <b>a</b>      |            |               |
|                    | <b>b</b>   |   |  | <b>b</b>      |            |               |
|                    | <b>c</b>   |   |  | <b>c</b>      |            |               |
|                    | <b>d</b>   |   |  | <b>d</b>      |            |               |
|                    | <b>e</b>   | <b>Total (9a+ 9b+ 9c +9d)</b>   |  | <b>e</b>      | <b>9e</b>  |               |
|                    | <b>10</b>  | <b>Total (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9)</b>  |  |               | <b>10</b>  |               |
| <b>Schedule ER</b> |  | <b>Amount applied to stated objects of the trust/institution during the previous year from all sources referred to in E1 to E8 of this table- Revenue Account [to be filled by assessee claiming exemption u/s 11 and 12 or u/s 10(23C)(iv) or 10(23C)(v) or 10(23C)(vi) or 10(23C)(via)]</b> |  |               |            |               |
|                    |  |   |  |               |            | <b>Amount</b> |
| <b>A</b>           | <b>Application for establishment and administration (excluding the application not allowed, details whereof are to be filled in C)</b> |   |  |               |            |               |
|                    | <b>1</b>   | <b>Rents</b>  |  |               | <b>1</b>   |               |
|                    | <b>2</b>   | <b>Repairs and maintenance</b>  |  |               | <b>2</b>   |               |
|                    | <b>3</b>   | <b>Compensation to employees</b>  |  |               | <b>3</b>   |               |
|                    | <b>4</b>   | <b>Insurance</b>  |  |               | <b>4</b>   |               |
|                    | <b>5</b>   | <b>Workmen and staff welfare expenses</b>   |  |               | <b>5</b>   |               |
|                    | <b>6</b>   | <b>Entertainment and Hospitality</b>  |  |               | <b>6</b>   |               |
|                    | <b>7</b>   | <b>Advertisement</b>  |  |               | <b>7</b>   |               |
|                    | <b>8</b>   | <b>Professional / Consultancy fees / Fee for technical services</b>   |  |               | <b>8</b>   |               |
|                    | <b>9</b>   | <b>Conveyance and Traveling expenses other than on foreign travel</b>   |  |               | <b>9</b>   |               |
|                    | <b>10</b>  | <b>Remuneration to persons specified u/s 13(3)</b>  |  |               | <b>10</b>  |               |
|                    | <b>11</b>  | <b>Rates and taxes, paid or payable to Government or any local body (excluding taxes on income)</b>   |  |               | <b>11</b>  |               |
|                    | <b>12</b>  | <b>Interest</b>   |  |               | <b>12</b>  |               |
|                    | <b>13</b>  | <b>Audit fee</b>  |  |               | <b>13</b>  |               |
|                    | <b>14</b>  | <b>Other expenses (Specify nature and amount)</b>   |  |               |            |               |
|                    |  | <b>Nature</b>   |  | <b>Amount</b> |            |               |
|                    | <b>a</b>   |   |  | <b>a</b>      |            |               |
|                    | <b>b</b>   |   |  | <b>b</b>      |            |               |
|                    | <b>c</b>   |   |  | <b>c</b>      |            |               |
|                    | <b>d</b>   |   |  | <b>d</b>      |            |               |
|                    | <b>e</b>   | <b>Total (a+ b+ c+ d)</b>   |  | <b>e</b>      | <b>14</b>  |               |
|                    | <b>15</b>  | <b>Total (A1 to A14)</b>  |  |               | <b>A15</b> |               |
| <b>B</b>           | <b>Application towards objects of the trust/institution (not being items included in C)</b>  |   |  |               |            |               |
|                    | <b>1</b>   | <b>Donation to trust or institution registered u/s 12AA/12AB or approved u/s 10(23C)(iv)/(v)/(vi)/(via)– Other than Corpus</b>  |  |               | <b>1</b>   |               |
|                    | <b>2</b>   | <b>Religious</b>  |  |               | <b>2</b>   |               |
|                    | <b>3</b>   | <b>Relief of poor</b>   |  |               | <b>3</b>   |               |
|                    | <b>4</b>   | <b>Educational</b>  |  |               | <b>4</b>   |               |
|                    | <b>5</b>   | <b>Yoga</b>   |  |               | <b>5</b>   |               |
|                    | <b>6</b>   | <b>Medical relief</b>   |  |               | <b>6</b>   |               |
|                    | <b>7</b>   | <b>Preservation of environment</b>  |  |               | <b>7</b>   |               |
|                    | <b>8</b>   | <b>Preservation of monuments etc.</b>   |  |               | <b>8</b>   |               |
|                    | <b>9</b>   | <b>General public utility</b>   |  |               | <b>9</b>   |               |
|                    | <b>10</b>  | <b>Total (B1 to B9)</b>   |  |               | <b>B10</b> |               |
| <b>C</b>           | <b>Expenditure not allowed as application (C1 + C2 + C3 + C4+C5+C6+C7)</b>   |   |  |               |            | <b>C</b>      |
|                    | <b>1</b>   | <b>Donation to trust or institution registered u/s 12AA/12AB or approved u/s 10(23C)(iv)/(v)/(vi)/(via) towards Corpus</b>  |  |               | <b>1</b>   |               |
|                    | <b>2</b>   | <b>Donation to trust or institution registered u/s 12AA/12AB or approved u/s 10(23C)(iv)/(v)/(vi)/(via) other than towards corpus in case of donations out of accumulated income</b>  |  |               | <b>2</b>   |               |
|                    | <b>3</b>   | <b>Donation to trust or institution registered u/s 12AA/12AB or approved u/s 10(23C)(iv)/(v)/(vi)/(via) not having same objects</b>   |  |               | <b>3</b>   |               |
|                    | <b>4</b>   | <b>Donation to any person other than trust or institution registered u/s 12AA/12AB or approved u/s 10(23C)(iv)/(v)/(vi)/(via)</b>   |  |               | <b>4</b>   |               |
|                    | <b>5</b>   | <b>Application outside India for which approval as per proviso to section 11(1)(c) is not obtained</b>  |  |               | <b>5</b>   |               |
|                    | <b>6</b>   | <b>Applied for any purpose beyond the objects of the trust or institution</b>   |  |               | <b>6</b>   |               |
|                    | <b>7</b>   | <b>Any other disallowable application</b>   |  |               | <b>7</b>   |               |
| <b>D</b>           | <b>Total application of income-revenue during the year (A15 + B10)</b>   |   |  |               |            | <b>D</b>      |
| <b>E</b>           | <b>Source of fund to meet revenue application in Row D</b>   |   |  |               |            | <b>E</b>      |
|                    | <b>1</b>   | <b>Income derived from the property/income earned during previous year (Excluding</b>   |  |               | <b>1</b>   |               |

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
|   | corpus)  |   |  |
| 2 | Income accumulated as under section 11(2) or third proviso to section 10(23C) in earlier years   | 2 |  |
| 3 | Income deemed to be applied in any preceding year under clause (2) of Explanation 1 of section 11(1) (applicable only when exemption is claimed u/s 11 and 12) | 3 |  |
| 4 | Income of earlier years upto 15% accumulated or set apart  | 4 |  |
| 5 | Corpus   | 5 |  |
| 6 | Borrowed Fund  | 6 |  |
| 7 | Any other (Please specify)   | 7 |  |
| F | Total Amount applied during the previous year – Revenue Account [A15 + B10 - E2 - E3 - E4 - E5 - E6 - E7]  | F |  |
| G | Amount which was not actually paid during the previous year out of F   | G |  |
| H | Amount actually paid during the previous year which accrued during any earlier previous year but not claimed as application of income in earlier previous year | H |  |
| I | Total amount to be allowed as application (I=F-G+H)  | I |  |

## Schedule EC

Amount applied to charitable or religious purposes in India or for the stated objects of the trust/institution during the previous year—Capital Account [from all sources referred to in A1 to A8 of this table] [to be filled by assessee claiming exemption u/s 11 and 12 or u/s 10(23C)(iv) or 10(23C)(v) or 10(23C)(vi) or 10(23C)(via)]

|   |  |  | Amount |
|---|--|--|--------|
| 1 | Addition to Capital work in progress (for which exemption u/s 11(1A) has not been claimed)   | 1  |        |
| 2 | Acquisition of capital asset (not claimed as application of income and for which exemption u/s 11(1A) has not been claimed)                                    | 2  |        |
| 3 | Cost of new asset for claim of Exemption u/s 11(1A) (restricted to the net consideration)  | 3  |        |
| 4 | Other capital expenses   |  |        |
|   | Sl.no  | Nature   | Amount |
|   | i  |  | 4i     |
|   | ii   |  | 4ii    |
|   | iii  |  | 4iii   |
|   | iv   | Total expenses (4i + 4ii + 4iii)   | 4      |
| 5 | Total capital expenses (1 + 2 +3 +4)   | 5  |        |
| A | Source of fund to meet capital expenditure   |  |        |
|   | 1  | Income derived from the property during previous year (Excluding corpus)                           | A<br>1 |
|   | 2  | Income accumulated as under section 11(2) or third proviso to section 10(23C) in earlier years     | A<br>2 |
|   | 3  | Income deemed to be applied in any preceding year under clause 2 of Explanation 1 of section 11(1) | A<br>3 |
|   | 4  | Income of earlier years upto 15% accumulated or set apart  | A<br>4 |
|   | 5  | Corpus   | A<br>5 |
|   | 6  | Borrowed Fund  | A<br>6 |
|   | 7  | Any other (Please specify)   | A<br>7 |
| B | Total Amount applied during the previous year – Capital Account [5 – A2 - A3 - A4 - A5-A6-A7]  | B  |        |
| C | Amount which was not actually paid during the previous year out of B   | C  |        |
| D | Amount actually paid during the previous year which accrued during any earlier previous year but not claimed as application of income in earlier previous year | D  |        |
| E | Total amount to be allowed as application (E=B-C+D)  | E  |        |

## Schedule IE-1

Income & Expenditure statement [Applicable for assessee claiming exemption under sections 10(21), 10(22B), 10(23AAA), 10(23B), 10(23D), 10(23DA), 10(23EC), 10(23ED), 10(23EE), 10(23FB), 10(29A), 10(46), 10(47) and other clauses of section 10 where income is unconditionally exempt]

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| 1 | Total receipts including any voluntary contribution     | 1 |  |
| 2 | Application of income towards object of the institution | 2 |  |
| 3 | Accumulation of income                                  | 3 |  |

| Schedule IE- 2 |   | Income & Expenditure statement [Applicable for assessee claiming exemption under sections 10(23A), 10(24)]   |   |
|----------------|---|--|---|
| A              | 1 | Total receipts including any voluntary contribution  | 1   |
|                | 2 | Application of income towards object of the institution  | 2   |
|                | 3 | Accumulation of income   | 3   |
| B              | 1 | Do you have any income which is taxable? If Yes Please provide details (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |   |
|                | a | Income from House Property? (If yes, Please fill Schedule HP)  | 1a <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |
|                | b | Income from Business or Profession (If yes, Please fill Schedule BP)   | 1b <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |
|                | c | Income from Capital gains (If yes, Please fill Schedule CG)  | 1c <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |
|                | d | Income from other Sources (If yes, Please fill Schedule OS)  | 1d <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |

| Schedule IE- 3 |   | Income & Expenditure statement [applicable for assessee claiming exemption under sections 10(23C)(iiiab) or 10(23C)(iiiac)] (please fill up address for each institution separately) |  |
|----------------|---|--|--|
| 1              | Objective of the institution (drop down to be provided - Educational / Medical) | 1  |  |
| 2              | Addresses where activity is carrying out  | 2  |  |
| 3              | Total receipts including any voluntary contribution                             | 3  |  |
| 4              | Government Grants out of Sl. No. 3 above  | 4  |  |
| 5              | Amount applied for objective  | 5  |  |
| 6              | Balance accumulated   | 6  |  |

| Schedule IE- 4 |   | Income & Expenditure statement [applicable for assessee claiming exemption under sections 10(23C)(iiid) or 10(23C)(iiiae)] (please fill up address for each institution separately) |  |
|----------------|---|---|--|
| 1              | Objective of the institution (drop down to be provided - Educational / Medical) | 1   |  |
| 2              | Addresses where activity is carrying out  | 2   |  |
| 3              | Gross Annual receipts   | 3   |  |
| 4              | Amount applied for objective  | 4   |  |
| 5              | Balance accumulated   | 5   |  |

**Schedule HP** Details of Income from House Property (Please refer to instructions) (Drop down to be provided indicating ownership of property)

|  |  |  |   |                    |   |    |
|--|--|--|---|--------------------|---|----|
| HOUSE PROPERTY   | 1  | Address of property 1  | Town/ City                                  | State              | PIN Code/ Zip Code  |    |
|  | Is the property co-owned? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No (if "YES" please enter following details) |  |   |                    |   |    |
|  | Assessee's percentage of share in the property   |  |   |                    |   |    |
|  | Name of Co-owner(s)  |  | PAN/Aadhaar No. of Co-owner(s) (optional)   |                    | Percentage Share in Property                                |    |
|  | I  |  |   |                    |   |    |
|  | II   |  |   |                    |   |    |
|  | [Tick <input checked="" type="checkbox"/> the applicable option]   |  | Name(s) of Tenant (if let out)              |                    | PAN/TAN/Aadhaar No. of Tenant(s) (if TDS credit is claimed) |    |
|  | <input type="checkbox"/> Let out   |  | PAN/Aadhaar No. of Tenant(s) (if available) |                    |   |    |
|  | <input type="checkbox"/> Deemed let out  |  |   |                    |   |    |
|  | I  |  |   |                    |   |    |
|  | II   |  |   |                    |   |    |
|  | a  | Gross rent received or receivable or lettable value (higher of the two, if let out for whole of the year, lower of the two, if let out for part of the year) |   |                    |   | 1a |
|  | b  | The amount of rent which cannot be realized  |   |                    |   | 1b |
|  | c  | Tax paid to local authorities  |   |                    |   | 1c |
|  | d  | Total (1b + 1c)  |   |                    |   | 1d |
| e  | Annual value (1a - 1d)   |  |   |                    | 1e  |    |
| f  | 30% of 1e  |  |   |                    | 1f  |    |
| g  | Interest payable on borrowed capital   |  |   |                    | 1g  |    |
| h  | Total (1f + 1g)  |  |   |                    | 1h  |    |
| i  | Arrears/Unrealised rent received during the year less 30%  |  |   |                    | 1i  |    |
| j  | Income from house property 1 (1e - 1h + 1i)  |  |   |                    | 1j  |    |
| 2  | Address of property 2  | Town/ City   | State                                       | PIN Code/ Zip Code |   |    |
| Is the property co-owned? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No (if "YES" please enter following details) |  |  |   |                    |   |    |
| Assessee's percentage of share in the property   |  |  |   |                    |   |    |



|   |     |  |      |  |
|---|-----|--|------|--|
|   | a   | Full value of consideration  | 3a   |  |
|   | b   | Deductions under section 48  |      |  |
|   | I   | Cost of acquisition without indexation   | bi   |  |
|   | ii  | Cost of Improvement without indexation   | bii  |  |
|   | iii | Expenditure wholly and exclusively in connection with  | biii |  |
|   | iv  | Total (i + ii + iii)   | biv  |  |
|   | c   | Balance (3a – biv)   | 3c   |  |
|   | d   | Loss to be disallowed u/s 94(7) or 94(8)- for example if asset bought/acquired within 3 months prior to record date and dividend/income/bonus units are received, then loss arising out of sale of such asset to be ignored (Enter positive value only)                                  | 3d   |  |
|   | e   | Short-term capital gain on equity share or equity oriented MF (STT paid) (3c   | A3e  |  |
| 4 |     | For NON-RESIDENT, not being an FII- from sale of shares or debentures of an Indian company (to be computed with foreign exchange adjustment under first proviso to section 10)   |      |  |
|   | a   | STCG on transactions on which securities transaction tax (STT) is paid   | A4a  |  |
|   | b   | STCG on transactions on which securities transaction tax (STT) is not paid   | A4b  |  |
| 5 |     | For NON-RESIDENTS- from sale of securities (other than those at A3 above) by an FII as per section 115AD   |      |  |
|   | a   | i In case securities sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details  |      |  |
|   |     | a Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares  | ia   |  |
|   |     | b Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner   | ib   |  |
|   |     | c Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)  | ic   |  |
|   |     | ii Full value of consideration in respect of securities other than unquoted shares   | aii  |  |
|   |     | iii Total (ic + ii)  | aiii |  |
|   | b   | Deductions under section 48  |      |  |
|   |     | i Cost of acquisition without indexation   | bi   |  |
|   |     | ii Cost of improvement without indexation  | bii  |  |
|   |     | iii Expenditure wholly and exclusively in connection   | biii |  |
|   |     | iv Total (i + ii + iii)  | biv  |  |
|   | c   | Balance (5aiii – biv)  | 5c   |  |
|   | d   | Loss to be disallowed u/s 94(7) or 94(8) - for example if security bought/acquired within 3 months prior to record date and dividend/income/bonus units are received, then loss arising out of sale of such security to be ignored (Enter positive value only)                           | 5d   |  |
|   | e   | Short-term capital gain on securities (other than those at A3 above) by an FII (5c +5d)  | A5e  |  |
| 6 |     | From sale of assets other than at A1 or A2 or A3 or A4 or A5 above   |      |  |
|   | A   | i In case assets sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details  |      |  |
|   |     | a Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares  | ia   |  |
|   |     | b Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner   | ib   |  |
|   |     | c Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)  | ic   |  |
|   |     | ii Full value of consideration in respect of assets other than unquoted shares   | aii  |  |
|   |     | iii Total (ic + ii)  | aiii |  |
|   | B   | Deductions under section 48  |      |  |
|   |     | i Cost of acquisition without indexation   | bi   |  |
|   |     | ii Cost of Improvement without indexation  | bii  |  |
|   |     | iii Expenditure wholly and exclusively in connection   | biii |  |
|   |     | iv Total (i + ii + iii)  | biv  |  |
|   | C   | Balance (6aiii – biv)  | 6c   |  |
|   | D   | In case of asset (security/unit) loss to be disallowed u/s 94(7) or 94(8)- for example if asset bought/acquired within 3 months prior to record date and dividend/income/bonus units are received, then loss arising out of sale of such asset to be ignored (Enter positive value only) | 6d   |  |
|   | E   | Deemed short term capital gains on depreciable assets  | 6e   |  |
|   | f   | Deduction under section 54D/54G/54GA   | 6f   |  |

|  |  |   |  |  |  |   |                            |                     |                      |                                       |     |
|--|--|---|--|--|--|---|----------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------------|-----|
|  | g  | STCG on assets other than at A1 or A2 or A3 or A4 or A5 above (6c + 6d +  |  |  |  |   |                            |                     |                      | A6g                                   |     |
| 7  | Amount deemed to be short term capital gains   |   |  |  |  |   |                            |                     |                      |                                       | A7  |
| a  | Whether any amount of unutilized capital gain on asset transferred during the previous years shown below was deposited in the Capital Gains Accounts Scheme within due date for that year? |   |  |  |  |   |                            |                     |                      |                                       | A8  |
|  | Sl.  | Previous year in which asset transferred  | Section under which deduction claimed in that year | New asset acquired/constructed           |  | Amount not used for new asset or remained unutilized in |                            |                     |                      |                                       |     |
|  |  |   |  | Year in which asset acquired/constructed | Amount utilised out of Capital Gains account |   |                            |                     |                      |                                       |     |
| i  | 2018-19  | 54D/54G/54GA  |  |  |  |   |                            |                     |                      |                                       |     |
| b  | Amount deemed to be short term capital gains u/s 54D/54G/54GA, other than at 'a'   |   |  |  |  |   |                            |                     |                      |                                       |     |
|  | Amount deemed to be short term capital gains (Xi + b)  |   |  |  |  |   |                            |                     |                      |                                       | A7  |
| 8  | Pass Through Income/Loss in the nature of Short Term Capital Gain, (Fill up schedule PTI) (A8a+A8b + A8c)  |   |  |  |  |   |                            |                     |                      |                                       | A8  |
| a  | Pass Through Income/Loss in the nature of Short Term Capital Gain, chargeable @ 15%  |   |  |  |  | A8a   |                            |                     |                      |                                       |     |
| b  | Pass Through Income/Loss in the nature of Short Term Capital Gain, chargeable @ 30%  |   |  |  |  | A8b   |                            |                     |                      |                                       |     |
| c  | Pass Through Income/Loss in the nature of Short Term Capital Gain, chargeable at applicable rates  |   |  |  |  | A8c   |                            |                     |                      |                                       |     |
| 9  | Amount of STCG included in A1 – A8 but not chargeable to tax or chargeable at special rates in India as per DTAA   |   |  |  |  |   |                            |                     |                      |                                       |     |
|  | Sl. No.  | Amount of income  | Item No. A1 to A8 above in which included          | Country name & Code                      | Article of DTAA                              | Rate as per Treaty (enter NIL, if not chargeable)       | Whether TRC obtained (Y/N) | Section of I.T. Act | Rate as per I.T. Act | Applicable rate [lower of (6) or (9)] |     |
|  | (1)  | (2)   | (3)  | (4)                                      | (5)  | (6)   | (7)                        | (8)                 | (9)                  | (10)                                  |     |
|  | I  |   |  |  |  |   |                            |                     |                      |                                       |     |
|  | II   |   |  |  |  |   |                            |                     |                      |                                       |     |
| a  | Total amount of STCG not chargeable to tax in India as per DTAA  |   |  |  |  |   |                            |                     |                      |                                       | A9a |
| b  | Total amount of STCG chargeable to tax at special rates in India as per DTAA   |   |  |  |  |   |                            |                     |                      |                                       | A9b |
| 10   | Total Short-term Capital Gain (A1e+ A2c+ A3e+ A4a+ A4b+ A5e+ A6g+A7 +  |   |  |  |  |   |                            |                     |                      |                                       | A10 |
| <b>B Long-term capital gain (LTCG) (Sub-items 6, 7 &amp; 8 are not applicable for residents)</b> |  |   |  |  |  |   |                            |                     |                      |                                       |     |
| 1  | From sale of land or building or both (fill up details separately for each property) (in case of co-ownership, enter your share of Capital Gain)   |   |  |  |  |   |                            |                     |                      |                                       |     |
|  | Date of purchase/acquisition   |   |  | DD/MM/YYYY                               |  | Date of sale/transfer                                   |                            |                     | DD/MM/YYYY           |                                       |     |
| a  | i  | Full value of consideration received/receivable   |  |  |  |   | ai                         |                     |                      |                                       |     |
|  | ii   | Value of property as per stamp valuation authority  |  |  |  |   | aii                        |                     |                      |                                       |     |
|  | iii  | Full value of consideration adopted as per section 50C for the purpose of Capital Gains [in case (a) does not exceed 1.10 times (ai), take this figure as |  |  |  |   | aiii                       |                     |                      |                                       |     |
| b  | Deductions under section 48  |   |  |  |  |   |                            |                     |                      |                                       |     |
|  | i  | Cost of acquisition   |  |  |  |   | bi                         |                     |                      |                                       |     |
|  | ii   | Cost of acquisition with indexation   |  |  |  |   | biia                       |                     |                      |                                       |     |
|  | iii  | Total Cost of Improvement with indexation   |  |  |  |   | biib                       |                     |                      |                                       |     |
|  |  | (a) Cost of Improvement   |  |  |  |   |                            |                     |                      |                                       |     |
|  |  | (b) Year of Improvement   |  |  |  |   |                            |                     |                      |                                       |     |
|  |  | (c) Cost of Improvement with Indexation   |  |  |  |   |                            |                     |                      |                                       |     |
|  |  | Add Row   |  |  |  |   |                            |                     |                      |                                       |     |
|  | iii  | Expenditure wholly and exclusively in connection with   |  |  |  |   | biib                       |                     |                      |                                       |     |
|  | iv   | Total (biia + biib + biib)  |  |  |  |   | biv                        |                     |                      |                                       |     |
| c  | Balance (aiii – biv)   |   |  |  |  | 1c  |                            |                     |                      |                                       |     |
| d  | Deduction under sections 54D/54EC/54G/54GA (Specify details in item D below)   |   |  |  |  | 1d  |                            |                     |                      |                                       |     |
| e  | Long-term Capital Gains on Immovable property (1c - 1d)  |   |  |  |  |   |                            |                     |                      |                                       | B1e |

Long-term Capital Gains

|   | f | In case of transfer of immovable property, please furnish the following details (see note)  |   |                             |                  |        |                     |          |       |
|---|---|---|---|-----------------------------|------------------|--------|---------------------|----------|-------|
|   |   | S.No.   | Name of buyer(s)  | PAN/Aadhaar No. of buyer(s) | Percentage share | Amount | Address of property | Pin code | State |
|   |   | NOTE ► Furnishing of PAN/Aadhaar No. is mandatory, if the tax is deducted under section 194-IA or is quoted by buyer in the documents.<br>In case of more than one buyer, please indicate the respective percentage share |   |                             |                  |        |                     |          |       |
| 2 |   | From slump sale   |   |                             |                  |        |                     |          |       |
|   | a | i   | Fair market value as per Rule 11UAE(2)  |                             |                  | 2ai    |                     |          |       |
|   |   | ii  | Fair market value as per Rule 11UAE(3)  |                             |                  | 2aii   |                     |          |       |
|   |   | iii   | Full value of consideration (higher of ai or aii)   |                             |                  | 2aiii  |                     |          |       |
|   | b | Net worth of the under taking or division   |   |                             |                  | 2b     |                     |          |       |
|   | c | Balance (2aiii – 2b)  |   |                             |                  | 2c     |                     |          |       |
|   | d | Deduction u/s 54EC  |   |                             |                  | 2d     |                     |          |       |
|   | e | Long term capital gains from slump sale (2c-2d)   |   |                             |                  |        |                     | B2e      |       |
| 3 |   | From sale of bonds or debenture (other than capital indexed bonds issued by   |   |                             |                  |        |                     |          |       |
|   | a | Full value of consideration   |   |                             |                  | 3a     |                     |          |       |
|   | b | Deductions under section 48   |   |                             |                  |        |                     |          |       |
|   |   | i   | Cost of acquisition without indexation  |                             |                  | bi     |                     |          |       |
|   |   | ii  | Cost of improvement without indexation  |                             |                  | bii    |                     |          |       |
|   |   | iii   | Expenditure wholly and exclusively in connection  |                             |                  | biii   |                     |          |       |
|   |   | iv  | Total (bi + bii + biii)   |                             |                  | biv    |                     |          |       |
|   | c | LTCG on bonds or debenture - (3a-biv)   |   |                             |                  |        |                     | B3c      |       |
| 4 |   | From sale of listed securities (other than a unit) or zero coupon bonds where proviso under section 112(1) is applicable  |   |                             |                  |        |                     |          |       |
|   | a | Full value of consideration   |   |                             |                  | 4a     |                     |          |       |
|   | b | Deductions under section 48   |   |                             |                  |        |                     |          |       |
|   |   | i   | Cost of acquisition without indexation  |                             |                  | bi     |                     |          |       |
|   |   | ii  | Cost of improvement without indexation  |                             |                  | bii    |                     |          |       |
|   |   | iii   | Expenditure wholly and exclusively in connection  |                             |                  | biii   |                     |          |       |
|   |   | iv  | Total (bi + bii + biii)   |                             |                  | biv    |                     |          |       |
|   | c | Long Term Capital Gains on assets at B4 (4a – biv)  |   |                             |                  |        |                     | 4c       |       |
| 5 |   | From sale of equity share in a company or unit of equity oriented fund or unit of a business trust on which STT is paid under section 112A  |   |                             |                  |        |                     |          |       |
|   |   | Long-term Capital Gains on sale of capital assets at B5   |   |                             |                  |        |                     | B5       |       |
| 6 |   | For NON-RESIDENTS- from sale of shares or debenture of Indian company (to be computed with foreign exchange adjustment under first proviso to section 48)   |   |                             |                  |        |                     |          |       |
|   |   | LTCG computed without indexation benefit  |   |                             |                  |        |                     | B6       |       |
| 7 |   | For NON-RESIDENTS- from sale of, (i) unlisted securities as per sec. 112(1)(c), (ii) units referred in sec. 115AB, (iii) bonds or GDR as referred in sec. 115AC, (iv) securities by FII as referred to in sec. 115AD      |   |                             |                  |        |                     |          |       |
|   | a | i   | In case securities sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details                           |                             |                  |        |                     |          |       |
|   |   | a   | Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted  |                             |                  | ia     |                     |          |       |
|   |   | b   | Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner  |                             |                  | ib     |                     |          |       |
|   |   | c   | Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a |                             |                  | ic     |                     |          |       |
|   |   | ii  | Full value of consideration in respect of securities other than unquoted shares   |                             |                  | aii    |                     |          |       |
|   |   | iii   | Total (ic + ii)   |                             |                  | aiii   |                     |          |       |
|   | b | Deductions under section 48   |   |                             |                  |        |                     |          |       |
|   |   | i   | Cost of acquisition without indexation  |                             |                  | bi     |                     |          |       |
|   |   | ii  | Cost of improvement without indexation  |                             |                  | bii    |                     |          |       |



|      |   |   |  |  |   |   |                            |                     |                      |                                       |
|------|---|---|--|--|---|---|----------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------------|
|      |   | iii   | Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer   |  | biii  |   |                            |                     |                      |                                       |
|      |   | iv  | Total (bi + bii +biii)   |  | biv   |   |                            |                     |                      |                                       |
|      |   | c   | Long-term Capital Gains on assets at 7 above in case of NON-REESIDENT  |  |   | B7c   |                            |                     |                      |                                       |
| 8    | For NON-RESIDENTS - From sale of equity share in a company or unit of equity oriented fund or unit of a business trust on which STT is paid under section 112A                            |   |  |  |   |   |                            |                     |                      |                                       |
|      | Long-term Capital Gains on sale of capital assets at B8   |   |  |  |   | B8  |                            |                     |                      |                                       |
| 9    | From sale of assets where B1 to B8 above are not applicable   |   |  |  |   |   |                            |                     |                      |                                       |
|      | a   | i   | In case assets sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following                          |  |   |   |                            |                     |                      |                                       |
|      |   | a   | Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted   |  | ia  |   |                            |                     |                      |                                       |
|      |   | b   | Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner   |  | ib  |   |                            |                     |                      |                                       |
|      |   | c   | Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains |  | ic  |   |                            |                     |                      |                                       |
|      |   | ii  | Full value of consideration in respect of assets   |  | aii   |   |                            |                     |                      |                                       |
|      |   | iii   | Total (ic + ii)  |  | aiii  |   |                            |                     |                      |                                       |
|      | b   | Deductions under section 48   |  |  |   |   |                            |                     |                      |                                       |
|      |   | i   | Cost of acquisition with indexation  |  | bi  |   |                            |                     |                      |                                       |
|      |   | ii  | Cost of improvement with indexation  |  | bii   |   |                            |                     |                      |                                       |
|      |   | iii   | Expenditure wholly and exclusively in connection   |  | biii  |   |                            |                     |                      |                                       |
|      |   | iv  | Total (bi + bii +biii)   |  | biv   |   |                            |                     |                      |                                       |
|      | c   | Balance (aiii – biv)  |  |  |   | 9c  |                            |                     |                      |                                       |
|      | d   | Deduction under section 54D//54G/54GA (Specify details)   |  |  |   | 9d  |                            |                     |                      |                                       |
|      | e   | Long-term Capital Gains on assets at B9 above (9c- 9d)  |  |  |   | B9e   |                            |                     |                      |                                       |
| 10   | Amount deemed to be long-term capital gains   |   |  |  |   |   |                            |                     |                      |                                       |
| a    | Whether any amount of unutilized capital gain on asset transferred during the previous year shown below was deposited in the Capital Gains Accounts Scheme within due date for that year? |   |  |  |   |   |                            |                     |                      |                                       |
| S.no | Previous year in which asset transferred  | Section under which deduction claimed in  | New asset acquired/constructed   |  | Amount not used for new asset or remained unutilized in |   |                            |                     |                      |                                       |
|      |   |   | Year in which asset acquired/constructed   | Amount utilised out of Capital Gains account |   |   |                            |                     |                      |                                       |
| i    | 2018-19   | 54D//54G/54GA   |  |  |   |   |                            |                     |                      |                                       |
| b    | Amount deemed to be long-term capital gains, other than at 'a'  |   |  |  |   |   |                            |                     |                      |                                       |
|      | Amount deemed to be long-term capital gains (Xi + b)  |   |  |  |   | B10   |                            |                     |                      |                                       |
| 11   | Pass Through Income/Loss in the nature of Long Term Capital Gain, (Fill up schedule PTI) (B11a1+11a2 + B11b)  |   |  |  |   | B11   |                            |                     |                      |                                       |
|      | a1  | Pass Through Income/ Loss in the nature of Long Term Capital Gain, chargeable @ 10% u/s 112A            |  |  | B11a1   |   |                            |                     |                      |                                       |
|      | a2  | Pass Through Income/Loss in the nature of Long Term Capital Gain, chargeable @ 10% under sections other |  |  | B11a2   |   |                            |                     |                      |                                       |
|      | b   | Pass Through Income/ Loss in the nature of Long Term Capital Gain, chargeable @ 20%                     |  |  | B11b  |   |                            |                     |                      |                                       |
| 12   | Amount of LTCCG included in items B1 to B11 but not chargeable to tax or chargeable at special rates in India as per DTAA   |   |  |  |   |   |                            |                     |                      |                                       |
|      | Sl. No.   | Amount of income  | Item No. B1 to B11 above in which included   | Country name & Code                          | Article of DTAA   | Rate as per Treaty (enter NIL, if not chargeable) | Whether TRC obtained (Y/N) | Section of I.T. Act | Rate as per I.T. Act | Applicable rate [lower of (6) or (9)] |
|      | (1)   | (2)   | (3)  | (4)  | (5)   | (6)   | (7)                        | (8)                 | (9)                  | (10)                                  |
|      | I   |   |  |  |   |   |                            |                     |                      |                                       |
|      | II  |   |  |  |   |   |                            |                     |                      |                                       |
|      | a   | Total amount of LTCCG not chargeable to tax in India as per DTAA  |  |  |   |   |                            |                     |                      | B12a                                  |
|      | b   | Total amount of LTCCG chargeable to tax at special rates in India as per DTAA                           |  |  |   |   |                            |                     |                      | B12                                   |
| 13   | Total long term capital gain] [B1e + B2e + B3c + B4c + B5 + B6 + B7c + B8+  |   |  |  |   |   |                            |                     |                      | B13                                   |
| C    | Income chargeable under the head "CAPITAL GAINS" (A10+ B13) (take B13 as nil, if loss)  |   |  |  |   |   |                            |                     |                      | C                                     |
| D    | Information about deduction claimed against Capital Gains   |   |  |  |   |   |                            |                     |                      |                                       |

| 1   | In case of deduction u/s 54D/54EC /54G/54GA give following details |   |  |  |      |            |            |  |  |  |
|---|--|---|--|--|------|------------|------------|--|--|--|
|   | a Deduction claimed u/s 54D  |   |  |  |      |            |            |  |  |  |
|   | i  | Date of acquisition of original asset   |  |  |      | ai         | dd/mm/yyyy |  |  |  |
|   | ii   | Cost of purchase/ construction of new land or building for industrial undertaking |  |  |      | aii        |            |  |  |  |
|   | iii  | Date of purchase of new land or building  |  |  |      | aiii       | dd/mm/yyyy |  |  |  |
|   | iv   | Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due date                 |  |  |      | aiv        |            |  |  |  |
|   | v  | Amount of deduction claimed   |  |  |      | av         |            |  |  |  |
|   | b Deduction claimed u/s 54EC                                       |   |  |  |      |            |            |  |  |  |
|   | i  | Date of transfer of original asset  |  |  |      | bi         | dd/mm/yyyy |  |  |  |
|   | ii   | Amount invested in specified/notified bonds (not exceeding fifty lakh rupees)     |  |  |      | bii        |            |  |  |  |
|   | iii  | Date of investment  |  |  |      | biii       | dd/mm/yyyy |  |  |  |
|   | iv   | Amount of deduction claimed   |  |  |      | biv        |            |  |  |  |
|   | c Deduction claimed u/s 54G  |   |  |  |      |            |            |  |  |  |
|   | i  | Date of transfer of original asset  |  |  |      | ci         | dd/mm/yyyy |  |  |  |
|   | ii   | Cost and expenses incurred for purchase or construction                           |  |  |      | cii        |            |  |  |  |
|   | iii  | Date of purchase/construction of new asset in an area                             |  |  |      | ciii       | dd/mm/yyyy |  |  |  |
|   | iv   | Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme                                 |  |  |      | civ        |            |  |  |  |
|   | v  | Amount of deduction claimed   |  |  |      | cv         |            |  |  |  |
|   | d Deduction claimed u/s 54GA                                       |   |  |  |      |            |            |  |  |  |
|   | i  | Date of transfer of original asset from urban area                                |  |  |      | di         | dd/mm/yyyy |  |  |  |
|   | ii   | Cost and expenses incurred for purchase or construction                           |  |  |      | dii        |            |  |  |  |
| iii   | Date of purchase/construction of new asset in SEZ                  |   |  |  | diii | dd/mm/yyyy |            |  |  |  |
| iv  | Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme                  |   |  |  | div  |            |            |  |  |  |
| v   | Amount of deduction claimed  |   |  |  | dv   |            |            |  |  |  |
| e Total deduction claimed (1a + 1b + 1c + 1d) |  |   |  |  | e    |            |            |  |  |  |

**E** Set-off of current year capital losses with current year capital gains (excluding amounts included in A9a & B12a which is NOT chargeable under DTAA)

| Sl.  | Type of Capital Gain  | Gain of current year (Fill this) | Short term capital loss set off         |              |                                 |            | Long term capital loss set off              |   |            | Current year's capital gains |
|------|---|----------------------------------|---|--------------|---------------------------------|------------|---|---|------------|------------------------------|
|      |   |                                  | 15%                                     | 30%          | applicable rate                 | DTAA rates | 10%   | 20%                                     | DTAA rates |                              |
|      |   | 1                                | 2                                       | 3            | 4                               | 5          | 6   | 7                                       | 8          | 9                            |
| i    | Loss to be set off (Fill this row if figure computed is negative) → |                                  | (A3e*+ A4a*+ A8a*)                      | (A5e*+ A8b*) | (A1e*+ A2c*+A4b*+A6g*+A7*+A8c*) | A9b        | (B4c*+ B5*+ B7c*+ B8*+ B9e*+ B11a1*+B11a2*) | (B1e*+ B2e*+B3c*+B6*+B9e*+ B10*+ B11b*) | B12b       |                              |
| ii   | Short term capital gain   | 15%                              | (A3e*+ A4a*+ A8a*)                      |              |                                 |            |   |   |            |                              |
| iii  | Short term capital gain   | 30%                              | (A5e*+ A8b*)                            |              |                                 |            |   |   |            |                              |
| iv   | Short term capital gain   | applicable rate                  | (A1e*+ A2c*+A4b*+A6g*+A7*+A8c*)         |              |                                 |            |   |   |            |                              |
| v    | Short term capital gain   | DTAA rates                       | A9b                                     |              |                                 |            |   |   |            |                              |
| vi   | Long term capital gain  | 10%                              | (B4c*+ B5*+ B7c*+ B8*+ B9e*)            |              |                                 |            |   |   |            |                              |
| vii  | Long term capital gain  | 20%                              | (B1e*+ B2e*+B3c*+B6*+B9e*+ B10*+ B11b*) |              |                                 |            |   |   |            |                              |
| viii | Long term capital gain  | DTAA rates                       | B12b                                    |              |                                 |            |   |   |            |                              |
| ix   | Total loss set off (ii + iii + iv + v + vi + vii + viii)            |                                  |   |              |                                 |            |   |   |            |                              |
| x    | Loss remaining after set off (i-ix)                                 |                                  |   |              |                                 |            |   |   |            |                              |

The figures of STCG in this table (A1e\* etc.) are the amounts of STCG computed in respective column (A1-A8) as reduced by the amount of STCG not chargeable to tax or chargeable at special rates as per DTAA, which is included therein, if any.

The figures of LTCG in this table (B1e\* etc.) are the amounts of LTCG computed in respective column (B1-B11) as reduced by the amount of LTCG not chargeable to tax or chargeable at special rates as per DTAA, which is included therein, if any.

**Schedule OS Income from other sources**

| 1  |   | Gross income chargeable to tax at normal applicable rates (1a+ 1b+ 1c+ 1d + 1e)  |           | 1 |
|--|---|--|-----------|---|
| O<br>T<br>H<br>E<br>R<br><br>S<br>O<br>U<br>R<br>C<br>E<br>S                                   | <b>A Dividends, Gross (ai+aii)</b>  |  | <b>1a</b> |   |
|  | i   | Dividend income other than (ii)  | ai        |   |
|  | ii  | Dividend income u/s 2(22)(e)   | aii       |   |
|  | <b>B Interest, Gross (bi + bii + biii + biv + bv)</b>   |  | <b>1b</b> |   |
|  | i   | From Savings Bank  | bi        |   |
|  | ii  | From Deposits (Bank/ Post Office/ Co-operative Society)  | bii       |   |
|  | iii   | From Income-tax Refund   | biii      |   |
|  | iv  | In the nature of Pass-through income/Loss  | biv       |   |
|  | v   | Others   | bv        |   |
|  | <b>C Rental income from machinery, plants, buildings, etc., Gross</b>   |  | <b>1c</b> |   |
|  | <b>D Income of the nature referred to in section 56(2)(x) which is chargeable to tax (di + dii + diii + div + dv)</b>                       |  | <b>1d</b> |   |
|  | i   | Aggregate value of sum of money received without consideration   | di        |   |
|  | ii  | In case immovable property is received without consideration, stamp duty value of property   | dii       |   |
|  | iii   | In case immovable property is received for inadequate consideration, stamp duty value of property in excess of such consideration  | diii      |   |
|  | iv  | In case any other property is received without consideration, fair market value of property  | div       |   |
|  | v   | In case any other property is received for inadequate consideration, fair market value of property in excess of such consideration | dv        |   |
|  | <b>E Any other income (please specify nature)</b>   |  | <b>1e</b> |   |
|  | Sl.no   | Nature   | Amount    |   |
|  |   | Income due to disallowance of exemption under clauses of section 10  |           |   |
|  | Rows can be added as required   |  |           |   |
| <b>2 Income chargeable at special rates (2a+ 2b+ 2c+ 2d + 2e elements related to Sl. no 1)</b> |   | <b>2</b>   |           |   |
| a  | Income from winnings from lotteries, crossword puzzles etc.   | 2a   |           |   |
| <b>B Income chargeable u/s 115BBE (bi + bii + biii + biv+ bv + bvi)</b>                        |   | <b>2b</b>  |           |   |
| i  | Cash credits u/s 68   | bi   |           |   |
| ii   | Unexplained investments u/s 69  | bii  |           |   |
| iii  | Unexplained money etc. u/s 69A  | biii   |           |   |
| iv   | Undisclosed investments etc. u/s 69B  | biv  |           |   |
| v  | Unexplained expenditure etc. u/s 69C  | bv   |           |   |
| vi   | Amount borrowed or repaid on hundi u/s 69D  | bvi  |           |   |
| <b>C Any other income chargeable at special rate (total of ci to cxiv)</b>                     |   | <b>2c</b>  |           |   |
| i  | Dividends received by non-resident foreign company chargeable u/s 115A(1)(a)(i)   | ci   |           |   |
| ii   | Interest received from Government or Indian concern on foreign currency debts chargeable u/s 115A(1)(a)(ii)                                 | cii  |           |   |
| iii  | Interest received from Infrastructure Debt Fund chargeable u/s 115A(1)(a)(iia)  | ciii   |           |   |
| iv   | Interest referred to in section 194LC(1) - chargeable u/s 115A(1)(a)(iiaa) @ 5%   | civ  |           |   |
| v  | Interest referred to in Proviso to section 194LC(1) - chargeable u/s 115A(1)(a)(iiaa) @ 4 %   | cv   |           |   |
| vi   | Interest referred to in section 194LD - chargeable u/s 115A(1)(a)(iiab)   | cvi  |           |   |
| vii  | Distributed income being interest referred to in section 194LBA - chargeable u/s 115A(1)(a)(iiac)   | cvii   |           |   |
| viii   | Income from units of UTI or other Mutual Funds specified in section 10(23D), purchased in Foreign Currency - chargeable u/s 115A(1)(a)(iii) | cviii  |           |   |

|    |  |  |  |                     |                    |   |                            |                     |                      |                                       |    |  |
|----|--|--|--|---------------------|--------------------|---|----------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------------|----|--|
|    | ix   | Income from royalty or fees for technical services received from Government or Indian concern - chargeable u/s 115A(1)(b)                                      |  |                     | ix                 |   |                            |                     |                      |                                       |    |  |
|    | x  | Income by way of interest from bonds purchased in foreign currency by non-residents - chargeable u/s 115AC   |  |                     | cx                 |   |                            |                     |                      |                                       |    |  |
|    | xi   | Income by way of dividends from GDRs purchased in foreign currency by non-residents - chargeable u/s 115AC   |  |                     | cxii               |   |                            |                     |                      |                                       |    |  |
|    | xii  | Income (other than dividend) received by an FII in respect of securities (other than units referred to in section 115AB) - chargeable u/s 115AD(1)(i)          |  |                     | cxiii              |   |                            |                     |                      |                                       |    |  |
|    | xiii   | Income being dividend received by an FII in respect of securities (other than units referred to in section 115AB) - chargeable u/s 115AD(1)(i)                 |  |                     | cxiv               |   |                            |                     |                      |                                       |    |  |
|    | xiv  | Income by way of interest received by an FII on bonds or Government securities referred to in section 194LD - chargeable as per proviso to section 115AD(1)(i) |  |                     | cxv                |   |                            |                     |                      |                                       |    |  |
|    | xv   | Income received by non-residents sportsmen or sports associations chargeable u/s 115BBA  |  |                     | xvi                |   |                            |                     |                      |                                       |    |  |
|    | xvi  | Anonymous Donations in certain cases chargeable u/s 115BBC   |  |                     |                    |   |                            |                     |                      |                                       |    |  |
| D  | Pass through income in the nature of income from other sources chargeable at special rates (drop down to be provided)  |  |  |                     |                    |   |                            |                     |                      | 2d                                    |    |  |
| E  | Amount included in 1 and 2 above, which is chargeable at special rates in India as per DTAA (total of column (2) of table below)   |  |  |                     |                    |   |                            |                     |                      | 2e                                    |    |  |
|    | Sl. No.  | Amount of income   | Item No.1ai, 1b to 1d, 2a, 2c & 2d in which included | Country name & Code | Article of DTAA    | Rate as per Treaty (enter NIL, if not chargeable) | Whether TRC obtained (Y/N) | Section of I.T. Act | Rate as per I.T. Act | Applicable rate [lower of (6) or (9)] |    |  |
|    | (1)  | (2)  | (3)  | (4)                 | (5)                | (6)   | (7)                        | (8)                 | (9)                  | (10)                                  |    |  |
|    | I  |  |  |                     |                    |   |                            |                     |                      |                                       |    |  |
|    | II   |  |  |                     |                    |   |                            |                     |                      |                                       |    |  |
| 3  | Deductions under section 57 (other than those relating to income chargeable at special rates under 2a, 2b, 2c, 2d & 2e)  |  |  |                     |                    |   |                            |                     |                      |                                       |    |  |
|    | A  | Expenses / Deductions (other than entered in c)  |  |                     |                    | 3a  |                            |                     |                      |                                       |    |  |
|    | B  | Depreciation (available only if income offered in 1c of "schedule OS")   |  |                     |                    | 3b  |                            |                     |                      |                                       |    |  |
|    | c  | Interest expenditure on dividend u/s 57(i) (available only if income offered in 1a )-  |  |                     |                    | 3c  |                            |                     |                      |                                       |    |  |
|    | ci   | Eligible Interest expenditure u/s 57(i) – computed value   |  |                     |                    | 3ci   |                            |                     |                      |                                       |    |  |
|    | d  | Total  |  |                     |                    | 3d  |                            |                     |                      |                                       |    |  |
| 4  | Amounts not deductible u/s 58  |  |  |                     |                    |   |                            |                     |                      |                                       | 4  |  |
| 5  | Profits chargeable to tax u/s 59   |  |  |                     |                    |   |                            |                     |                      |                                       | 5  |  |
| 6  | Net income from other sources chargeable at normal applicable rates (1 (after reducing income related to DTAA portion) – 3 + 4 + 5) (If negative take the figure to 4i of schedule CYLA) |  |  |                     |                    |   |                            |                     |                      |                                       | 6  |  |
| 7  | Income from other sources (other than from owning race horses) (2+6) (enter 6 as nil, if negative)   |  |  |                     |                    |   |                            |                     |                      |                                       | 7  |  |
| 8  | Income from the activity of owning and maintaining race horses   |  |  |                     |                    |   |                            |                     |                      |                                       |    |  |
|    | A  | Receipts   |  |                     |                    | 8a  |                            |                     |                      |                                       |    |  |
|    | B  | Deductions under section 57 in relation to receipts at 8a only   |  |                     |                    | 8b  |                            |                     |                      |                                       |    |  |
|    | C  | Amounts not deductible u/s 58  |  |                     |                    | 8c  |                            |                     |                      |                                       |    |  |
|    | D  | Profits chargeable to tax u/s 59   |  |                     |                    | 8d  |                            |                     |                      |                                       |    |  |
|    | E  | Balance (8a - 8b + 8c + 8d)  |  |                     |                    |   |                            |                     |                      |                                       | 8e |  |
| 9  | Income under the head "Income from other sources" (7 + 8e) (take 8e as nil if negative)  |  |  |                     |                    |   |                            |                     |                      |                                       | 9  |  |
| 10 | Information about accrual/receipt of income from Other Sources   |  |  |                     |                    |   |                            |                     |                      |                                       |    |  |
|    | S. No.   | Other Source Income  | Upto 15/6  | From 16/6 to 15/9   | From 16/9 to 15/12 | From 16/12 to 15/3                                | From 16/3 to 31/3          |                     |                      |                                       |    |  |
|    |  |  | (i)  | (ii)                | (iii)              | (iv)  | (v)                        |                     |                      |                                       |    |  |

|   |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|
| 1 | Income by way of winnings from lotteries, crossword puzzles, races, games, gambling, betting etc. referred to in section 2(24)(ix) |  |  |  |  |  |
| 2 | Dividend Income referred in Sl. No. 1a(i)  |  |  |  |  |  |
| 3 | Dividend Income u/s 115A(1)(a)(i) @ 20% (Including PTI)  |  |  |  |  |  |
| 4 | Dividend Income u/s 115AC @ 10%  |  |  |  |  |  |
| 5 | Dividend Income u/s 115ACA (1)(a) @ 10% (Including PTI Income)   |  |  |  |  |  |
| 6 | Dividend Income u/s 115A(1)(a)(iiac) @ 10% (Including PTI Income)  |  |  |  |  |  |
| 7 | Dividend Income (other than units referred to in section 115AB) u/s 115AD(1)(i) @ 20% (Including PTI Income)                       |  |  |  |  |  |
| 8 | Dividend income chargeable at DTAA Rates w.r.t.1a(i)   |  |  |  |  |  |

**Schedule OA General**

|   |  |                             |
|---|--|-----------------------------|
|   | Do you have any income under the head business and profession? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No (if "yes" please enter following details)    |                             |
| 1 | Nature of Business or profession (refer to the instructions)   | 1                           |
| 2 | Number of branches   | 2                           |
| 3 | Method of accounting employed in the previous year (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> cash <input type="checkbox"/> mercantile <input type="checkbox"/>      | 3                           |
| 4 | Is there any change in method of accounting (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No   | 4                           |
| 5 | Effect on the profit because of deviation, if any, in the method of accounting employed in the previous year from accounting standards prescribed under section 145A | 5                           |
| 6 | Method of valuation of closing stock employed in the previous year   | 6                           |
| a | Raw Material (if at cost or market rates whichever is less write 1, if at cost write 2, if at market rate write 3)   | <input type="checkbox"/> 6a |
| b | Finished goods (if at cost or market rates whichever is less write 1, if at cost write 2, if at market rate write 3)   | <input type="checkbox"/> 6b |
| c | Is there any change in stock valuation method (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No   | 6c                          |
| d | Effect on the profit or loss because of deviation, if any, from the method of valuation prescribed under section 145A  | 6d                          |

**Schedule BP****Computation of income from business or profession**

|                                    |    |  |    |   |
|------------------------------------|----|--|----|---|
| INCOME FROM BUSINESS OR PROFESSION | A  | From business or profession other than speculative business and specified business                 |    |   |
|                                    | 1  | Profit before tax as per income and expenditure account (as applicable)                            |    | 1 |
|                                    | 2a | Net profit or loss from speculative business included in 1 (enter -ve sign in case of loss)        | 2a |   |
|                                    | 2b | Net profit or Loss from Specified Business u/s 35AD included in 1 (enter -ve sign in case of loss) | 2b |   |

|    |   |  |                            |       |    |  |  |
|----|---|--|----------------------------|-------|----|--|--|
| 3  | Income/ receipts credited to profit and loss account considered under other heads of income   | a  | House property             | 3a    |    |  |  |
|    |   | b  | Capital gains              | 3b    |    |  |  |
|    |   | c  | Other sources              | 3c    |    |  |  |
|    |   | ci   | Dividend income            | 3ci   |    |  |  |
|    |   | cii  | Dividend income other than | 3cii  |    |  |  |
| 4  | Profit or loss included in 1, which is referred to in section 44AE  |  |                            |       | 4  |  |  |
| 5  | Income credited to Profit and Loss account (included in 1) which is exempt  |  |                            |       |    |  |  |
|    | a   | Share of income from firm(s)   | 5a                         |       |    |  |  |
|    | b   | Share of income from AOP/ BOI  | 5b                         |       |    |  |  |
|    | c   | Any other exempt income (specify nature and amount)  |                            |       |    |  |  |
|    | i   |  | ci                         |       |    |  |  |
|    | ii  |  | cii                        |       |    |  |  |
|    | iii   | Total (ci + cii)   | 5ciii                      |       |    |  |  |
| d  | Total exempt income (5a + 5b + 5ciii)   |  |                            | 5d    |    |  |  |
| 6  | Balance (1- 2a - 2b - 3a - 3b - 3c - 3d - 3e - 4- 5d)   |  |                            |       | 6  |  |  |
| 7  | Expenses debited to profit and loss account considered under other heads of income  | A  | House property             | 7a    |    |  |  |
|    |   | B  | Capital gains              | 7b    |    |  |  |
|    |   | C  | Other sources              | 7c    |    |  |  |
| 8  | Total (7a + 7b + 7c)  |  |                            |       | 8  |  |  |
| 9  | Adjusted profit or loss (6+9)   |  |                            |       | 9  |  |  |
| 10 | Depreciation and amortization debited to profit and loss account  |  |                            |       | 10 |  |  |
| 11 | Depreciation allowable under Income-tax Act   |  |                            |       |    |  |  |
|    | i   | Depreciation allowable under section 32(1)(ii) and 32(1)(iia)  |                            | 11i   |    |  |  |
|    | ii  | Depreciation allowable under section 32(1)(i)<br>(Make your own computation refer Appendix-IA of IT Rules) |                            | 11ii  |    |  |  |
|    | iii   | Total (11i+11ii)   |                            | 11iii |    |  |  |
| 12 | Profit or loss after adjustment for depreciation (10 +11 - 12iii)   |  |                            |       | 12 |  |  |
| 13 | Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 36   |  |                            | 13    |    |  |  |
| 14 | Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 37   |  |                            | 14    |    |  |  |
| 15 | Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 40   |  |                            | 15    |    |  |  |
| 16 | Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 40A  |  |                            | 16    |    |  |  |
| 17 | Any amount debited to profit and loss account of the previous year but disallowable under section 43B   |  |                            | 17    |    |  |  |
| 18 | Interest disallowable under section 23 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006   |  |                            | 18    |    |  |  |
| 19 | Deemed income under section 41  |  |                            | 19    |    |  |  |
| 20 | Deemed income under sections 32AC/ 32AD/ 33AB/ 33ABA/35ABA/ 35ABB/ 35AC/ 40A(3A)/ 33AC/ 72A   |  |                            | 20    |    |  |  |
| 21 | Deemed income under section 43CA  |  |                            | 21    |    |  |  |
| 22 | Any other item of addition under sections 28 to 44DB  |  |                            | 22    |    |  |  |
| 23 | Any other income not included in profit and loss account/any other expense not allowable (including income from salary, commission, bonus and interest from firms in which company is a partner)  |  |                            | 23    |    |  |  |
| 24 | Total (13+ 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21+22 +23)  |  |                            |       | 24 |  |  |
| 25 | Deduction allowable under section 32(1)(iii)  |  |                            | 25    |    |  |  |
| 26 | Deduction allowable under section 32AD  |  |                            | 26    |    |  |  |
| 27 | Amount allowable as deduction under section 32AC  |  |                            | 27    |    |  |  |
| 28 | Amount of deduction under sections 35 or 35CCC or 35CCD in excess of the amount debited to profit and loss account (if amount deductible under section 35 or 35CCC or 35CCD is lower than amount debited to P&L account, it will go to item 24) |  |                            | 28    |    |  |  |
| 29 | Any amount disallowed under section 40 in any preceding previous year but allowable during the previous year  |  |                            | 29    |    |  |  |
| 30 | Any amount disallowed under section 43B in any preceding previous year but allowable during the previous year   |  |                            | 30    |    |  |  |
| 31 | Any other amount allowable as deduction   |  |                            | 31    |    |  |  |

|   |     |  |  |                       |   |
|---|-----|--|--|-----------------------|---|
|   | 32  | Decrease in profit or increase in loss on account of ICDS adjustments and deviation in method of valuation of stock  | 32   |                       |   |
|   | 33  | Total (25+26+27+28+29+30+31+32)  | 33   |                       |   |
|   | 34  | Income (12+24 - 33)  | 34   |                       |   |
|   | 35  | Profits and gains of business or profession deemed to be under -   |  |                       |   |
|   |     | i Section 44AE   | 35i  |                       |   |
|   | 36  | Net profit or loss from business or profession other than speculative and specified business (34+35)   | 36   |                       |   |
|   | 37  | Net Profit or loss from business or profession other than speculative business and specified business after applying rule 7A, 7B or 8, if applicable (If rule 7A, 7B or 8 is not applicable, enter same figure as in 36) | A37  |                       |   |
| <b>B Computation of income from speculative business</b>  |     |  |  |                       |   |
|   | 38  | Net profit or loss from speculative business as per profit or loss account   | 38   |                       |   |
|   | 39  | Additions in accordance with sections 28 to 44DB   | 39   |                       |   |
|   | 40  | Deductions in accordance with sections 28 to 44DB  | 40   |                       |   |
|   | 41  | Income from speculative business ) (38+39 - 40)  | B41  |                       |   |
| <b>C Computation of income from specified business under section 35AD</b>                               |     |  |  |                       |   |
|   | 42  | Net profit or loss from specified business as per profit or loss account   | 42   |                       |   |
|   | 43  | Additions in accordance with sections 28 to 44DB   | 43   |                       |   |
|   | 44  | Deductions in accordance with sections 28 to 44DB (other than deduction under section,- (i) 35AD, (ii) 32 or 35 on which deduction w/s 35AD is claimed)  | 44   |                       |   |
|   | 45  | Profit or loss from specified business ) (42+43 - 44)  | 45   |                       |   |
|   | 46  | Deductions in accordance with section 35AD(1)  | 46   |                       |   |
|   | 47  | Income from Specified Business) (45 - 46)  | C47  |                       |   |
|   | 48  | Relevant clause of sub-section (5) of section 35AD which covers the specified business (to be selected from drop down menu)  | C48  |                       |   |
| <b>D Income chargeable under the head 'Profits and gains from business or profession' (A37+B41+C47)</b> |     |  | <b>D</b>   |                       |   |
| <b>E Intra head set off of business loss of current year</b>  |     |  |  |                       |   |
|   | Sl. | Type of Business income  | Income of current year (Fill this column only if figure is zero or positive) | Business loss set off | Business income remaining after set off |
|   |     |  | (1)  | (2)                   | (3) = (1) - (2)                         |
|   | i   | Loss to be set off (Fill this row only if figure is negative)  |  | (A37)                 |   |
|   | ii  | Income from speculative business   | (B41)  |                       |   |
|   | iii | Income from specified business   | (C47)  |                       |   |
|   | iv  | Total loss set off (ii + iii)  |  |                       |   |
|   | v   | Loss remaining after set off (i - iv)  |  |                       |   |

**Schedule CYLA**

**Details of Income after set-off of current years losses**

|                                     |         |  |  |   |   |   |   |
|-------------------------------------|---------|--|--|---|---|---|---|
| <b>CURRENT YEAR LOSS ADJUSTMENT</b> | Sl. No. | Head/ Source of Income   | Income of current year (Fill this column only if income is zero or positive) | House property loss of the current year set off | Business Loss (other than speculation or specified business loss) of the current year set off | Other sources loss (other than loss from race horses) of the current year set off | Current year's Income remaining after set off |
|                                     |         |  |  | Total loss (4 of Schedule -HP)                  | Total loss (A21 of Schedule-BP)   | Total loss (6 of Schedule-OS)   | 5=1-2-3-4                                     |
|                                     |         |  | 1  | 2   | 3   | 4   |   |
|                                     |         |  | Loss to be adjusted ->   |   |   |   |   |
|                                     | i       | House property   |  |   |   |   |   |
|                                     | ii      | Business (excluding speculation income and income from specified business) |  |   |   |   |   |
|                                     | iii     | Speculation income   |  |   |   |   |   |

|      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| iv   | Specified business income u/s 35AD   |  |  |  |  |  |  |  |
| v    | Short-term capital gain taxable @ 15%  |  |  |  |  |  |  |  |
| vi   | Short-term capital gain taxable @ 30%  |  |  |  |  |  |  |  |
| vii  | Short-term capital gain taxable at applicable rates  |  |  |  |  |  |  |  |
| viii | Short-term capital gain taxable at special rates in India as per DTAA                              |  |  |  |  |  |  |  |
| ix   | Long term capital gain taxable @ 10%   |  |  |  |  |  |  |  |
| x    | Long term capital gain taxable @ 20%   |  |  |  |  |  |  |  |
| xi   | Long term capital gains taxable at special rates in India as per DTAA                              |  |  |  |  |  |  |  |
| xii  | Net Income from Other sources (excluding profit from owning race horses and winnings from lottery) |  |  |  |  |  |  |  |
| xiii | Profit from owning and maintaining race horses   |  |  |  |  |  |  |  |
| xiv  | Total loss set-off   |  |  |  |  |  |  |  |
| xv   | Loss remaining after set-off   |  |  |  |  |  |  |  |

**Schedule PTI** Pass Through Income details from business trust or investment fund as per section 115UA, 115UB

| Sl.                 | Investment entity covered by section 115UA/115UB | Name of business trust/ investment fund | PAN of the business trust/ investment fund | Sl. | Head of income | Current year income         | Share of current year loss distributed by Investment fund | Net Income/ Loss 9=7-8 | TDS on such amount, if any |     |     |
|---------------------|--|---|--|-----|----------------|-----------------------------|---|------------------------|----------------------------|-----|-----|
|                     |  |   |  |     |                |                             |   |                        |                            | (1) | (2) |
| PASS THROUGH INCOME | 1.   | (drop down to be provided)              |  |     | i              | House property              |   |                        |                            |     |     |
|                     |  |   |  |     | ii             | Capital Gains               |   |                        |                            |     |     |
|                     |  |   |  |     | a              | Short term                  |   |                        |                            |     |     |
|                     |  |   |  |     |                | ai                          | section 111A  |                        |                            |     |     |
|                     |  |   |  |     |                | aii                         | Others  |                        |                            |     |     |
|                     |  |   |  |     | b              | Long term                   |   |                        |                            |     |     |
|                     |  |   |  |     |                | bi                          | section 112A  |                        |                            |     |     |
|                     |  |   |  |     | bii            | sections other than 112A    |   |                        |                            |     |     |
|                     |  |   |  |     | iii            | Other Sources               |   |                        |                            |     |     |
|                     |  |   |  |     | a              | Dividend                    |   |                        |                            |     |     |
|                     |  |   |  |     | b              | Others                      |   |                        |                            |     |     |
|                     |  |   |  |     | iv             | Income claimed to be exempt |   |                        |                            |     |     |
|                     |  |   |  |     | A              | u/s 10(23FBB)               |   |                        |                            |     |     |
|                     |  |   |  |     | B              | u/s .....                   |   |                        |                            |     |     |
| C                   | u/s .....  |   |  |     |                |                             |   |                        |                            |     |     |
| 2.                  |  |   |  |     | i              | House property              |   |                        |                            |     |     |
|                     |  |   |  |     | ii             | Capital Gains               |   |                        |                            |     |     |
|                     |  |   |  |     | A              | Short term                  |   |                        |                            |     |     |
|                     |  |   |  |     | ai             | section 111A                |   |                        |                            |     |     |
| aii                 | Others   |   |  |     |                |                             |   |                        |                            |     |     |





|    |  |                      |                      |                      |  |
|----|--|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| 5  | Liability in respect of assets at 4 above                        |                      |                      | 5                    |  |
| 6  | Accreted income as per section 115TD [3 – (4iv – 5)]             |                      |                      | 6                    |  |
| 7  | Additional income-tax payable u/s 115TD at maximum marginal rate |                      |                      | 7                    |  |
| 8  | Interest payable u/s 115TE                                       |                      |                      | 8                    |  |
| 9  | Specified date u/s 115TD   |                      |                      | 9                    |  |
| 10 | Additional income-tax and interest payable                       |                      |                      | 10                   |  |
| 11 | Tax and interest paid  |                      |                      | 11                   |  |
| 12 | Net payable/refundable (10 - 11)                                 |                      |                      | 12                   |  |
| 13 | Date(s) of deposit of tax on accreted income                     | Date 1<br>DD/MM/YYYY | Date 2<br>DD/MM/YYYY | Date 3<br>DD/MM/YYYY |  |
| 14 | Name of Bank and Branch  |                      |                      |                      |  |
| 15 | BSR Code   |                      |                      |                      |  |
| 16 | Serial number of challan   |                      |                      |                      |  |
| 17 | Amount deposited   |                      |                      |                      |  |

**Schedule FSI** Details of Income from outside India and tax relief (available only in case of resident)

| Sl. | Country Code | Taxpayer Identification Number | Sl.   | Head of income         | Income from outside India (included in PART B-TI) | Tax paid outside India | Tax payable on such income under normal provisions in India | Tax relief available in India (e)= (c) or (d) whichever is lower | Relevant article of DTAA if relief claimed u/s 90 or 90A |
|-----|--------------|--------------------------------|-------|------------------------|---|------------------------|---|--|--|
|     |              |                                |       | (a)                    | (b)   | (c)                    | (d)   | (e)  | (f)  |
| 1   |              |                                | i     | House Property         |   |                        |   |  |  |
|     |              |                                | ii    | Business or Profession |   |                        |   |  |  |
|     |              |                                | iii   | Capital Gains          |   |                        |   |  |  |
|     |              |                                | iv    | Other sources          |   |                        |   |  |  |
|     |              |                                | Total |                        |   |                        |   |  |  |
| 2   |              |                                | i     | House Property         |   |                        |   |  |  |
|     |              |                                | ii    | Business or Profession |   |                        |   |  |  |
|     |              |                                | iii   | Capital Gains          |   |                        |   |  |  |
|     |              |                                | iv    | Other sources          |   |                        |   |  |  |
|     |              |                                | Total |                        |   |                        |   |  |  |

**NOTE** ▶ Please refer to the instructions for filling out this schedule.

**Schedule TR** Summary of tax relief claimed for taxes paid outside India (available only in case of resident)

| Sl. | Details of Tax relief claimed  |                                |  |  |  |
|-----|--|--------------------------------|--|--|--|
|     | Country Code   | Taxpayer Identification Number | Total taxes paid outside India (total of (c) of Schedule FSI in respect of each country) | Total tax relief available (total of (e) of Schedule FSI in respect of each country) | Section under which relief claimed (specify 90, 90A or 91) |
|     | (a)  | (b)                            | (c)  | (d)  | (e)  |
|     |  |                                |  |  |  |
|     |  |                                |  |  |  |
|     | Total  |                                |  |  |  |
| 2   | Total Tax relief available in respect of country where DTAA is applicable (sections 90/90A) (Part of total of 1(d))  |                                |  |  | 2  |
| 3   | Total Tax relief available in respect of country where DTAA is not applicable (section 91) (Part of total of 1(d))   |                                |  |  | 3  |
| 4   | Whether any tax paid outside India, on which tax relief was allowed in India, has been refunded/credited by the foreign tax authority during the year? If yes, provide the details below |                                |  |  | 4  |
|     | a  | Amount of tax refunded         | b  | Assessment year in which tax relief allowed in India                                 |  |

**NOTE** ▶ Please refer to the instructions for filling out this schedule.



| <b>D</b> Details of any other Capital Asset held (including any beneficial interest) at any time during the relevant calendar year ending as on 31st December, 2021  |  |                            |  |   |                             |  |  |  |  |  |                         |                         |
|--|--|----------------------------|--|---|-----------------------------|--|--|--|--|--|-------------------------|-------------------------|
| Sl No  | Country Name and code                                | Zip Code                   | Nature of Asset                                  | Ownership-Direct/ Beneficial owner/ Beneficiary | Date of acquisition         | Total Investment (at cost) (in rupees) | Income derived from the asset                        | Nature of Income                                 | Income taxable and offered in this return    |  |                         |                         |
|  |  |                            |  |   |                             |  |  |  | Amount                                       | Schedule where offered                       | Item number of schedule |                         |
| (1)  | (2a)   | (2b)                       | (3)  | (4)   | (5)                         | (6)                                    | (7)  | (8)  | (9)  | (10)   | (11)                    |                         |
| (i)  |  |                            |  |   |                             |  |  |  |  |  |                         |                         |
| (ii)   |  |                            |  |   |                             |  |  |  |  |  |                         |                         |
| <b>E</b> Details of account(s) in which you have signing authority held (including any beneficial interest) at any time during the relevant calendar period and which has not been included in A to D above. |  |                            |  |   |                             |  |  |  |  |  |                         |                         |
| Sl No  | Name of the Institution in which the account is held | Address of the Institution | Country Name and Code                            | Zip Code  | Name of the account holder  | Account Number                         | Peak Balance/ Investment during the year (in rupees) | Whether income accrued is taxable in your hands? | If (7) is yes, Income accrued in the account | If (7) is yes, Income offered in this return |                         |                         |
|  |  |                            |  |   |                             |  |  |  |  | Amount                                       | Schedule where offered  | Item number of schedule |
| (1)  | (2a)   | (2b)                       | (3a)   | (3b)  | (4)                         | (5)                                    | (6)  | (7)  | (8)  | (9)  | (10)                    | (11)                    |
| (i)  |  |                            |  |   |                             |  |  |  |  |  |                         |                         |
| (ii)   |  |                            |  |   |                             |  |  |  |  |  |                         |                         |
| <b>F</b> Details of trusts, created under the laws of a country outside India, in which you are a trustee, beneficiary or settlor  |  |                            |  |   |                             |  |  |  |  |  |                         |                         |
| Sl No  | Country Name and code                                | Zip Code                   | Name and address of the trust                    | Name and address of trustees                    | Name and address of Settlor | Name and address of Beneficiaries      | Date since position held                             | Whether income derived is taxable in your hands? | If (8) is yes, Income derived from the trust | If (8) is yes, Income offered in this return |                         |                         |
|  |  |                            |  |   |                             |  |  |  |  | Amount                                       | Schedule where offered  | Item number of schedule |
| (1)  | (2a)   | (2b)                       | (3)  | (4)   | (5)                         | (6)                                    | (7)  | (8)  | (9)  | (10)   | (11)                    | (12)                    |
| (i)  |  |                            |  |   |                             |  |  |  |  |  |                         |                         |
| (ii)   |  |                            |  |   |                             |  |  |  |  |  |                         |                         |
| <b>G</b> Details of any other income derived from any source outside India which is not included in,- (i) items A to F above and, (ii) income under the head business or profession                          |  |                            |  |   |                             |  |  |  |  |  |                         |                         |
| Sl No  | Country Name and code                                | Zip Code                   | Name and address of the person from whom derived | Income derived                                  | Nature of income            | Whether taxable in your hands?         | If (6) is yes, Income offered in this return         |  |  |  |                         |                         |
|  |  |                            |  |   |                             |  | Amount   | Schedule where offered                           | Item number of schedule                      |  |                         |                         |
| (1)  | (2a)   | (2b)                       | (3)  | (4)   | (5)                         | (6)                                    | (7)  | (8)  | (9)  |  |                         |                         |
| (i)  |  |                            |  |   |                             |  |  |  |  |  |                         |                         |
| (ii)   |  |                            |  |   |                             |  |  |  |  |  |                         |                         |

**NOTE** Please refer to instructions for filling out this schedule.

**SCHEDULE SH SHAREHOLDING OF UNLISTED COMPANY**

If you are an unlisted company, please furnish the following details:-

Details of shareholding at the end of the previous year

| Name of the shareholder | Residential status in India | Type of share | PAN | Date of acquisition | Number of shares held | Face value per share | Issue Price per share | Amount received |
|-------------------------|-----------------------------|---------------|-----|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|
|-------------------------|-----------------------------|---------------|-----|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|

Details of equity share application money pending allotment at the end of the previous year

| Name of the applicant | Residential status in India | Type of share | PAN | Date of application | Number of shares applied for | Application money received | Face value per share | Proposed issue price |
|-----------------------|-----------------------------|---------------|-----|---------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|
|-----------------------|-----------------------------|---------------|-----|---------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|

Details of shareholders who is not a shareholder at the end of the previous year but was a shareholder at any time during the previous year

| Name of the shareholder | Residential status in India | Type of share | PAN | Number of shares held | Face value per share | Issue Price per share | Amount received | Date of acquisition | Date on which cease to be shareholder | Mode of cessation | In case of transfer, PAN of the shareholder |
|-------------------------|-----------------------------|---------------|-----|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------|---|
|-------------------------|-----------------------------|---------------|-----|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------|---|

## Part-B

| Part B - TI STATEMENT OF INCOME FOR THE PERIOD ENDED ON 31 <sup>ST</sup> MARCH, 2022   |   |   |        |   |
|--|---|---|--------|---|
| <b>Part B1 - If registered under section 12A/12AA/12AB or approved under section 10(23C)(iv)/10(23C)(v)/10(23C)(vi)/10(23C)(via), fill out items 1 to 7 ( if applicable)</b> |   |   |        |   |
| 1  | Voluntary Contributions other than Corpus [(Aii + Bii) of Schedule VC]  |   |        | 1 |
| 2  | Voluntary contribution forming part of corpus [(A + B) of schedule Part B-TI]   |   | 2      |   |
|  | A   | Corpus representing donations received for the renovation or repair of places notified u/s 80G(2)(b) [Aia +Bia of Schedule VC]  | A      |   |
|  | B   | Corpus other than above [Aib +Bib of Schedule VC]   | B      |   |
| 3  | Amount of corpus donation not eligible for exemption as per Part A1 column (8) of Schedule J  |   |        | 3 |
| 4  | Amount of corpus donation invested in 11(5) modes and eligible for exemption (2-3) of Part B-TI   |   |        | 4 |
| 5  | Aggregate of income referred to in sections 11, 12 and sections 10(23C)(iv), 10(23C)(v), 10(23C)(vi) and 10(23C)(via) derived during the previous year excluding Voluntary contribution included in 1 and 2 above (10 of Schedule A1) |   |        | 5 |
| 6  | Application of income for charitable or religious purposes or for the stated objects of the trust/institution:-   |   |        |   |
|  | i   | Amount applied during the previous year- Revenue Account [Excluding application from borrowed fund, deemed application, previous year accumulation upto 15% etc, i.e. not from the income of prev. year] [Sr.no. I from Schedule ER]  | 6i     |   |
|  | ii  | Amount applied during the previous year- Capital Account [Excluding application from Borrowed Funds, deemed application, previous year accumulation upto 15% etc., i.e. not from income of the prev. year] [Sr.no. E of Schedule EC]  | 6ii    |   |
|  | iii   | Repayment of loan during the previous year [Sr.no. 4 of table A2 of Schedule J]   | 6iii   |   |
|  | iiia  | Amount applied during the previous year- invested or deposited back into specified mode of Corpus fund (disallowed earlier on application of fund for object of trust/institution) invested or deposited back, into one or more of the forms or modes specified in section 11(5) maintained specifically for such corpus, from the income of that year and to the extent of such investment or deposit [Sr.no. 4 of table A1 of Schedule J] | 6iiia  |   |
|  | iv  | Amount deemed to have been applied during the previous year as per clause (2) of Explanation to section 11(1) < Col 2 of Schedule D for FY 2021-22>   | 6iv    |   |
|  |   | A If (iv) above applicable, whether option in Form No. 9A has been furnished to the Assessing Officer   | 6iva   |   |
|  |   | B If yes, date of furnishing Form No. 9A (DD/MM/YYYY)   | 6ivb   |   |
|  | v   | Amount accumulated or set apart for application to charitable or religious purposes or for the stated objects of the trust/institution to the extent it does not exceed 15 per cent of income derived from property held in trust/ institution under sections 11(1)(a)/11(1)(b) or in terms of third proviso to section 10(23C) [restricted to the maximum of 15% of (1 +5) above]  | 6v     |   |
|  | vi  | Amount in addition to amount referred to in (iv) above, accumulated or set apart for specified purposes if all the conditions in sections 11(2) and 11(5) or third proviso to section 10(23C) are fulfilled) < Col 2 of Schedule I for FY 2021-22>  | 6vi    |   |
|  | vii   | Amount eligible for exemption under section 11(1)(c)  | 6vii   |   |
|  |   | A Approval number given by the Board  | 6viiia |   |
|  |   | B Date of approval by board   | 6viiib |   |
|  | viii  | Total [6i +6ii+6iii+6iiia+6iv+6v+6vi +6vii]   | 6viii  |   |
| 7  | Additions   |   |        |   |
|  | i   | Income chargeable under section 11(1B) < Total of Col 6 of Schedule D>  | 7i     |   |
|  | ii  | Income chargeable under section 11(3) < Total of Col 13 of Schedule I >   | 7ii    |   |
|  | iii   | Income in respect of which exemption under section 11 is not available  |        |   |
|  |   | A Being anonymous donation (Diii of schedule VC)  | 7iiia  |   |
|  |   | B Disallowable u/s 13(1)(c) or 13(1)(d) (including Part E of Schedule J)  | 7iiib  |   |
|  | iv  | Income chargeable under section 12(2)   | 7iv    |   |
|  | v   | Amount disallowable under section 11(1) r.w.s 40(a)(ia) or 10(23C) r.w.s 40(a)(ia)  | 7v     |   |
|  | vi  | Amount disallowable under section 11(1) r.w.s 40A(3)/(3A) or 10(23C) r.w.s 40A(3)/(3A)  | 7vi    |   |
|  | viiia   | Income as per Explanation 3B in case of violation of clause (a) or (b) or (c) or (d) of Explanation 3A to section 11(1) read with section 80G(2)(b)   | 7viiia |   |
|  | viiib   | Income as per Explanation 1B in case of violation of clause (a) or (b) or (c) or (d) of Explanation 1A to section 10(23C) read with section 80G(2)(b)   | 7viiib |   |
|  | viii  | Total [7i + 7ii+7iiia+7iiib+7iv+7v + 7vi+7viiia+7viiib]   | 7viii  |   |
| 8  | Income chargeable u/s 11(4)   |   |        | 8 |
| 9  | Gross income after Exemption u/s 11/10(23C)(iv)/10(23C)(v)/ 10(23C)(vi)/10(23C)(via) [(1+5-6viii)+3+7viii+8]  |   |        | 9 |

|           |   |  |  |               |             |
|-----------|---|--|--|---------------|-------------|
| 10        | <b>Income not forming part of item No. 9 above</b>  |  |  |               |             |
|           | <b>i</b>  | <b>Income from house property [ 4 of Schedule HP] (enter nil if loss)</b>                          |  | <b>10i</b>    |             |
|           | <b>ii</b>   | <b>Profits and gains of business or profession [as per item No. D 49 of schedule BP]</b>           |  | <b>10ii</b>   |             |
|           | <b>iii</b>  | <b>Income under the head Capital Gains</b>   |  |               |             |
|           | <b>A</b>  | <b>Short term</b>  |  | <b>10iiia</b> |             |
|           | <b>Ai</b>   | <b>Short-term chargeable @ 15% (9ii of item E of schedule CG)</b>                                  |  | <b>Ai</b>     |             |
|           | <b>Aii</b>  | <b>Short-term chargeable @ 30% (9iii of item E of schedule CG)</b>                                 |  | <b>Aii</b>    |             |
|           | <b>Aiii</b>   | <b>Short-term chargeable at applicable rate ( 9iv of item E of schedule CG)</b>                    |  | <b>Aiii</b>   |             |
|           | <b>Aiv</b>  | <b>Short-term chargeable at special rates in India as per DTAA (9v of item E of Schedule CG)</b>   |  | <b>Aiv</b>    |             |
|           | <b>Av</b>   | <b>Total Short-term (ai + aii + aiii + aiv) (enter nil if loss)</b>                                |  | <b>Av</b>     |             |
|           | <b>B</b>  | <b>Long term</b>   |  | <b>10iiib</b> |             |
|           | <b>Bi</b>   | <b>Long-term chargeable @ 10% (9vi of item E of schedule CG)</b>                                   |  | <b>Bi</b>     |             |
|           | <b>Bii</b>  | <b>Long-term chargeable @ 20% (9vii of item E of schedule CG)</b>                                  |  | <b>Bii</b>    |             |
|           | <b>Biii</b>   | <b>Long-term chargeable at special rates in India as per DTAA (9viii of item E of schedule CG)</b> |  | <b>Biii</b>   |             |
|           | <b>Biv</b>  | <b>Total Long-term (bi + bii + biii) (enter nil if loss)</b>                                       |  | <b>Biv</b>    |             |
|           | <b>C</b>  | <b>Total capital gains (10iiia +10iiib) (Av+Biv) (enter nil if loss)</b>                           |  | <b>10iiic</b> |             |
|           | <b>iv</b>   | <b>Income from other sources [as per item No. 9 of Schedule OS]</b>                                |  |               | <b>10iv</b> |
| <b>v</b>  | <b>Total (10i + 10ii + 10iiic + 10iv)</b>   |  |  | <b>10v</b>    |             |
| <b>11</b> | <b>Gross income (9+10)</b>  |  |  | <b>11</b>     |             |
| <b>12</b> | <b>Losses of current year to be set off against 10v (total of 2xiv, 3xiv and 4xiv of Schedule CYLA)</b>         |  |  | <b>12</b>     |             |
| <b>13</b> | <b>Total Income (11-12)</b>   |  |  | <b>13</b>     |             |
| <b>14</b> | <b>Income which is included in 13 and chargeable to tax at special rates (total of col. (i) of schedule SI)</b> |  |  | <b>14</b>     |             |
| <b>15</b> | <b>Aggregate Income (13-14) [applicable if (13-14) exceeds maximum amount not chargeable to tax]</b>            |  |  | <b>15</b>     |             |
| <b>16</b> | <b>Anonymous donations, included in 15, to be taxed under section 115BBC @ 30% (Diii of Schedule VC)</b>        |  |  | <b>16</b>     |             |
| <b>17</b> | <b>Income chargeable at maximum marginal rates</b>  |  |  | <b>17</b>     |             |

|  |   |  |              |              |  |
|--|---|--|--------------|--------------|--|
| <b>Part B2 - If claiming exemption under section 13A/13B and under sections 10(21), 10(22B), 10(23A), 10(23AAA), 10(23B), 10(23EC), 10(23ED), 10(23EE), 10(29A), 10(23C)(iiiab), 10(23C)(iiiac), 10(23C)(iiiad), 10(23C)(iiiad), 10(23C)(iiiad), 10(23D), 10(23DA), 10(23FB), 10(24), 10(46), 10(47)</b> |   |  |              |              |  |
| <b>1</b>   | <b>Amount eligible for exemption under sections 10(21), 10(22B), 10(23A), 10(23AAA), 10(23B), 10(23EC), 10(23ED), 10(23EE), 10(29A)</b>                                 |  | <b>1</b>     |              |  |
| <b>2</b>   | <b>Amount eligible for exemption under sections 10(23C)(iiiab), 10(23C)(iiiac), 10(23C)(iiiad), 10(23C)(iiiad), 10(23D), 10(23DA), 10(23FB), 10(24), 10(46), 10(47)</b> |  | <b>2</b>     |              |  |
| <b>3</b>   | <b>Amount eligible for exemption under any other clause of section 10 ((other than those at 1 and 2)</b>  |  | <b>3</b>     |              |  |
| <b>4</b>   | <b>Income chargeable under section 11(3) read with section 10(21) [Total of Col 13 of Schedule I]</b>   |  | <b>4</b>     |              |  |
| <b>5</b>   | <b>Income claimed as exempt under section 13A in case of a Political Party</b>  |  | <b>5</b>     |              |  |
| <b>6</b>   | <b>Income claimed as exempt under section 13B in case of an Electoral Trust (item No. 6vii of Schedule ET)</b>  |  | <b>6</b>     |              |  |
| <b>7</b>   | <b>Voluntary Contribution received during the year</b>  |  | <b>7</b>     |              |  |
| 8  | <b>Heads of Income</b>  |  |              |              |  |
|  | <b>i</b>  | <b>Income from house property [ 4 of Schedule HP] (enter nil if loss)</b>                        |              | <b>8i</b>    |  |
|  | <b>ii</b>   | <b>Profits and gains of business or profession [as per item No. D 49 of schedule BP]</b>         |              | <b>8ii</b>   |  |
|  | <b>iii</b>  | <b>Income under the head Capital Gains</b>   |              |              |  |
|  | <b>A</b>  | <b>Short term (A5 of schedule CG)</b>  |              | <b>8iiia</b> |  |
|  | <b>Ai</b>   | <b>Short-term chargeable @ 15% (9ii of item E of schedule CG)</b>                                |              | <b>Ai</b>    |  |
|  | <b>Aii</b>  | <b>Short-term chargeable @ 30% (9iii of item E of schedule CG)</b>                               |              | <b>Aii</b>   |  |
|  | <b>Aiii</b>   | <b>Short-term chargeable at applicable rate ( 9iv of item E of schedule CG)</b>                  |              | <b>Aiii</b>  |  |
|  | <b>Aiv</b>  | <b>Short-term chargeable at special rates in India as per DTAA (9v of item E of Schedule CG)</b> |              | <b>Aiv</b>   |  |
|  | <b>Av</b>   | <b>Total Short-term (ai + aii + aiii + aiv) (enter nil if loss)</b>                              |              | <b>Av</b>    |  |
| <b>B</b>   | <b>Long term (B4 of schedule CG) (enter nil if loss )</b>   |  | <b>8iiib</b> |              |  |

|           |   |   |             |           |
|-----------|---|---|-------------|-----------|
|           | <b>Bi</b>   | Long-term chargeable @ 10% (9vi of item E of schedule CG)                                   | <b>Bi</b>   |           |
|           | <b>Bii</b>  | Long-term chargeable @ 20% (9vii of item E of schedule CG)                                  | <b>Bii</b>  |           |
|           | <b>Biii</b>   | Long-term chargeable at special rates in India as per DTAA (9viii of item E of schedule CG) | <b>Biii</b> |           |
|           | <b>Biv</b>  | Total Long-term (bi + bii + biii) (enter nil if loss)                                       | <b>Biv</b>  |           |
|           | <b>C</b>  | Total capital gains (Av+Biv) (enter nil if loss)  | <b>8iic</b> |           |
|           | <b>iv</b>   | Income from other sources [as per item No. 9 of Schedule OS]                                | <b>8iv</b>  |           |
|           | <b>v</b>  | Total (8i + 8ii + 8iic + 8iv)   | <b>8v</b>   |           |
| <b>9</b>  | <b>Gross income [7+8v-5-6] +4</b>   |   |             | <b>9</b>  |
| <b>10</b> | <b>Losses of current year to be set off against 8 (total of 2xiv, 3xiv and 4xiv of Schedule CYLA)</b>           |   |             | <b>10</b> |
| <b>11</b> | <b>Gross Total Income (9-10)</b>  |   |             | <b>11</b> |
| <b>12</b> | <b>Income which is included in 11 and chargeable to tax at special rates (total of col. (i) of schedule SI)</b> |   |             | <b>12</b> |
| <b>13</b> | <b>Net Agricultural income for rate purpose</b>   |   |             | <b>13</b> |
| <b>14</b> | <b>Aggregate Income (11-12+13) [applicable if (11-12) exceeds maximum amount not chargeable to tax]</b>         |   |             | <b>14</b> |
| <b>15</b> | <b>Anonymous donations, included in 14, to be taxed under section 115BBC @ 30% (Diii of Schedule VC)</b>        |   |             | <b>15</b> |
| <b>16</b> | <b>Income chargeable at maximum marginal rates</b>  |   |             | <b>16</b> |

**Part B – TTI** Computation of tax liability on total income

|                   |   |   |            |           |             |  |
|-------------------|---|---|------------|-----------|-------------|--|
| <b>TAXES PAID</b> | <b>1</b>  | <b>Tax payable on total income</b>  |            |           |             |  |
|                   | <b>A</b>  | Tax at normal rates on (15-16-17) of Part B1 of Part B-TI] OR (14-15-16) of Part B2 of Part B-TI                            | <b>1a</b>  |           |             |  |
|                   | <b>b</b>  | Tax at special rates (total of col. (ii) of Schedule-SI)  | <b>1b</b>  |           |             |  |
|                   | <b>c</b>  | Tax on anonymous donation u/s 115BBC @30% on sr.no. 16 of Part B1 of Part B-TI OR sr.no. 15 of Part B2 of Part B-TI         | <b>1c</b>  |           |             |  |
|                   | <b>d</b>  | Tax at maximum marginal rate on Sr.no. 17 of Part B1 of Part B-TI OR Sr.no. 16 of Part B2 of Part B-TI                      | <b>1d</b>  |           |             |  |
|                   | <b>e</b>  | Rebate on agricultural income [In Part B2, applicable if (11-12) of Part B-TI exceeds maximum amount not chargeable to tax] | <b>1e</b>  |           |             |  |
|                   | <b>f</b>  | <b>Tax Payable on Total Income (1a+ 1b+1c+ 1d- 1e)</b>  |            |           | <b>1f</b>   |  |
|                   | <b>2</b>  | <b>Surcharge</b>  |            |           |             |  |
|                   | <b>i</b>  | 25% of 13 of Schedule SI  | <b>2i</b>  |           |             |  |
|                   | <b>ii</b>   | On [1f – (13 of Schedule SI)]   | <b>2ii</b> |           |             |  |
|                   | <b>iii</b>  | <b>Total (i + ii)</b>   |            |           | <b>2iii</b> |  |
|                   | <b>3</b>  | <b>Health and Education cess @ 4% on (1f+ 2iii)</b>   |            |           | <b>3</b>    |  |
|                   | <b>4</b>  | <b>Gross tax liability (1f+ 2iii + 3)</b>   |            |           | <b>4</b>    |  |
|                   | <b>5</b>  | <b>Tax relief</b>   |            |           |             |  |
|                   | <b>a</b>  | Sections 90/90A (2 of Schedule TR)  | <b>5a</b>  |           |             |  |
|                   | <b>b</b>  | Section 91 (3 of Schedule TR)   | <b>5b</b>  |           |             |  |
|                   | <b>c</b>  | <b>Total (5a + 5b)</b>  |            |           | <b>5c</b>   |  |
|                   | <b>6</b>  | <b>Net tax liability (4 – 5c)</b>   |            |           | <b>6</b>    |  |
|                   | <b>7</b>  | <b>Interest and fee payable</b>   |            |           |             |  |
|                   | <b>a</b>  | Interest for default in furnishing the return (section 234A)  | <b>7a</b>  |           |             |  |
|                   | <b>b</b>  | Interest for default in payment of advance tax (section 234B)   | <b>7b</b>  |           |             |  |
|                   | <b>c</b>  | Interest for deferment of advance tax (section 234C)  | <b>7c</b>  |           |             |  |
|                   | <b>d</b>  | Fee for default in furnishing return of income (section 234F)   | <b>7d</b>  |           |             |  |
|                   | <b>e</b>  | <b>Total Interest and Fee Payable (7a+ 7b+ 7c+ 7d)</b>  |            |           | <b>7e</b>   |  |
| <b>8</b>          | <b>Aggregate liability (6 + 7e)</b>   |   |            | <b>8</b>  |             |  |
| <b>9</b>          | <b>Taxes Paid</b>   |   |            |           |             |  |
| <b>a</b>          | Advance Tax (from column 5 of 15A)  | <b>9a</b>   |            |           |             |  |
| <b>b</b>          | TDS (total of column 9 of 15B)  | <b>9b</b>   |            |           |             |  |
| <b>c</b>          | TCS (total of column 7 of 15C)  | <b>9c</b>   |            |           |             |  |
| <b>d</b>          | Self-Assessment Tax (from column 5 of 15A)  | <b>9d</b>   |            |           |             |  |
| <b>e</b>          | <b>Total Taxes Paid (9a+ 9b+ 9c+ 9d)</b>  |   |            | <b>9e</b> |             |  |
| <b>10</b>         | <b>Amount payable (Enter if 8 is greater than 9e, else enter 0)</b>                                       |   |            | <b>10</b> |             |  |
| <b>11</b>         | <b>Refund (If 9e is greater than 8) (refund, if any, will be directly credited into the bank account)</b> |   |            | <b>11</b> |             |  |
| <b>12</b>         | <b>Net tax payable on 115TD income including interest u/s 115TE (Sr.no. 12 of Schedule 115TD)</b>         |   |            | <b>12</b> |             |  |

|              |   |  |   |                  |                     |   |   |  |
|--------------|---|--|---|------------------|---------------------|---|---|--|
| BANK ACCOUNT | 13  | Do you have a bank account in India (Non- Residents claiming refund with no bank account in India may select No) |   |                  |                     |   | Select Yes or No  |  |
|              | a) Details of all Bank Accounts held in India at any time during the previous year (excluding dormant accounts)   |  |   |                  |                     |   |   |  |
|              |   | Sl.  | IFS Code of the Bank in case of Bank Accounts held in India | Name of the Bank | Account Number      | Indicate the account used for digital receipts/ payments (tick account(s) <input checked="" type="checkbox"/> ) | Indicate the account in which you prefer to get your refund credited, if any (tick one account for refund <input checked="" type="checkbox"/> ) |  |
|              |   | i  |   |                  |                     |   |   |  |
|              |   | ii   |   |                  |                     |   |   |  |
|              | Note:<br>1) Minimum one account should be selected for refund credit<br>2) In case of refund, multiple accounts are selected for refund credit, then refund will be credited to one of the account decided by CPC after processing the return   |  |   |                  |                     |   |   |  |
|              | Rows can be added as required   |  |   |                  |                     |   |   |  |
|              | b) Non- residents, who are claiming income-tax refund and not having bank account in India may, at their option, furnish the details of one foreign bank account:   |  |   |                  |                     |   |   |  |
|              |   | Sl. No.  | SWIFT Code  | Name of the Bank | Country of Location | IBAN  |   |  |
|              |   |  |   |                  |                     |   |   |  |
| 14           | Do you at any time during the previous year,-<br>(i) hold, as beneficial owner, beneficiary or otherwise, any asset (including financial interest in any entity) located outside India; or<br>(ii) have signing authority in any account located outside India; or<br>(iii) have income from any source outside India?<br>[applicable only in case of a resident] [Ensure Schedule FA is filled up if the answer is Yes ] |  |   |                  |                     | <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No  |   |  |

|   |       |          |  |  |  |                              |  |  |                          |  |  |             |  |
|---|-------|----------|--|--|--|------------------------------|--|--|--------------------------|--|--|-------------|--|
| <b>15 TAX PAYMENTS</b>  |       |          |  |  |  |                              |  |  |                          |  |  |             |  |
| <b>A Details of payments of Advance Tax and Self-Assessment Tax</b>                                 |       |          |  |  |  |                              |  |  |                          |  |  |             |  |
| ADVANCE/ SELF ASSESSMENT TAX  | Sl No | BSR Code |  |  |  | Date of Deposit (DD/MM/YYYY) |  |  | Serial Number of Challan |  |  | Amount (Rs) |  |
|   | (1)   | (2)      |  |  |  | (3)                          |  |  | (4)                      |  |  | (5)         |  |
|   | i     |          |  |  |  |                              |  |  |                          |  |  |             |  |
|   | ii    |          |  |  |  |                              |  |  |                          |  |  |             |  |
|   | iii   |          |  |  |  |                              |  |  |                          |  |  |             |  |
|   | iv    |          |  |  |  |                              |  |  |                          |  |  |             |  |
| <b>NOTE</b> Enter the totals of Advance tax and Self-Assessment tax in Sl No. 9a & 9d of Part B-TTI |       |          |  |  |  |                              |  |  |                          |  |  |             |  |

|   |   |   |   |                                     |         |   |   |  |  |              |   |              |                                  |      |  |
|---|---|---|---|-------------------------------------|---------|---|---|--|--|--------------|---|--------------|----------------------------------|------|--|
| <b>B Details of Tax Deducted at Source (TDS) on Income [As per Form 16 A issued or Form 16B/16C/16D furnished by Deductor(s)]</b> |   |   |   |                                     |         |   |   |  |  |              |   |              |                                  |      |  |
| Sl No   | TDS credit relating to self / other person [other person as per rule 37BA(2)] | PAN/Aadhaar of Other Person (if TDS credit related to other person) | TAN of the Deductor/ PAN/Aadhaar of Tenant/ Buyer | Unclaimed TDS brought forward (b/f) |         | TDS of the current Financial Year (TDS Deducted during the FY2021-22) |   | TDS credit being claimed this Year (only if corresponding income is being offered for tax this year, not applicable if TDS is deducted u/s 194N) |  |              | Corresponding Receipts/ withdrawals offered |              | TDS credit being carried forward |      |  |
|   |   |   |   | Fin. Year in which deducted         | TDS b/f | Deducted in own hands   | Deducted in the hands of any other person as per rule 37BA(2) (if applicable) | Claimed in own hands   | Claimed in the hands of any other person as per rule 37BA(2) (if applicable) | Gross Amount | Head of Income                              |              |                                  |      |  |
| (1)   | (2)   | (3)   | (4)   | (5)                                 | (6)     | (7)   | (8)   | (9)  | (10)   |              |   | (11)         | (12)                             | (13) |  |
|   |   |   |   |                                     |         |   | Incom e   | TDS  |  | Incom e      | TDS   | PAN/ Aadhaar |                                  |      |  |
| i   |   |   |   |                                     |         |   |   |  |  |              |   |              |                                  |      |  |

|  |  |                       |                                     |            |   |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|-----------------------|-------------------------------------|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>C Details of Tax Collected at Source (TCS) [As per Form 27D issued by the Collector(s)]</b> |  |                       |                                     |            |   |  |  |  |  |  |  |  |
| Sl No  | Tax Deduction and Tax Collection Account Number of the Collector | Name of the Collector | Unclaimed TCS brought forward (b/f) |            | TCS of the current Financial Year (TCS collected during the FY 2021-22) | Amount out of (5) or (6) being claimed this Year (only if corresponding income is being offered for tax this year) | Amount out of (5) or (6) being carried forward |  |  |  |  |  |
|  |  |                       | Fin. Year in which collected        | Amount b/f |   |  |  |  |  |  |  |  |
| (1)  | (2)  | (3)                   | (4)                                 | (5)        | (6)   | (7)  | (8)  |  |  |  |  |  |
| i  |  |                       |                                     |            |   |  |  |  |  |  |  |  |
| ii   |  |                       |                                     |            |   |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>NOTE</b> Please enter total of column (7) in 9c of Part B-TTI                               |  |                       |                                     |            |   |  |  |  |  |  |  |  |



**VERIFICATION**

I, \_\_\_\_\_ son/ daughter of \_\_\_\_\_, solemnly declare that to the best of my knowledge and belief, the information given in the return and the schedules, statements, etc. accompanying it is correct and complete is in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961.

I further declare that I am making this return in my capacity as \_\_\_\_\_ (*drop down to be provided*) and I am also competent to make this return and verify it. I am holding permanent account number \_\_\_\_\_ (if allotted) (*Please see instruction*).

I further declare that the critical assumptions specified in the agreement have been satisfied and all the terms and conditions of the agreement have been complied with. (Applicable, in a case where return is furnished under section 92CD)

**Place****Date****Sign here →.**

[Notification No. 23/2022/F. No. 370142/8/2022-TPL-Pt.VII]

SHEFALI SINGH, Under Secy.

**Note :-** The principal rules were published vide notification S.O. 969 (E), dated the 26<sup>th</sup> March, 1962 and last amended vide notification GSR 231(E), dated the 30<sup>th</sup> March, 2022.